विधायी कार्यकलाप : एक समीक्षा

(संदर्भ : 15वीं बिहार विधान सभा–प्रथम सत्र)

प्रमोद कुमार सिंह

बिहार सोशल वॉच

2013

विधायी कार्यकलाप : एक समीक्षा

(संदर्भ : 15वीं बिहार विधान सभा–प्रथम सत्र)

प्रमोद कुमार सिंह

बिहार सोशल वॉच रिपोर्ट
2013

बिहार सोशल वॉच
ए–22,आर.डी० टावर, स्टेट बैंक मोड़,न्यू पुनाईचक, पटना–800023
ई–मेल : biharsocialwatch@gmail.com

Review on Performance of Legislative Functioning

(Context : First session of 15th Bihar Vidhan Sabha)

Prepared by : Pramod Kumar Singh

प्रथम संस्करण : 2013

सहयोग राशि : 100 रूपये

यह प्रतिवेदन 15वी विधान सभा के प्रथम सत्र की आधिकारिक कार्यवाही नहीं है। प्रस्तुत संकलित प्रतिवेदन का स्रोत सन्दर्भ में वर्णित पुस्तको एवं विभिन्न लेखों के माध्यम से संकलित कर प्रकाशित की गयी है। प्रतिवेदन में वर्णित तथ्यों के मुद्रण और प्रकाशन में यथा संभव सावधानी बरती गयी है, संयोग/भूलवश किसी त्रुटी/अशुद्धि के लिए कोई दायित्व व उपगत स्वीकार्य न होगा।

तैयारी : प्रमोद कुमार सिंह
निदेशक, विद्यासागर सामाजिक सुरक्षा सेवा एवं शोध संस्थान, पटना–800023
मो०: 09431419356 email : hungerfreebihar@yahoo.com

सहयोग : महादेव मंडल (रिसर्च एसोशिएट)

शब्द संयोजन : संजय पासवान एवं भीम उरांव

प्रबंध सहयोग : प्रहलाद कुमार

प्रकाशक : विद्यासागर सामाजिक सुरक्षा सेवा एवं शोध संस्थान, पटना–800023
ISBN 81.88996.00.9
सहयोग / समन्वय :
भूख मुक्त बिहार अभियान
नेशनल सोशाल वॉच

बिहार सोशल वॉच

ए–22, आर.डी० टावर, स्टेट बैंक मोड़, न्यू पुनाईचक, पटना–800023
ई–मेल : biharsocialwatch@gmail.com

भूमिका

बिहार सोशल वॉच बहुत ही व्यवस्थित तरीके से शासन से संवद्ध संस्थानों के कार्यकलापों की समीक्षा करती है। यह निर्विवाद है कि सिटिजन एक्शन बहुत महत्वपूर्ण होता है और नागरिकों द्वारा अपने ही संस्थानों विशेषकर शासन से संवद्ध संस्थानों की निगरानी सराहनीय कही जाएगी। प्रजातंत्र में सामाजिक निगरानी (Social Watch) एक महत्वपूर्ण स्तम्भ है जिसके आधार पर लोकतंत्र मजबूत होती है। इस रपट को जारी करने का प्रयास उसी कड़ी को मजबूत करता है और उस विचार को आगे भी बढ़ता है।

समाजिक कार्यों में समर्पित लेखक एवं शिक्षाविद् प्रमोद कुमार सिंह ने बिहार सोशल वॉच के तत्वाधान में बिहार विधान सभा में विधायी कार्यकलापों पर तथ्यपरक विश्लेषण के साथ बहुत सरगर्भित रपट की प्रस्तुति की है आमतौर पर विधान सभा की कार्यवाही, संदर्भ की बैठकें, सदन में उठने वाले विकास एवं जनसमस्याओं पर आधारित मुद्दे, जनकल्याण के लिए प्रस्तुत किए जाने वाले विधेयकों को पारित कराने में जनप्रतिनिधियों की सक्रिय भागीदारी संबंधी तथ्यों की पूरी जानकारी न तो राजनीति शास्त्र के शोधकर्मियों एवं समाजशास्त्रियों को रहती है और न ही सामाजिक मुद्दों पर जनवकालत करने वाले समाजकर्मियों व राजनीति में समर्पित कार्यकर्त्ताओं को। यदा–कदा विधान सभा सत्र की अवधि में अति– संक्षिप्त रूप में समाचार पत्रों से लोगों को ऐसे तथ्यों की जानकारी मिलती है किंतु इसका संकलित रूप उपलबध नहीं हो पाता है। विधान सभा पुस्तकालय में यह जरूर उपलबध है लेकिन समाजशास्त्रियों एवं शोधार्थियों के लिए वहां तक पहुंचना सहज नहीं है। इस स्थिति में प्रमोद कुमार सिंह ने सराहनीय प्रयास करते हुए विधायी कार्यों सहित बिहार विधान सभा संबंधी तमाम जानकारियों को समेटने की कोशिश की है।

इस रपट से बिहार विधान सभा के गठन का संक्षिप्त इतिहास तो सामने आ ही जाता है, सदन की कार्यवाही की प्रक्रिया समझने में किसी भी शोधार्थी को आसानी हो सकती है। यह प्रतिवेदन प्रजातंत्र के मंदिर के रूप में स्थापित विधायिका के क्रियाकलापों की जानकारी दर्शाने में भी समर्थ है कि सदन में जनप्रतिनिधि गरीबों–वंचितों, अन्नदाता किसानों और सामाजिक मुद्दों के प्रति कितने सक्रिय एवं जवाबदेह रहते हैं। सर्वविदित है कि शासन–प्रशासन को भी यहीं से दिशा–निर्देश मिलती है ताकि सूबे में सब कुछ पटरी पर रहे। जनकल्याण के लिए कानून भी यहीं बनते हैं और सदन से ही उन पर निगरानी भी रखी जाती है।

मैं सामाजिक मुद्दों पर चर्चित विश्लेषक श्री प्रमोद कुमार सिंह को विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इन्होंने बिहार विधान सभा खासकर 15वीं विधान सभा के प्रथम सत्र की ढेर–सारी जानकारियों को संकलित कर चार्ट, आंकड़ों एवं विश्लेषण के जरिए प्रस्तुत करने का सराहनीय प्रयास किया हैं। इसके लिए बिहार सोशल वॉच धन्यवाद का पात्र है।

राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पर सोशल वॉच की प्रक्रिया अनेक विकास संगठनों, समाजशास्त्रियों, नागरिकों एंव समाज. कर्मी समूहों के सामूहिक दायित्व पर आधारित है जो शासन मूल्यांकन की प्रक्रिया के तहत समीक्षात्मक रपट की प्रस्तुति सुनिश्चित करता है। बिहार सोशल वॉच की इस सराहनीय पहल से न केवल विधायी कार्यकलापों में जनप्रतिनिधियों की सहभागिता बढ़ेगी बल्कि प्रजातान्त्रिक प्रक्रिया को फलदायक बनाने हेतु अधिकारियों एवं नीतिकारों को जवाबदेह बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगी। यही नहीं, समाज एवं समुदाय के जागरूक लोग अपने–अपने विधान सभा सदस्य पर सदन में प्रश्न एवं ध्यानकर्षण के माध्यम से ज्वलंत जनसमस्याओं के प्रति सरकार का ध्यान आकृष्ट करने हेतु दबाव बनाने में संवेदनशील बन सकेंगे।

अमिताभ बेहार
निदेशक, एन.एफ.आई, दिल्ली
राष्ट्रीय संयोजक, नेशनल सोशल वॉच
ई–मेल : amitabh.behar@gmail.com

प्रस्तावना

सोशल वॉच प्रक्रिया प्रजातंत्र को अर्थपूर्ण एवं सशक्त भागीदारी सुनिश्चित करने की मुहिम का हिस्सा है और एक सामूहिक प्रयास भी है । उक्त प्रयास में विकास संस्थाएं, सामाजिक संस्थाएं, शोधपरक कार्य में सक्रिय संस्थाएं समुदायों एवं प्रबुद्ध नागरिकों की भागीदारी है। बिहार सहित 14 राज्यों में सोशल वॉच की प्रक्रिया जारी है और शुरूआत से ही शासन की जिम्मेदारी की वकालत के साथ ही मूल्यांकन करने वाली एक विश्वसनीय मंच के रूप में इसने अपनी पहचान स्थापित की हैं। मैं इस मामले में सौभाग्यशाली हूँ कि सोशल वॉच की अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की प्रक्रिया में आयोजित अन्तर्राष्ट्रीय विमर्श में भारत की ओर से प्रस्तुति करने का इसे अवसर मिल चुका है।

यह सुखद एहसास है कि सोशल वॉच न केवल प्रजातंत्र के सिद्धांतों व शासन के विभिन्न आयामों के प्रति जवाबदेह कार्यपालिका, विधायी कार्यों एवं न्याय प्रदान करने वाले संस्थानों के प्रयासों व कार्यकलापों का मूल्यांकन करता है बल्कि तथ्यपरक विश्लेषण के साथ समीक्षात्मक रपट जारी करने का प्रयास भी करता है ताकि सामाजिक विकास के चिन्हित लक्ष्यों विशेषकर समाज एवं राष्ट्र के वंचित समूहों के प्रति शासन के विभिन्न आयामों से संबंधित संस्थान एवं सरकार अपनी जवाबदेही के प्रति संवेदनशील बन सके।

बिहार सोशल वॉच ने 15वीं बिहार विधान सभा के प्रथम सत्र को केन्द्रित कर बिहार में विधायी कार्यकलाप : एक समीक्षा के रूप में अपनी दूसरी रिपोर्ट आपके समक्ष प्रस्तुत किया है।जिससे यह ज्ञात होगा कि जन नीतियों (Public Policy) के निर्माण व जनहित के विधेयकों की प्रस्तुति में जन प्रतिनिधियों की कितनी भागीदारी होती है और ऐसे विधेयकों को लोकोपयोगी एवं प्रभावी कानून बनाने की दिशा में विधान सभा एवं विधान परिषद के माननीय सदस्यों (जन प्रतिनिधि) के महत्वपूर्ण सुझावों का किस प्रकार समावेश होता है। विधान सभा में पूछे जाने वाले प्रश्न ध्यानाकर्षण शून्यकाल गैर सरकारी संकल्प एवं अत्यंत लोक महत्व के विषय पर विशेष बहस आदि मामले में समाज के वंचित समूहों के मुद्धे कितने रहते हैं? यह समझना जरूरी है।

सत्र के दौरान हंगामों और विषय से हटकर वाद–विवाद के कारण विधान सभा के सत्र संचालन और प्रक्रिया को लेकर राजनीतिक बहस चलती रहती है। अब एक और यह सवाल उठने लगा है कि विधान सभा में घटते कार्य दिवसों के कारण सत्र में प्रति मिनट खर्च बढ़ता जा रहा है तो दूसरी ओर सदन में हंगामों से समय बर्बादी को लेकर आम नागरिकों को भी चिंता सताने लगी है। लोग अब यह भी जानना चाहते हैं कि जो सवाल सदन में उठाये जाते हैं उनका सरोकार किन–किन विषयों से रहता है ? माननीय सदस्यों की ज्यादा रूचि किस प्रकार के मुद्धों में होती है?

प्रत्येक विधान सभा के गठन से लेकर अगली सभा के गठन के पूर्व तक सदन में प्राप्त एवं स्वीकृत निवेदन एवं याचिका संबंधी संख्यात्मक उपलब्धियों को दर्शाना सराहनीय पहल है किंतु यह भी जरूरी है कि प्रत्येक सभा की पूरी अवधि में निष्पादित निवेदनों एवं याचिकाओं की संख्या विधायी संस्थानों (विधान सभा/विधान परिषद) के वेवसाइट पर सार्वजनिक किए जाएं। यही नहीं, लिखित उत्तर के लिये विभिन्न विभागों में प्रेषित प्रश्नों एवं ध्यानाकर्षणों के निष्पादित मामलों की वर्षवार संख्या भी वेवसाइट पर दर्शाया जाना समय की मांग बन गई है।

यह अत्यंत ही चिंतनीय पहलू है कि वर्ष 1961 में विधान सभा की 106 बैठकें सम्पन्न हुई थीं किंतु वर्ष 1997 में घटकर 22, वर्ष 2001 एवं वर्ष 2004 में मात्र 24 बैठक सम्पन्न हुई।ऐसी स्थिति में यह सवाल उठना लाज़मी है कि वर्ष 2006 से वर्ष 2011 तक एक वर्ष में न्यूनतम बैठकों की संख्या 32 एवं अधिकतम बैठकों की संख्या–37 रही है जबकि कुछ राज्य ऐसे भी हैं जहां विधान सभा ने वर्ष में न्यूनतम 100 दिनों की बैठक (कार्यदिवस) सुनिश्चित करने का निर्णय लिया है।

आज यह भी चिंतन जरूरी है कि शासन को नियंत्रण में रखकर दिशा–निर्देश देने वाली विधान सभा में उठाए गए प्रश्नों पर प्राप्त आश्वासन लम्बे समय तक लम्बित न रहें। इसके लिए नियमित मूल्यांकन जरूरी है अन्यथा विधायी सदन धीरे–धीरे केवल वाद–विवाद के क्लब के रूप में तब्दील होने की राह पकड़ सकता है।

आमलोगों के मन में उठने वाले उपरोक्त विचारों के संदर्भ में बिहार सोशल वॉच द्वारा जारी इस रपट में कुछ तथ्य संकलित कर प्रस्तुत किए गए हैं। यह रपट विधान सभा एवं विधान परिषद के वैसे माननीय सदस्यों को इतना अवश्य प्रेरित करेगा कि सदन में विभिन्न स्वरूपों में होने वाली चर्चा–बहस में उनकी सक्रिय व उत्साहजनक भागीदारी सुनिश्चित हो । यही नहीं हमें विश्वास है कि विधायी संस्थानों के नीतिकारों को उनके दायित्वों के प्रति जवाबदेह बनाने में भी यह रपट महत्वपूर्ण भूमिका निभायेगा ।

मैं बिहार विधान सभा के अधिकारियों/कर्मचारियों, बिहार सोशल वॉच के सभी सहभागी साथियों विशेषकर श्री विरेन्द्र कुमार यादव (पत्रकार), राजनीति चाणक्य के संपादक श्री मदन शर्मा एवं श्री सुनिल कुमार सिन्हा (इंडियन बैंक) सहित साझेदार तमाम विकास/स्वैच्छिक/शोध संस्थानों को धन्यवाद देता हूँ जिनके सहयोग व समर्थन से इस रपट को आम लोगों के समक्ष प्रस्तुत करने का अवसर प्राप्त हुआ।

सादर,

प्रमोद कुमार सिंह
संयोजक,
बिहार सोशल वॉच
मो० 9431419356, 9472257462
ई–मेलः biharsocialwatch@gmail.com

विषय सूची

क्र०	विषय	पृष्ठ संख्या
01.	बिहार का विधायी इतिहास	07 – 13
02.	15वीं विधान सभा के प्रथम सत्र की गतिविधियां	14 – 16
03.	15वीं विधान सभा में दलगत स्थिति	17 – 19
04.	15वीं विधान सभा का प्रथम सत्र : एक झलक	19 – 20
05.	15वीं विधान सभा के अध्यक्ष पद का चुनाव	20 – 21
06.	महामहिम राज्यपाल का अभिभाषण	21 – 27
07.	15वीं विधान सभा का प्रथम सत्र–औपचारिक / वित्तीय कार्य / शोक प्रस्ताव (03.12.2010)	27 – 27
08.	राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव	27 – 31
09.	अभिभाषण पर उठे मुद्दे–मुख्यमंत्री का उत्तर	31 – 35
10.	15वीं सभा – प्रथम सत्र में प्रश्नों की स्थिति	36 – 37
11.	अल्पसूचित,तारांकित,अतारांकित प्रश्न के नियम	37 – 38
12.	15वीं सभा के विभिन्न सत्रों में बैठकों की स्थिति	39 – 39
13.	15वीं सभा के प्रथम सत्र में बैठकवार समय	39 – 39
14.	15वीं सभा के प्रथम सत्र में शून्यकाल सूचना	40 – 41
15.	14वीं सभा–विधायी कार्यकलाप : एक झलक	42 – 54
16.	15वीं सभा की समितियों की स्थिति	55 – 55
17.	15वीं सभा के प्रथम सत्र में विधायी कार्य	56 – 56
18.	15वीं सभा के प्रथम सत्र में वित्तीय कार्य	56 – 59
19.	15वीं सभा के प्रथम सत्र की झलकियां	59 – 62
20.	सभा की प्रक्रिया तथा कार्य–संचालन नियमावली के अनुसार कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान	63 – 64
21.	कुछ अन्य महत्वपूर्ण जानकारी	64 – 67
22.	संदर्भ	68 – 68

बिहार का विधायी इतिहास

बिहार में सर्वप्रथम वर्ष 1913 में बिहार एवं उड़ीसा विधायी प्राधिकार की स्थापना की गई थी और 43 सदस्यीय गठित विधायी परिषद में निर्वाचन के जरिए 24 सदस्य एवं 19 मनोनीत सदस्य शामिल किए गए थे। प्रथम विधायी परिषद की प्रथम बैठक 20.01.1913 ई को बांकीपुर (पटना) अवस्थित कौंसिल चैम्बर में उप राज्यपाल स्टूवर्ट वेले की अध्यक्षता में हुई थी। दरअसल बिहार एवं उड़ीसा संयुक्त राज्य का गठन और बंगाल से अलग करने की घोषणा 22.03.1912 को किया गया था जो 01.04.1912 के प्रभाव से अस्तित्व में आया। उस समय वर्तमान बिहार और झारखंड सहित उड़ीसा प्रमंडल भी बिहार में ही शामिल था। विदित हो कि ब्रिटिश सम्राट ने दिनांक 12.12.1911 को जब भारत की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने का निर्णय लिया था उसी वक्त बिहार एवं उड़ीसा को संयुक्त रूप में बंगाल से अलग कर गर्वनर–इन– कौंसिल के शासन वाला प्रांत बनाने का निर्णय भी लिया था किंतु उक्त आशय की विधिवत घोषणा 22 मार्च 1912 को की गई थी।

बिहार के प्रथम उपराज्यपाल बने थे–स्टूवर्ट बेले, के.सी. एस. अपई किंतु बाद में 29.12.1920 को रायपुर वासी महामहिम माननीय श्री सत्येन्द्र प्रसन्नों (बैरोन) सिन्हा प्रथम भारतीय राज्यपाल बने और बिहार एवं उड़ीसा राज्य राज्यपाल के शासन वाला प्रदेश बन गया। उन्होंने विधायी परिषद का विस्तार करते हुए 103 सदस्यीय बनाने की सहमति प्रदान की जिसमें 76 निर्वाचित सदस्य एवं 27 राज्यपाल द्वारा मनोनीत सदस्य शामिल किए जाने का प्रावधान किया गया। वर्ष 1920 में विधायी परिषद का भवन भी बनकर तैयार हो गया।

विधायी परिषद के अपने भवन में 07.02.1921 को सर मुडा की अध्यक्षता में पहली बैठक सम्पन्न हुई। बाद में वही भवन विधान सभा का भवन बन गया। वर्ष 1935 में बिहार विधान परिषद का भवन बना। आजादी के पूर्व ही वर्ष 1937 में बिहार विधान सभा का गठन हुआ। वर्ष 1937 में विधान सभा में 42 कार्य दिवसों में चर्चा–बहस हुई। वर्ष 1938 में 59 कार्य दिवसों में सभा की कार्यवाही चली। वर्ष 1939 में अक्टूबर माह तक ही सभा की कार्यवाही चली ओर कुल कार्य दिवसों की संख्या 54 आंकी गई। 31.101939 को तत्कालीन मुख्यमंत्री डा. श्रीकृष्ण सिंह ने अपना इस्तीफा सौंप दिया जिसके कारण बिहार विधान सभा विघटित कर दी गई। स्पष्ट है कि नवम्बर,1939 से वर्ष 1945 तक बिहार विधान सभा विघटित रही।

दरअसल 22 जुलाई 1937 को डा० श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में प्रथम सरकार गठित हुई थी और 22 जुलाई 1937 को बिहार विधान मंडल का पहला संयुक्त अधिवेशन सम्पन्न हुआ था। वर्ष 1940 से वर्ष 1945 ई० तक बिहार विधान सभा में एक भी कार्य दिवस की कार्यवाही नहीं चली। वर्ष 1946 में 40 कार्य दिवसों की सदन की कार्यवाही चली और अंग्रेज सल्तनत के समय में भी जब वर्ष 1947 में 365 दिवसों में 226 दिनों तक देश गुलाम था तब भी बिहार विधान सभा में 60 बैठकें हुई थी अर्थात 60 दिनों की कार्यवाही चली थी। वर्ष 1952 में सम्पन्न बिहार विधान सभा चुनाव में 330 सदस्यों का प्रत्यक्ष निर्वाचन हुआ था तथा एक सदस्य मनोनीत किए गए थे।

राज्य पुनर्गठन आयोग की अनुशंसाओं के आधार पर 01.11.1956 को बिहार की कुल 3166 वर्गमील भूमि तथा 14,46,385 की आबादी बंगाल को अन्तरित कर दी गई जिसके कारण बिहार विधान सभा के सदस्यों की संख्या (330) में कटौती कर एक मनोनीत सदस्य मिलाकर 319 कर दी गई। बिहार विधान सभा में 318 निर्वाचित सदस्य एवं एक मनोनीत सदस्य की व्यवस्था 1962 से लेकर 1972 ई–तक सम्पन्न सभी विधान सभा चुनावों में लागू रही। पुनः 1977 में सदस्यों की संख्या बढ़ाकर 324 की गई और एक मनोनीत सदस्य मिलाकर 1977 से 14 नवम्बर 2000 तक विधान सभा में कुल सदस्यों की संख्या 325 रही। 15.11.2000 ई० को बिहार के विभाजन के बाद अर्थात झारखंड राज्य बनने के बाद बिहार विधान सभा में सदस्यों की संख्या 243 रह गई।

पृथक झारखंड राज्य गठन के उपरांत दिनांक 15.11.2000 को एक मनोनीत सदस्य मिलाकर 82 सदस्य झारखण्ड विधान सभा में गए और 243 सदस्य बिहार विधान सभा के सदस्य बने रहे जो आज भी कायम है। 15वीं विधान सभा में

अनुसूचित जाति के 38 सदस्य, अनुसूचित जनजाति के 2 सदस्य एवं 34 महिला सदस्य हैं। वर्ष 1957 से विधान सभा में विरोधी दल के नेता की मान्यता दिए जाने का प्रावधान है। वर्ष 1937 से ही विधान सभा का अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का चुनाव होता है।

बिहार विधान सभा का वर्ष 1937 से वर्ष 2012 ई० तक सम्पन्न बैठक

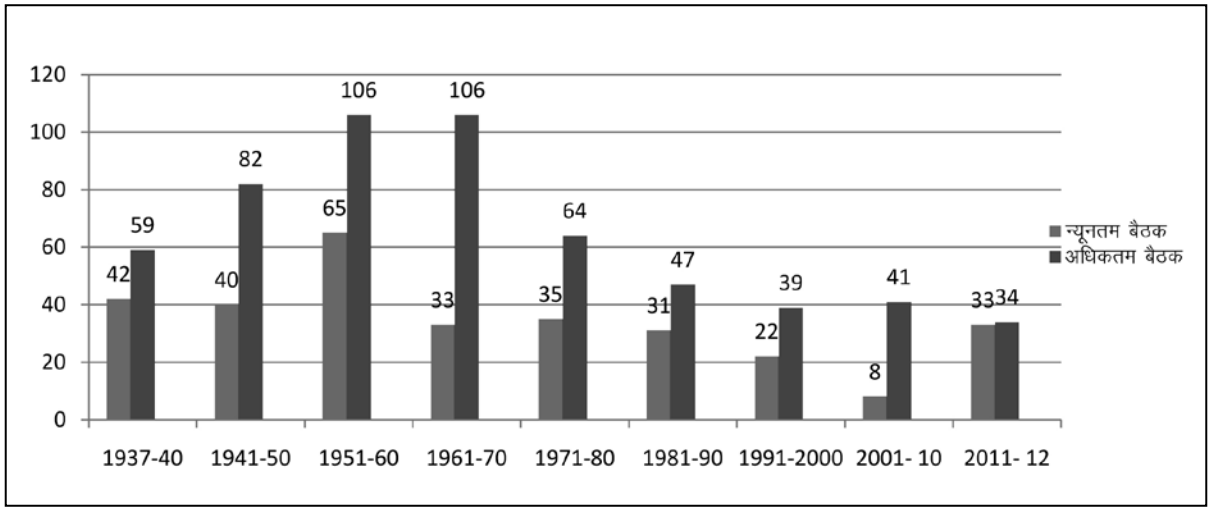

Source: vidhansabha.bih.nic.in

बिहार विधान सभा का वर्ष 1937 से वर्ष 2012 ई० तक सम्पन्न बैठक

वर्ष	कुल सम्पन्न बैठक	वर्ष	कुल सम्पन्न बैठक	वर्ष	कुल सम्पन्न बैठक
1937	42	1966	58	1990	45
1938	59	1968	37	1992	35
1939	54	1969	33	1993	36
1946	40	1970	55	1994	32
1947	60	1971	35	1995	39
1948	68	1972	54	1996	34
1950	80	1974	55	1998	31
1951	93	1975	38	1999	27
1952	71	1976	51	2000	35
1953	90	1977	45	2001	24
1954	65	1978	47	2002	40
1956	92	1980	48	2008	34
1957	68	1981	42	2004	24
1958	75	1982	407	2005	8
1959	85	1983	38	2006	32
1960	106	1984	37	2007	34
1962	63	1986	31	2010	37
1963	61	1987	31	2011	34
1964	75	1988	31	2012	33
1965	73	1989	33		

Source: vidhansabha.bih.nic.in

वर्ष 1990 से वर्ष 2004 तक विधान सभा की सम्पन्न बैठकों की स्थिति।

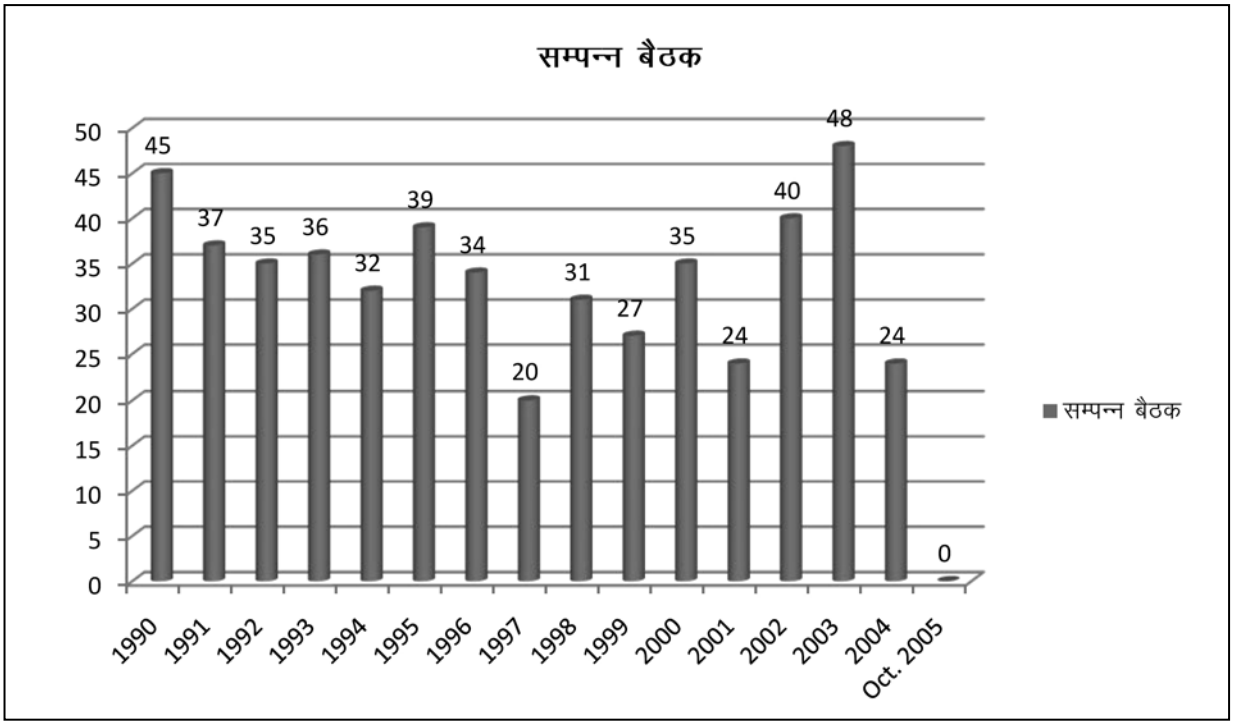

Source: vidhansabha.bih.nic.in

वर्ष 1990 से वर्ष 2005 तक विधान सभा की सम्पन्न बैठक

वर्ष	सम्पन्न बैठक	वर्ष	सम्पन्न बैठक
1990	45	1998	31
1991	37	1999	27
1992	35	2000	35
1993	36	2001	24
1994	32	2002	40
1995	39	2003	48
1996	34	2004	24
1997	20	अक्टूबर 2005 तक	शून्य

नवम्बर 2005 से अगस्त 2012 तक 14वीं एवं 15वीं विधान सभा की सम्पन्न बैठकों की स्थिति

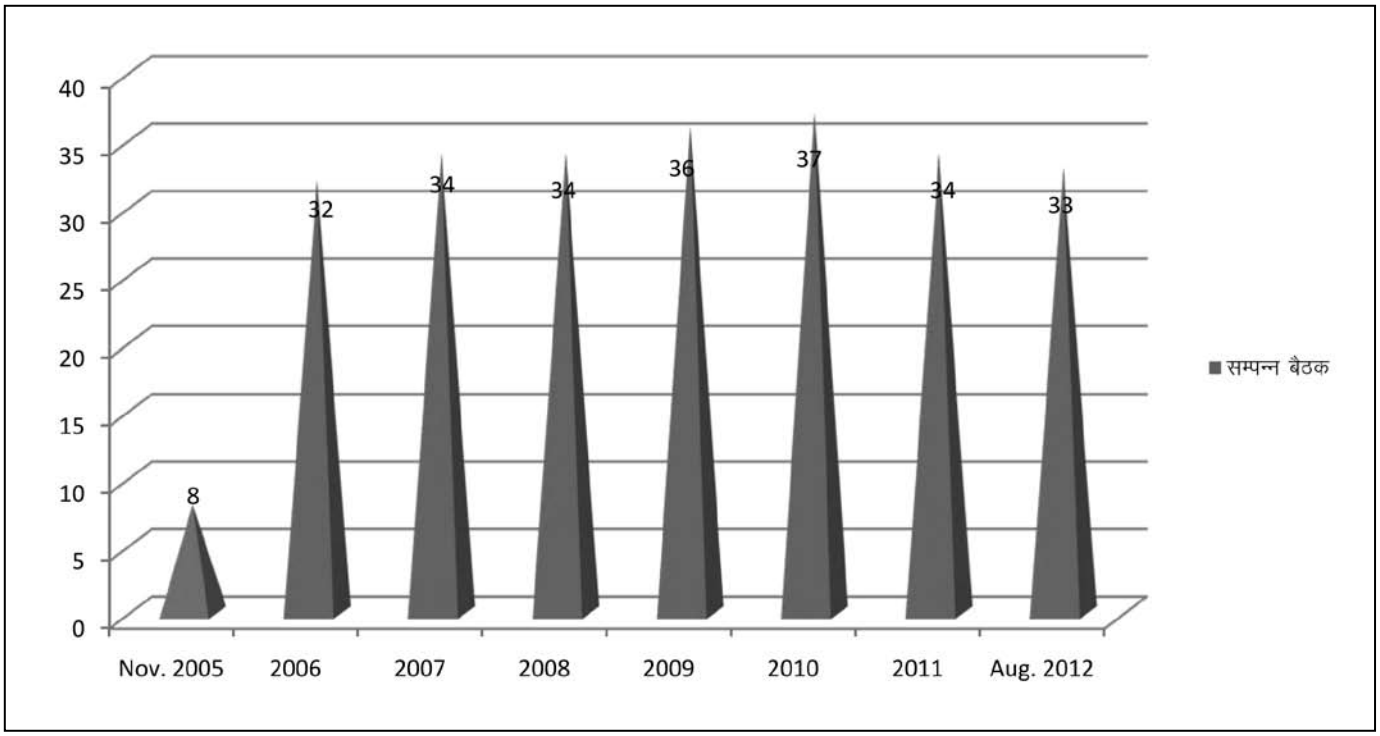

नवम्बर 2005 से अगस्त 2012 तक 14वीं एवं 15वीं विधान सभा की सम्पन्न बैठक

वर्ष	सम्पन्न बैठक	वर्ष	सम्पन्न बैठक
नवंबर 2005 से	08	2009	36
2006	32	2010	37
2007	34	2011	34
2008	34	अगस्त 2012 तक	33

राष्ट्रपति शासन के कारण घंटे विधान सभा के कार्य दिवस

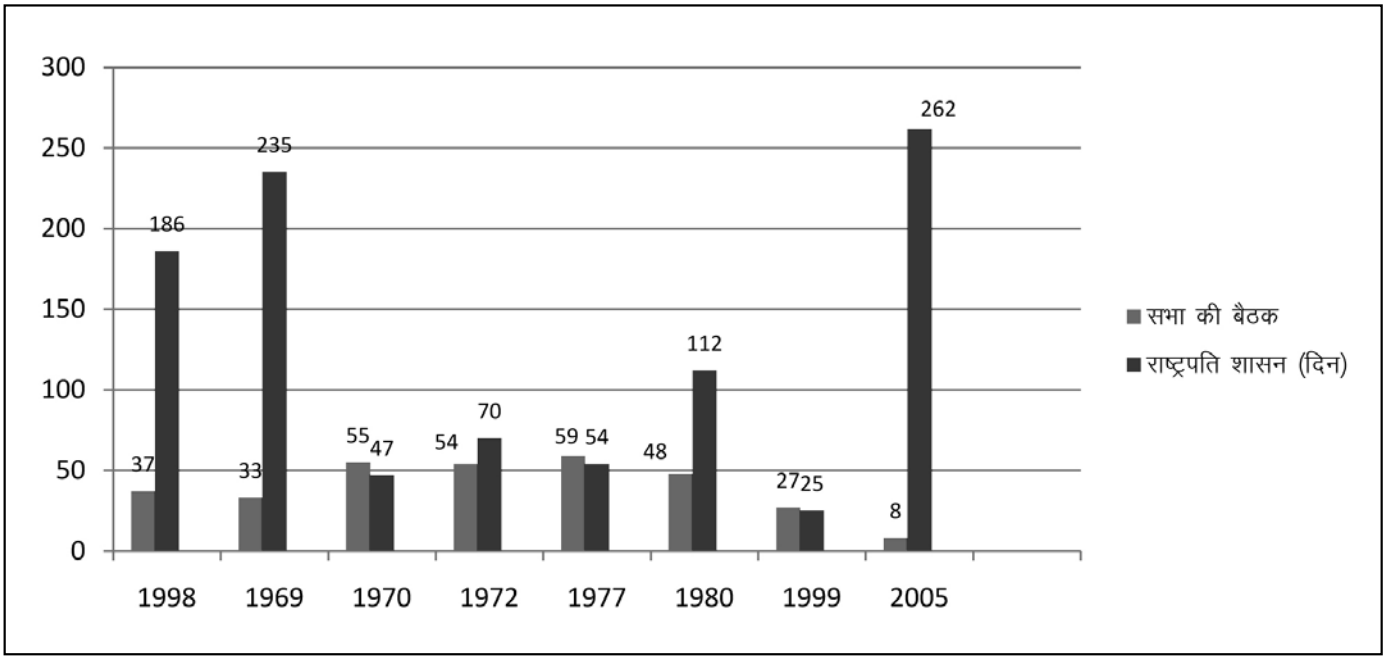

वर्ष	सभा की बैठकें	राष्ट्रपति शासन की अवधि	बैठक विहीन दिवस
1968	37	29.06.1968 से 31.12.1968 तक	186 दिन
1969	33	01.011969 से 26.02.1969 पू. तक	57 दिन
		06.07.1969 से 31.12.1969 तक	178 दिन
1970	55	01.01.1970 से 16.02.70 पू. तक	47 दिन
1972	54	09.01.1972 से 19.03.72 पू. तक	70 दिन
1977	59	30.04.1977 से 24.06.77 पू. तक	54 दिन
1980	48	17.02.1980से 08.06.1980 पू. तक	112 दिन
1999	27	12.02.1999 से 08.03.1999 तक	25 दिन
2005–	08	07.03.2005 से 24.11.2005 पू. तक	262 दिन

बिहार विधान सभा में सम्पन्न बैठकों की संख्या संबंधी तथ्यों की समीक्षा से पता चलता है कि पिछले 14 बार स्थापित विधान सभा में वर्ष 1962 की अवधि स्वर्णिम काल साबित हुई। वर्ष 1960 में भी सभा की बैठकों की संख्या 106 आकलित की गई थी किंतु बाद की अवधि में वर्ष वार सभा की बैठकों की संख्या में वर्ष 2005 तक कमी आना चिंतनीय है।

बिहार विधान सभा में सन् 1937 से नवम्बर, 2010 ई० तक महिलाओं का प्रतिनिधित्व

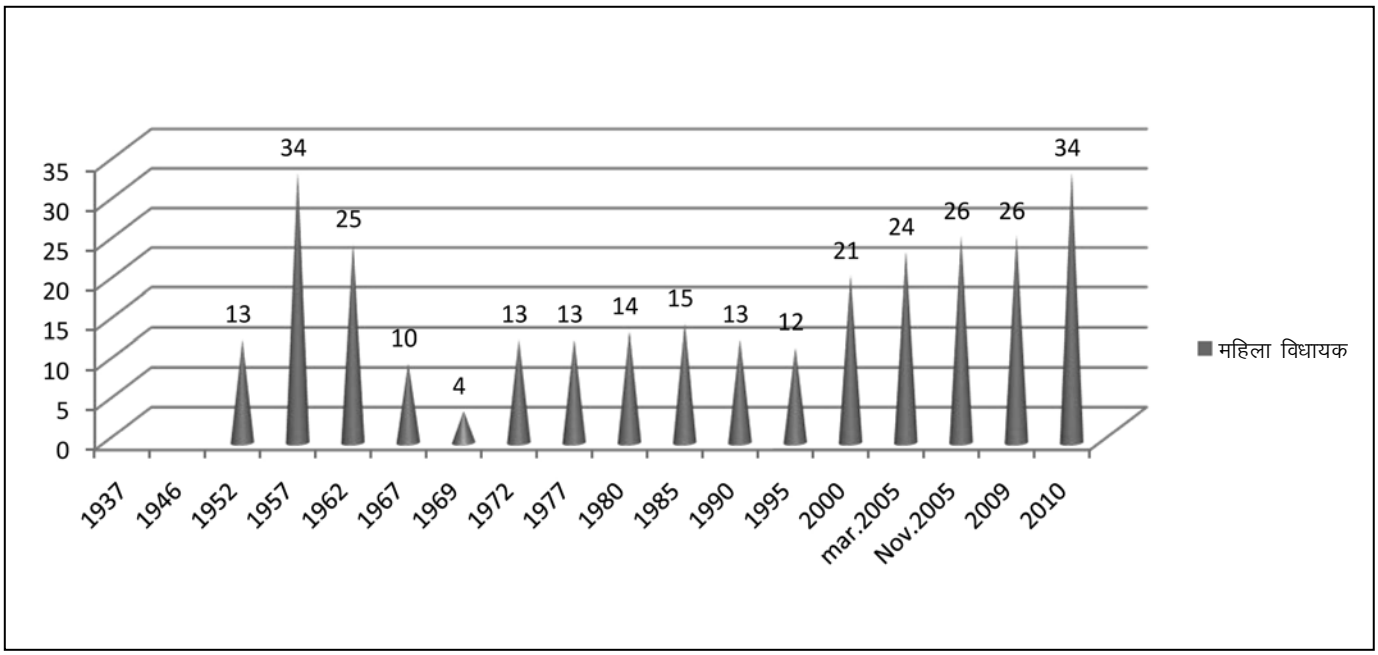

बिहार विधान सभा में सन् 1937 से नवम्बर, 2010 ई० तक महिलाओं का प्रतिनिधित्व

वर्ष	गठित सभा	महिलाएं	वर्ष	गठित सभा	महिलाएं
1952	प्रथम सभा	13	1985	09वीं सभा	15
1957	दूसरी सभा	34	1990	10वीं सभा	13
1962	तीसरी सभा	25	1995	11वीं सभा	12
1967	चौथी सभा	10	2000	12वीं सभा	21
1969	05वीं सभा	04	नवम्बर, 05	14वीं सभा	26
1972	06वीं सभा	13	मार्च, 05	13वीं सभा	24
1977	07वीं सभा	13	अगस्त, 09	14वीं सभा	26
1980	08वीं सभा	14	नवम्बर 2010	15वीं सभा	34

आजादी के पूर्व वर्ष 1937 एवं वर्ष 1946 में बिहार विधान सभा में 04–04 महिलाओं का प्रतिनिधित्व था। अविभाजित बिहार में 1957 में गठित बिहार विधान सभा में यानि आजादी के बाद दूसरी विधान–सभा में चुनकर आई महिलाओं की संख्या 34 थी जबकि अविभाजित बिहार की अंतिम विधान सभा वर्ष 2000 में महिला सदस्यों की संख्या घटकर मात्र 21 पाई गई। वर्तमान बिहार में नवम्बर 2005 में गठित 14वीं विधान सभा में महिलाओं की संख्या बढ़कर 26 एवं नवम्बर 2010 में गठित 15वीं विधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या बढ़कर 34 हो गई जो राजनीति में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी दर्शाता है।

बिहार विधान सभा में 1937 ई० से नवम्बर 2010 ई० तक अनुसूचित जाति का प्रतिनिधित्व

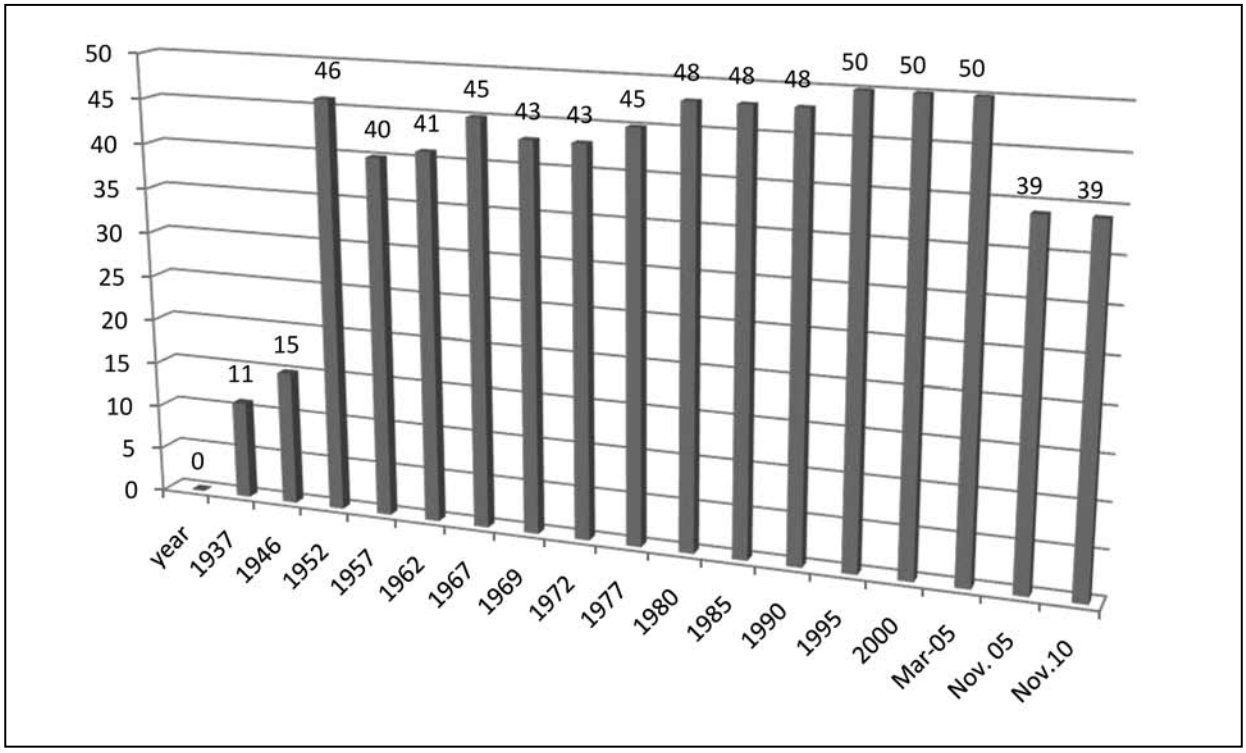

बिहार विधान सभा में 1937 ई० से नवम्बर 2010 ई० तक अनुसूचित जाति का प्रतिनिधित्व

वर्ष	गठित सभा	अनु० जाति (संख्या)	वर्ष	गठित सभा	अनु० जाति (संख्या)
1937	——	11	1980	08वीं सभा	48
1946	——	15	1985	09वीं सभा	48
1952	प्रथम सभा	46	1990	10वीं सभा	50
1957	दूसरी सभा	40	1995	11वीं सभा	50
1962	तृतीय सभा	41	2000	12वीं सभा	50
1967	चौथी सभा	45	मार्च, 05	13वीं सभा	39
1969	05वीं सभा	43	नवम्बर, 05	14वीं सभा	39
1972	छठी सभा	43	नवम्बर 2010	15वीं सभा	39
1977	07वीं सभा	45			

15 वीं विधान सभा के प्रथम सत्र की संक्षिप्त गतिविधियां

बिहार विधान सभा के सत्र संचालन और प्रक्रिया को लेकर राजनीतिक बहस होती रहती है। सत्र के दौरान हंगामा और वाद–विवाद का दौर चलता रहता है। अब यह भी सवाल उठने लगा है कि विधान सभा में घटते कार्य दिवसों के कारण प्रति मिनट खर्च बढ़ता जा रहा है और हंगामा से हो रही समय की बर्बादी से आम नागरिकों को भी चिंता सताने लगी है। लेकिन सत्र संचालन और प्रक्रिया का दूसरा पक्ष भी है कि इसका कार्य विधान क्या है ? जो सवाल विधान सभा के पटल पर आते हैं, उनका सरोकार किस विषय से है और उसको लेकर सदस्यों को क्या रूचि है ? हमने 15 वीं विधान सभा के पहले सत्र की कार्यवाही का अध्ययन किया था और सभा की कार्यवाही में शामिल कई पत्रकारों से यह जानने की काशिश की थी कि कार्यवाही को लेकर कितने और कौन–कौन सदस्य गंभीर हैं ? विधान सभा में किस प्रकार के सवाल पूछे जा रहे हैं ?

बिहार में 15वीं विधान सभा के प्रथम सत्र के रूप में वर्ष 2010 का शीतकालीन सत्र 30 नवम्बर, 2010 को प्रारम्भ हुआ। प्रथम सत्र के पहले दिन सदन में 250 मिनट तक गहमागहमी रही। प्रथम पाली में 2 घंटा और दूसरी पाली में 2 घंटा 10 मिनट की अवधि में कार्यवाहक अध्यक्ष श्री सदानन्द सिंह ने 15 वीं विधान सभा के लिए नवनिर्वाचित विधायकों का शपथ ग्रहण कराया। यही क्रम दूसरे दिन 01 दिसम्बर को भी चला और कार्यवाहक अध्यक्ष ने प्रथम वाली के 35 मिनट के सत्र में 28 सदस्यों को शपथ/प्रतिज्ञान ग्रहण कराया गया। किंतु 6 सदस्य दूसरे दिन भी अनुपस्थित रहे। सत्र के तीसरे दिन (2 दिसम्बर, 2010 को) मात्र 5 सदस्यों ने शपथ/प्रतिज्ञान लिया और पुन : एक सदस्य अनुपस्थित पाये गये। सत्र के तीसरा दिन भी मात्र 40 मिनट तक कार्य हुआ। अस्थायी अध्यक्ष ने सभा अध्यक्ष के चुनाव के लिए महामहिम राज्यपाल, बिहार (श्री देवानन्द कुँवर) द्वारा निर्धारित की गई तिथि 02 दिसम्बर 2010 संबंधी जारी आदेश को सभा सचिव को पढ़ने का निर्देश दिया और सचिव ने पढ़कर सुनाया। अस्थायी अध्यक्ष के निर्देश पर सभा सचिव ने अध्यक्ष के निर्वाचन के संबंध में बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के निहित प्रावधानों एवं मत विभाजन को प्रक्रिया को सदन में पढ़कर सुनाया। हालांकि मत विभाजन की नौबत नहीं आई और जद (यू), राजद, कांग्रेस, लोजपा, भाजपा आदि सभी दलों के प्रमुख सदस्यों ने पूर्व अध्यक्ष श्री उदयनारायण चौधरी को सभा अध्यक्ष के लिए नाम प्रस्तावित व अनुमोदित कर सर्वसम्मति से पुनः अध्यक्ष बनाया जिससे बिहार विधान सभा में सदन की मर्यादित परम्परा को मजबूती मिली। अध्यक्ष चुने जाने पर श्री चौधरी को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी, विरोधी दल के अब्दुल बारी सिद्धिकी सहित सभी सदस्यों ने बधाई दी। कार्यवाहक अध्यक्ष सदानन्द सिंह श्री चौधरी को आसन तक 3 दिसम्बर (चौथा दिन) को मात्र प्रथम पाली में डेढ़ घंटा तक सत्र चला। 1–3 दिसम्बर तक तीनों दिन द्वितीय पाली में सत्र स्थगित रखा गया जबकि विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के अनुसार केवल सत्र के प्रथम दिन प्रश्न एवं औपचारिक कार्य किए जाने पर प्रतिबंध है।

प्रथम पाली के मात्र 95 मिनट के सत्र में सर्वप्रथम विगत 3 दिनों से अनुपस्थित मोकामा के विधायक अनन्त कुमार सिंह का नाम शपथ/प्रतिज्ञान लेने के लिए पुकारा गया किंतु वे चौथे दिन भी अनुपस्थित पाये गए। बाद में अध्यक्ष ने बिहार विधान मंडल के दोनों सदनों को 03.12.2012 को 11.30 बजे से महामहिम राज्यपाल द्वारा संबोधित करने संबंधी प्राप्त संदेश पढ़कर सुनाया और उनके (राज्यपाल) स्वागत हेतु और सदन में लाने के लिए आसन छोड़कर स्वयं बाहर आए। राष्ट्रीय धुन के वादन के बाद सभा अध्यक्ष एवं परिषद सभापति की उपस्थिति में आसन ग्रहण कर सभा सचिव के आग्रह पर महामहिम राज्यपाल ने अपना अभिभाषण पढ़ा। अभिभाषण राज्य सरकार की विगत 5 वर्षो की उपलब्धियां सहित एक आधुनिक, भयमुक्त एवं वर्ष 2015 तक विकसित बिहार बनाने संबंधी बिहार सरकार का ध्येय एवं लक्ष्य तक केन्द्रित

रहा और दोनों सदनों के सभी सदस्यों से सहयोग व योगदान करने की अपील भी की ।

उक्त अभिभाषण के बाद सभा अध्यक्ष ने श्री नीतीश कुमार को सदन का नेता एवं श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी को विरोधी दल के नेता के रूप में मान्यता प्रदान की। सभा अध्यक्ष ने 4 सदस्यीय अध्यासी सदस्यों का मनोनयन किया और 8 सदस्यीय कार्य मंत्रणा समिति भी गठित कर दी। सभा सचिव ने 14 वीं विधान सभा के दौरान दोनों सदनों द्वारा पारित राज्यपाल द्वारा अनुमति प्राप्त एवं पटल पर रखे गए तीन विधेयकों का विवरण एवं अनुमति की तिथि से सदस्यों को अवगत कराया :–

1. यूनिवर्सिटी ऑफ नालन्दा (निरसन) विधेयक 2010 (अनुमति–23.08.2010)
2. बिहार राज कोषीय उत्तर दायित्व और बजट प्रबंधक (संशोधन)
   विधेयक, 2010 (अनुमति की तिथि–30.07.2010)
3. बिहार विनियोग (संख्या) विधेयक, 2010 (अनुमति की तिथि–30.07.2010)

राज्य के वित्त मंत्री के रूप में उपमुख्यमंत्री श्री सुशील कुमार मोदी ने वर्ष 2010–11के लिए स्वीकृत बजट के अतिरिक्त संभावित खर्च का आकलन संबंधी द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरण उपस्थापित किया। सभा अध्यक्ष ने विधान सभा के 8 पूर्व सदस्यों के निधन पर शोक प्रस्ताव लाया और सदन के सदस्यों ने उनकी आत्मा को श्रद्धांजलि अर्पित की ।

वर्तमान विधान सभा का पहला सत्र 30 नवम्बर,2010 से 9 दिसंबर, 2010 तक बिहार विधान सभा के सभागार में 30 नवम्बर 2010 को 243 सदस्यों में से 209 सदस्यों ने शपथ/ प्रतिज्ञान लिया। 01 दिसम्बर 2010 को शेष 34 सदस्यों को अपनी सदस्यता संबंधी शपथ लेना था किंतु मात्र 28 सदस्यों ने शपथ लिए। शेष 6 अनुपस्थित सदस्यों में 5 सदस्यों ने 2 दिसम्बर को शपथ ले ली किंतु मोकामा के विधायक अनन्त कुमार सिंह पूरे सत्र में अनुपस्थित रहे। यानि 10 दिनों तक चला था। सत्र का पहला चार दिन यानी 30 नवम्बर तथा एक से तीन दिसम्बर 2010 तक सदस्यों के शपथ ग्रहण, अध्यक्ष का चुनाव, सत्ता और विपक्ष के नेता का चुनाव तथा राज्यपाल के अभिभाषण में ही समाप्त हो गये जबकि सामूहिक शपथ ग्रहण को प्रक्रिया के जरिए एक दिन में भी शपथ ग्रहण संभव है। हालांकि इन चार दिनों के बाद के चार दिनों (06.12.2010.09.12.2010) में प्रश्न काल, शून्यकाल और ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के जरिये अनेक गंभीर मुद्धे उठाये गये और इन पर सरकार का जवाब भी आया। वर्तमान विधान सभा के पहले सत्र का एक महत्वपूर्ण कार्य राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव रहा है।

धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा छह दिसंबर को भोजनावकाश के बाद शुरू हुई। धन्यवाद प्रस्ताव जदयू के विधायक श्री श्रवण कुमार ने पेश किया जिसका समर्थन व अनुमोदन भाजपा के विधायक श्री विनोद नारायण झा ने किया। इस पर राजद के विधायक श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी, कांग्रेस के विधायक श्री जाकिर हुसैन व भाजपा के विधायक श्री अवधेश कुमार राय ने संशोधन प्रस्ताव पेश किया। अभिभाषण पर वाद–विवाद के लिए 240 मिनट का समय तय किया गया था इसमें जदयू को 113 मिनट, भाजपा को 90 मिनट, राजद को 21 मिनट, कांग्रेस को पांच मिनट, लोजपा को चार मिनट और निर्दलीय सदस्य की छह मिनट को समय आवंटित किया गया था। धन्यवाद प्रस्ताव पर दो दिनों तक हुई चर्चा में अब्दुल बारी सिद्दिकी, राज किशोर केसरी, प्रमोद कुमार, सदानंद सिंह, डॉ इजहार अहमद, डॉ जाकिर हुसैन, राजेश सिंह, अवधेश कुमार , जवाहर प्रसाद, ज्योति रश्मि, दुलाल चंद गोस्वामी, विनय बिहारी, पवन कुमार जायसवाल, सुमित कुमार सिंह और सोम प्रकाश सिंह ने भाग लिया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर सरकार का पक्ष रखा। चर्चा के दौरान विपक्ष के संशोधन प्रस्तावों को नकारते हुए सदन ने ध्वनि मत से अभिभाषण के समर्थन में प्रस्तुत धन्यवाद प्रस्ताव को पारित कर दिया।

पहले सत्र में दूसरा वाद–विवाद कृषि विभाग के द्वितीय अनुपूरक मांग पर हुआ। इस संबंध मे आठ दिसंबर, 2010 को कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह ने सदन में अपना प्रस्ताव रखा। जिस पर डॉ फैयाज अहमद ने कटौती प्रस्ताव पेश किया। बहस में अनेक सदस्यों यथा–दिनेश प्रसाद, डा० अच्युतानंद सिंह, चंद्रशेखर, शालीग्राम यादव, रामदेव महतो, दुर्गा प्रसाद सिंह, पूनम देवी यादव, रामायण मांझी, अवधेश कुमार राय, वीरेंद्र कुमार सिंह, रश्मि ज्योति, पवन कुमार जायसवाल, सोम प्रकाश सिंह एवं विक्रम कुंवर ने भाग लिया। सरकार की ओर से कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह ने जवाब दिया। ध्वनिमत से डॉ फैयाज अहमद के कटौती प्रस्ताव को नकारते हुए सदन ने मांग को स्वीकार कर लिया। इसी दिन सदन ने दर्जन भर विभागों अनुपूरक मांगों को पारित कर दिया। वर्तमान विधान सभा के पहले सत्र में 177 प्रश्न विधायकों की ओर से सदन को मिले थे, जिसमें 118 प्रश्न को स्वीकृत किया गया था। कुल स्वीकृत प्रश्नों में से 92 अतारांकित थे, जबकि 26 अल्पसूचित प्रश्न थे। सदन में विधायकों की ओर से 25 प्रश्न पूछे गये और जिनका उत्तर सरकार ने दिया। एक प्रश्न विधायक की अनुपस्थिति के कारण हीं पूछा गया। इस कारण वह प्रश्न अनुत्तरित रह गया। प्रश्न काल में कुल 25 सवाल पूछे गये। इनमें सबसे अधिक 6 सवाल डा० अच्युतानंद सिंह ने पूछे। श्री अमरेन्द्र प्रताप सिंह ने तीन और श्री ललित कुमार यादव व डॉ अरूण कुमार ने दो–दो सवाल पूछे। इनके अलावा इजहार अहमद, राहुल कुमार, ताराकिशोर प्रसाद, वीरेंद्र कुमार सिंह, विक्रम कुंवर, नीरज कुमार सिंह, विभाष चंद्र चौधरी, राम सेवक हजारी, आलोक रंजन, लेसी सिंह, प्रदीप कुमार और विनय कुमार सिंह ने एक–एक प्रश्न पूछे।

शून्य काल के लिए चार दिनों में सदस्यों द्वारा कुल 91 सूचना प्रस्तुत किए गए जिनमें सदन के लिए 51 सूचना स्वीकृत किए गए जिनमें 48 सदस्यों ने सूचना की प्रस्तुति की तथा संबंधित विभागों के मंत्रियों से कार्रवाई करने का अनुरोध किया। छह दिसंबर को चार, सात दिसंबर को 14, आठ दिसंबर को 15 और नौ दिसबंर को 15 सवाल पूछे गये। वर्तमान विधान सभा के पहले सत्र में शून्य काल में मात्र 30 सदस्यों ने 48 सवाल पूछे अर्थात शून्य काल में पूछे गए प्रश्नों में मात्र 30 सदस्यों की भागीदारी हुई। शून्य काल में सर्वाधिक चार सवाल डा० रणविजय कुमार ने पूछे। उसके बाद तीन–तीन सवाल पूछने वालों में प्रदीप कुमार, दिनेश कुमार सिंह, डा० प्रमोद कुमार सिंह एवं सच्चिंद्र प्रसाद सिंह शामिल हैं।

दो–दो सवाल पूछने वाले सदस्यों में विनोद कुमार सिंह, भागीरथी देवी, नौशाद आलम, रामायण मांझी, पवन कुमार जायसवाल, दिलीप वर्मा और डा० अच्युतानंद सिंह शामिल हैं। 18 सदस्यों ने एक–एक सवाल पूछे। एक–एक सवाल पूछने वालों में जवाहर प्रसाद, डॉ प्रमोद कुमार सिंह, सुरेन्द्र प्रसाद सिन्हा, दुलालचंद गोस्वामी, डॉ इजहार अहमद, ललित कुमार यादव, वीरेन्द्र कुमार सिंह, नीरज कुमार सिंह, कुमार शैलेन्द्र, अमरेन्द्र कुमार पांडेय, ताराकिशोर प्रसाद, सत्यदेव सिंह, उमाकांत यादव, जनार्दन मांझी, विनय बिहारी, कृष्णनंदन पासवान, संजय कुमार टाइगर एवं अरूण कुमार प्रसाद शामिल हैं।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव द्वारा भी सदस्यों ने कई समस्याओं की ओर ध्यान आकृष्ट किया। इनमें छह दिसम्बर को राज किशोर केसरी एवं रामलखन राम रमण ने, सात दिसंबर को ललित कुमार यादव एवं रामानंद यादव ने आठ दिसंबर को रामलखन राम रमण, सम्राट चौधरी व आनंदी प्रसाद यादव और अंतिम दिन नौ दिसंबर, 2010 को डॉ फैयाज अहमद, श्रवण कुमार व रामेश्वर प्रसाद ने विभिन्न समस्याओं की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट किया।

सत्र के अंतिम दिन नौ दिसंबर 2010 को सदन के लिए प्राप्त 69 गैर सरकारी संकल्पों में स्वीकृत कुल 66 गैरसरकारी संकल्प सदन के पटल पर रखे गये, जिन्हें सदस्यों ने सरकार के आश्वासन के बाद अपना–अपना संकल्प वापस ले लिया। शेष तीन गैर सरकारी संकल्प माननीय सदस्यों की सदन में अनुपस्थिति के कारण अपृष्ट करार दिए गए।

15वीं बिहार सभा में दलगत सदस्यों की स्थिति

15वीं बिहार सभा में दलगत सदस्यों की स्थिति (नवम्बर 2010)

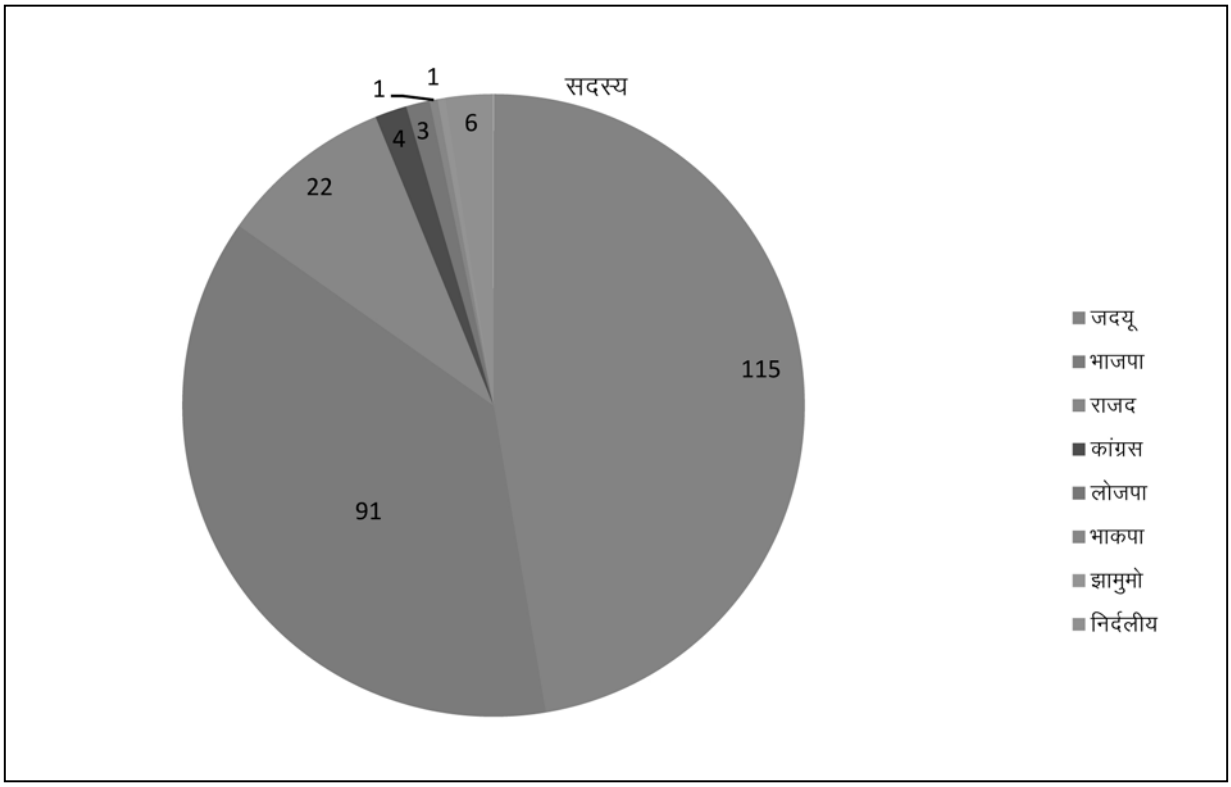

Source: http://www.indian-elections.com/assembly-elections/bihar/election-result-10.html

15वीं बिहार सभा में दलों की स्थिति (नवम्बर 2010)

पार्टी	सदस्य (संख्या)	पार्टी	सदस्य (संख्या)
जदयू	115	भाजपा	91
राजद	22	कांग्रेस	4
लोजपा	3	भाकपा	1
झामुमो	1	निर्दलीय	6
कुल			243

15वीं बिहार सभा में दलगत सदस्यों की स्थिति (नवम्बर 2010)

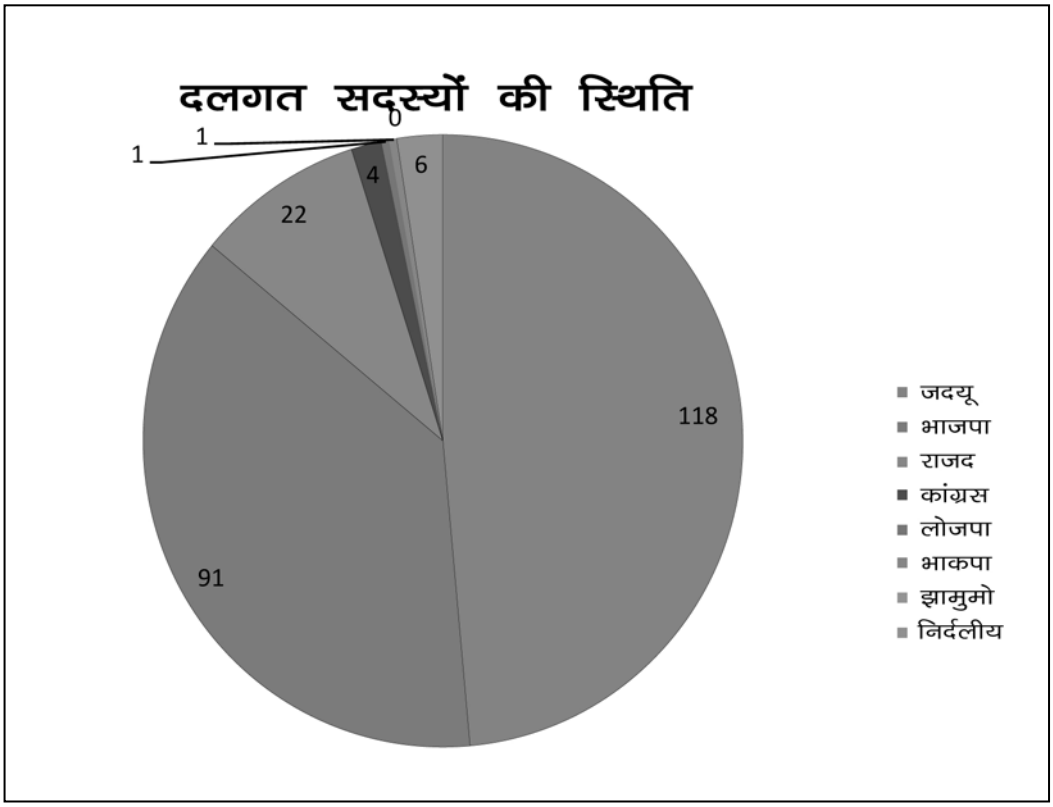

पार्टी	सदस्य (संख्या)	पार्टी	सदस्य (संख्या)
जद(यू)	118	भाजपा	91
राजद	22	कांग्रेस	04
लोजपा	1	भाकपा	1
झामुमो	0	निर्दलीय	6
कुल			243

15वीं विधान सभा के सदस्यों की स्थिति

महिला सदस्यों की संख्या	–	34
महिला सदस्यों में अनु० जाति	–	04
महिला सदस्यों में अनु० जनजाति	–	शून्य
महिला सदस्यों में मंत्री	–	03
अनु० जाति सदस्य	–	38
अनु० जाति सदस्यों में मंत्री	–	04
अनु० जनजाति सदस्य	–	02
अल्पसंख्यक सदस्यों में मंत्री	–	02
विधान सभा अध्यक्ष	–	अनु० जाति

15वीं विधान सभा के प्रथम सत्र की एक झलक

कुल सम्पन्न बैठक	–	08
कुल पूछे गए प्रश्न	–	177
कुल स्वीकृत प्रश्न	–	118 (66.67 प्रतिशत)
स्वीकृत प्रश्नों में स्वीकृत अल्पसूचित	–	26
स्वीकृत तारांकित प्रश्न	–	शून्य
स्वीकृत अतारांकित प्रश्न	–	92
सदन में उत्तरित अल्प सूचित प्रश्नों की संख्या	–	25
अपुष्ट प्रश्नों की संख्या	–	01 (प्रश्नकर्ता सदस्य अनुपस्थित)
शून्य काल के लिए प्राप्त सूचना	–	91
सदन के लिए स्वीकृत सूचना	–	51
शून्य काल में उठाये गए मुद्धे :	–	48
शून्य काल की सूचना वाले अनुपस्थित सदस्य	–	03
कुल प्राप्त ध्यानाकर्षण प्रस्ताव	–	59
सदन में वक्तव्य के लिए स्वीकृत ध्यानाकर्षण	–	08
लिखित उत्तर के लिए स्वीकृत ध्यानाकर्षण	–	40
अमान्य ध्यानाकर्षण प्रस्ताव	–	11
कुल प्राप्त गैर सरकारी संकल्प	–	69
सदन के लिए स्वीकृत गैर सरकारी संकल्प	–	66
अमान्य गैर सरकारी संकल्प	–	03

सदन में वापस लिए गए गैर सरकारी संकल्प	–	63
सदस्य की अनुपस्थिति के कारण सदन में अपृष्ट गैर सरकारी संकल्प	–	03

- प्रथम सत्र की पूरी अवधि में माननीय सदस्य श्री अनन्त कुमार सिंह, क्षेत्र संख्या–178 (मोकामा) अनुपस्थित रहे।
- प्रथम सत्र में किसी भी सदस्य ने कार्य स्थगन प्रस्ताव सदन में प्रस्तुत नहीं किया
- आदिवासी मुद्दों पर रूचि रखने वाले महामहिम राज्यपाल ने अनुसूचित जनजातियों एवं आदिम जनजातियों के विकास के संदर्भ में न तो सरकार की उपलब्धियों को चिन्हित किया और न ही समाज के इन वंचित समुदायों के लिए महत्वपूर्ण योजनाओं के संबंध में कोई घोषणा की।

15वीं विधान सभा के अध्यक्ष पद का चुनाव

प्रथम दिन शपथ नहीं लेने वाले 6 विधायकों में से 2 दिसम्बर 2010 को सदन में 5 सदस्यों ने शपथ लिया किंतु मोकामा विधान सभा के सदस्य श्री अनन्त सिंह अनुपस्थित पाये गये। बाद में बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 9 (1) के अनुसार 28 नवम्बर 2010 को प्राप्त महामहिम राज्यपाल के आदेश के तहत बिहार विधान सभा के अध्यक्ष पद के लिए प्रस्ताव मांगे गए। 6 सदस्यों ने श्री उदय नारायण चौधरी का नाम प्रस्तावित किया और वे लगातार दूसरी बार विधान सभा के अध्यक्ष चुने गए। श्री चौधरी ने सभा अध्यक्ष चुने जाने के बाद सभी सदस्यों के प्रति आभार व्यक्त किया। माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने 14वीं विधानसभा में श्री चौधरी द्वारा बेहतर सभा संचालन किए जाने की प्रशंसा की। उन्होंने 15वीं विधान सभा में विपक्षी सदस्यों की घटी संख्या के कारण सदन की अंदरूनी स्थिति में आए फर्क की ओर इशारा करते हुए कहा कि जहां सत्ता पक्ष को अपनी बात रखने का अधिकार है वहीं विपक्ष को भी अपनी बात मजबूती के साथ रखने का अधिकार है। सदन की गरिमा विपक्ष की भागीदारी से ही है और विपक्ष को आवश्यकता पड़ने पर ज्यादा से ज्यादा वक्त मिलना चाहिए। हम सभी जनता के प्रति जवाबदेह हैं और ..... ।

बिहार में गौरवशाली अतीत को लक्षित कर फिर से इसे प्राप्त करने की आवश्यकता जताई और सदन की गरिमामयी परंपराओं को नई ऊंचाइयों पर ले जाने की वकालत की। श्री सुशील कुमार मोदी, उप–मुख्यमंत्री ने भी सभा अध्यक्ष श्री चौधरी के पिछले 40 वर्षों में समाजकर्मी एवं राजनीतिज्ञ के रूप में उपलब्धियों पर प्रकाश डालते हुए उनकी सराहना की किंतु यह भी कहा कि ''पिछले पांच वर्षों में अनेक ऐसी चीजें थी जिसमें संसदीय प्रक्रिया में सुधार करने की आवश्यकता महसूस की गई जो किन्हीं कारणों से हम नहीं कर पाये थे। मैं आपसे अपेक्षा करूंगा कि इस अवधि में इस कार्यकाल में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों मिलकर जो बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य–संचालन नियमावली हैं, उसमें और क्या संशोधन किया जाए ताकि सदन की प्रक्रिया और बेहतर तरीके से संचालित कर सकें।

विपक्ष की ओर से श्री अब्दुल बारी सिद्धिकी ने सभा अध्यक्ष की प्रशंसा करते हुए मुंशी प्रेमचंद जी की रचित ''पंच परमेश्वर'' की याद दिलाई और उसी रूप में कार्य निर्वहन के लिए जवाबदेह बने रहने की अपेक्षा की। साथ ही सम्पूर्ण विपक्ष की ओर से शुभकामना भी दी।

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के श्री सदानन्द सिंह ने सभा अध्यक्ष को बधाई देते हुए कहा कि प्रजातंत्र में सत्ता और विपक्ष के बिना प्रजातांत्रिक व्यवस्था सुदृढ़ नहीं हो सकती और उसके अनुरूप मुख्यमंत्री जी की भावना के साथ हमलोग सहमति व्यक्त करते हैं।

श्री जाकिर हुसैन खान ने अपनी पार्टी की ओर से सभा अध्यक्ष को मुबारकवाद देते हुए सभी सदस्यों को साथ लेकर चलने, सभी की भावना का कद्र करने और सभी को सदन में अवसर देने की वकालत की।

श्री अवधेश कुमार राय ने वामपंथ की ओर से सभा अध्यक्ष को शुभकामना दी और सदन के संचालन एवं वाद–विवाद में सहयोग व समर्थन देने का आश्वासन देते हुए धन्यवाद दिया। विधान सभा अध्यक्ष श्री उदय नारायण चौधरी ने 14वीं विधान सभा की भांति 15वीं विधान सभा में भी सदस्यों के अनुरूप अपनी जिम्मेवारी का निर्वहन करने में सदस्यों के सक्रिय सहयोग की अपेक्षा की। विशेषकर आसन को मदद करने में वरिष्ठ सदस्यों की जिम्मेवारी बढ़ जाती है। उन्होंने कहा कि संविधान, परम्परा एवं कार्य संचालन नियमावली के माध्यम से लोकतांत्रिक संसदीय प्रणाली को मजबूत करना सभा अध्यक्ष की कुर्सी की मांग होती है। यह प्रक्रिया महत्वपूर्ण है। उन्होंने यह भी कहा कि संसदीय व्यवस्था में सदन राज्य की आत्मा है और जनता के प्रतिनिधियों का सबसे बड़ा मंच है। उन्होंने सदन की मर्यादा एवं गरिमा को बनाये रखने हेतु सदस्यों को कर्त्तव्यबोध भी कराया। अंत में सदन नेता यानि माननीय मुख्यमंत्री ने सभी दलीय नेताओं और सदस्यों के प्रति अति विनम्र भाव से आभार व्यक्त किया ।

03.12.2010 (प्रथम सत्र–दूसरा दिन)
महामहिम राज्यपाल श्री देवानन्द कुंवर का अभिभाषण

भारत के संविधान के अनुच्छेद 176 (1) के बिहार विधान–मंडल के संयुक्त अधिवेशन में बिहार के महामहिम राज्यपाल श्री देवानन्द कुंवर ने अपने अभिभाषण के क्रम में 15वीं विधान सभा के प्रथम सत्र में माननीय सदस्यों का स्वागत करते हुए उन्हें हार्दिक शुभकामनाएं दी तथा नव निर्वाचित सदस्यों को भी बधाई दी। उन्होंनें कामना की कि नवगठित विधान सभा का कार्यकाल राज्य में खुशहाली लाने और नया बिहार बनाने में कामयाब होगा। शांतिपूर्ण, स्वतंत्र तथा निष्पक्ष विधान सभा चुनाव की सराहना करते हुए उन्होंने जनता को भी बधाई दी और कहा कि जनता ने जाति और मजहब से ऊपर उठकर राज्य के विकास के एजेन्डे को स्वीकार करते हुए अपार बहुमत से सरकार का स्वरूप प्रदान किया। उन्होंने सरकार को और जिम्मेदारी से काम करने की अपेक्षा दर्शाते हुए विगत 5 वर्षो में वर्तमान सरकार की उपलब्धियां निम्न रूप में गिनाई :–

उपलब्धियां :– विकास के प्रति जागरूकता उभरी है। अतएव इस मुहिम को रचनात्मक आयाम देने में सभी का सहयोग अपेक्षित।

- आमलोगों की दृढ़ इच्छाशक्ति और संकल्प से हो रहा बदलाव ओर पिछड़ा राज्य कहलाने वाला बिहार अब विकास के पथ पर तेजी से अग्रसर।
- ''बिहार दिवस'' के आयोजन से बिहारी अस्मिता/पहचान को मजबूती मिली।
- जाति, धर्म एवं सम्प्रदाय की संकीर्ण भावनाओं से ऊपर उठकर राज्य हित में सभी को सोचने एवं कार्य करने की जरूरत।
- विधि व्यवस्था में सुधार एवं आपराधिक गतिविधियों पर नियंत्रण से आम लोगों में निश्चिंतता का भाव और उद्योग–धंधों को भी विकसित करने की जमीन तैयार हुई।
- राज्य की 11वीं पंचवर्षीय योजना में 8ः की औसत विकास दर। वैश्विक मंदी, बाढ़ एवं सुखाड़ से त्रस्त बिहार का वर्ष 2008–09 में वार्षिक विकास दर 16.03ः। जबकि पिछले 5 वर्षों में इसका औसत 12.8ः था।

- आय से अधिक सम्पत्ति को जब्त करने हेतु 17 मामलों पर कार्रवाई ।
- ऊर्जा की भारी कमी चिंता का विषय तथा पिछले 5 वर्षों में हुए काफी प्रयास।
- नवीनगर (औरंगाबाद) में 1980 मेगावाट क्षमता के ताप विद्युत केन्द्र की स्थापना। ताप के घरों का आधुनिकीकरण एवं उनके विस्तार की प्रक्रिया जारी।
- त्रि–स्तरीय स्थानीय निकायों एवं प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति में महिलाओं को 50% आरक्षण दिए जाने से महिलाओं का मनोबल ऊंचा हुआ और उनमें जागरूकता बढ़ी।
- बालिका भ्रूण हत्या में कमी लाने में मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना एवं मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना का योगदान सराहनीय।
- 2171 कब्रिस्तानों की घेराबंदी पूरी।

शिक्षा :–

- 12,000 अतिरिक्त उर्दू शिक्षकों की नियुक्ति की गई।
- अलीगढ़ मुस्लिम वि.वि. किशनगंज के लिए किशनगंज में जमीन आवंटित।
- मजहरूल हक अरबी एवं फारसी वि.वि. को जमीन एवं भवन मुहैया कराकर शैक्षिक गतिविधियों का विस्तार।
- राज्य में सर्वयापी नामांकन के तहत 18457 नये प्राथमिक विद्यालय खुले और 14657 प्राथमिक विद्यालयों को मध्य विद्यालयों में उत्क्रमित किया गया।
- मुस्लिम बच्चों के लिए तालिमी मरकज तथा महादलितों के लिए उत्थान केन्द्र प्रारंभ किए गए। संख्या बढ़ाने पर बल।
- बालक–बालिका साइकिल योजना से विद्यालयों में उपस्थिति बढ़ी। अब तक 25.4 लाख छात्र–छात्रओं को लाभ। बालिका शिक्षा के सम्पूर्ण परिदृश्य में अप्रत्याशित बदलाव।
- व्यवसायिक प्रशिक्षण 'हुनर' कार्यक्रम से 40 हजार मुस्लिम लड़कियां लाभान्वित।
- मदरसों के निबंधन पर से रोक को हटाया गया। 2450 नये मदरसों को फायदा और उनके शिक्षकों को लाभ के आसार। शिक्षकों के लिए महंगाई भत्ते में तीन गुना वृद्धि।

स्वास्थ्य :–

- बेतिया, मधेपुरा एवं पावापुरी में स्थापित नये चिकित्सा महाविद्यालयों को यथाशीघ्र चालू करने की प्रक्रिया तेज।
- सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में एक्स–रे (X-Ray) एवं पैथोलॉजी जांच की व्यवस्था एवं सभी 9 प्रमंडलीय मुख्यालयों में क्षेत्रीय जांच केन्द्र स्थापित किए गए। अबतक 8.50 लाख रोगी लाभान्वित।

ऊर्जा :–

- 136219 करोड़ रूपये की कुल लागत एवं 27460 मेगावाट की लक्षित उत्पादन क्षमता के तहत ऊर्जा उत्पादन क्षेत्र की 21 परियोजनाओं की राज्य निवेश प्रोत्साहन पर्षद से स्वीकृति।
- 8466 करोड़ रूपये की कुल लागत एवं 988 मेगावाट की लक्षित उत्पादन क्षमता के तहत गैर पारम्परिक श्रोतों से संबद्ध 21 परियोजनाएं भी स्वीकृत।

कृषि :–

- अतिरिक्त फसल उत्पादन, बागवानी, पशुपालन, डेयरी, सहकारिता, मत्स्य पालन एवं कुक्कुट पालन के विकास के लिए कृषि रोड मैप एवं उस पर कार्यान्वयन जारी।
- कृषि उत्पादन बढ़कर 120 लाख टन हुआ।
- पावर टिलर, थ्रेसर, कृषि एवं सिंचाई उपकरण, सूक्ष्म पोषक तत्व एवं जैविक खेती के लिए किसानों को अनुदान।
- सुखाड़ से निपटने के लिए डीजल अनुदान की प्रक्रिया लागू। क्षेत्र समेकित विकास अंतर्गत खाद्य प्रसंस्करण के प्राप्त 140 प्रस्तावों पर कार्यान्वयन जारी।

पत्रकारों के अनुसार महामहिम राज्यपाल ने राज्य सरकार की ओर से कुछ घोषणाएं भी कीः–

- पुलिस–कर्मियों की संख्या बढ़ाकर सुरक्षा दायरा बढ़ाया जाएगा। पुलिस अधिसंरचना एवं उपकरणों का उन्नयन एवं आधुनिकीकरण किया जाएगा।
- 11वीं योजना के अंतिम वर्ष में 10 प्रतिशत विकास दर हासिल करने पर जोर।
- सार्वजनिक उदव्यय में 20 प्रतिशत की औसत वृद्धि की अपेक्षा।
- भ्रष्टाचार के विरूद्ध प्रारम्भ अभियान को और तेज किया जाएगा। भ्रष्टाचार से अर्जित सम्पत्ति से निर्मित भवनों को जब्त कर उनमें सरकारी विद्यालय संचालित होंगे।
- राज्य संसाधनों से खाद्य सुरक्षा योजना चलायी जाएगी।
- जन वितरण प्रणाली से मिलने वाली सुविधाओं को और अधिक प्रभावशाली ढंग से उपलब्ध कराया जाएगा।
- नवीनगर में 1980 मेगावाट क्षमता के ताप विद्युत केन्द्र की स्थापना। बिहार को विशेष दर्जा देने हेतु केन्द्र सरकार से मांग।
- कोचिंग केन्द्रों की स्थापना कर महिलाओं के नियोजन में वृद्धि। महिला उद्यमियों को प्राथमिकता एवं समुचित प्रोत्साहन ।
- सभी सरकारी योजनाओं में न्यूनतम 33 प्रतिशत लाभुक महिला एवं बालिकाएं होगी।
- अतिरिक्त उर्दू शिक्षकों के 50,000 पदों में शेष 38000 पदों को भरने हेतु प्रक्रिया जारी।
- 1274 अतिरिक्त कब्रिस्तानों की घेराबंदी का लक्ष्य।

- हर कीमत पर राज्य में साम्प्रदायिक सौहार्द बना रहेगा।
- अल्पसंख्यक कल्याण से सम्बद्ध योजनाओं एवं कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए एक स्वतंत्र निदेशालय बनेगा।
- वर्ष 2015 तक विद्यालयीय शिक्षा से बाहर रहने वाले 7.70 लाख बच्चों को विद्यालयों में लाने पर बल।
- नवाचारी कार्यक्रम से 18 वर्ष तक की बालिकाओं सहित वयस्क महिला साक्षरता दर को राष्ट्रीय स्तर के समकक्ष लाने का प्रयास जारी।

स्वास्थ्यः–

- वर्ष 2015 तक बच्चों में वर्तमान कुपोषण स्तर 27.2 प्रतिशत से घटाकर 22 प्रतिशत पर लाना तथा 90 प्रतिशत नियमित टीकाकरण आच्छादन प्राप्त करना।
- 10 वर्षो तक के बच्चों तथा 35 वर्ष आयु तक की महिलाओं के लिए मुफ्त स्वास्थ्य जांच की सुविधा।
- वर्ष 2015 तक शिशु मृत्यु दर को घटाकर 28 पर लाना। वर्ष 2015 तक मातृ मृत्यु दर को एक प्रति 1000 जीवित प्रसव पर लाना।
- न्यूनतम 4 सदमा केन्द्र (ट्रामा सेन्टर) स्थापित किए जाएगें।
- अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) के स्तर का एक चिकित्सा महाविद्यालय खुलेगा।

उर्जा :– वर्ष 2015 तक राज्य के सभी गांवों में बिजली की उपलब्धता होगी।

सड़क :– वर्ष 2015 तक 500 से अधिक जनसंख्या वाले सभी गांवों एवं टोलों को बारहमासी सड़क से जोड़ना लक्षित। राज्य के किसी भी सुदूर गांव से राजधानी (पटना) तक आने में अधिकतम 6 घंटे का समय लगेगा।

पुलिस :–

- सभी प्रमुख राष्ट्रीय उच्च पथों पर विशेष पुलिस थाना की स्थापना।
- राज्य उच्च पथ पेट्रोलिंग प्राधिकार की स्थापना।
- सड़क दुर्घटना के मामले में घायलों की चिकित्सा के लिए अस्पतालों में चलन्त सड़क दुर्घटना में एम्बुलेंस सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी।

शहरी विकास :–

- नये शहरों के निर्माण की योजना तैयार की जाएगी।
- आदर्श छोटे शहरों का निर्माण कर उन्हें रोजगार केन्द्रों के रूप में विकसित किया जाएगा। गंदी बस्ती के विकास के लिए एक नये कार्यक्रम की शुरूआत होगी।

कृषिः–

- कृषि बाजार केन्द्रों के लिए ग्रामीण सम्पर्क सड़क स्थापित होंगे। मछली पालन, बागवानी, कुक्कुट पालन आदि क्षेत्र में कृषि आय बढ़ाने हेतु इन्द्रधनुषी क्रांति लायी जाएगी।

- किसानों को संकरित बीज उपलब्ध कराने हेतु राज्य बीज निगम की आधारभूत संरचना और विकसित होगी।
- ग्रामीण भंडारण योजना के तहत अधिक अनुदान पर निवेश किया जाएगा।
- बिहार भू–जल सिंचाई योजना के तहत किसानों को अधिक सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने पर बल।
- सभी पुराने जमीन्दारी बांधों को चिन्हित कर उनका जीर्णोद्धार करने के लिए जमीन्दारी बांध योजना का विस्तार।
- कृषि उद्योग को बढ़ावा देने का प्रयास होगा।
- बंद पड़े ग्रामोद्योगों को पुनर्जीवित करने की योजना बनेगी।
- खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र को और व्यापक बनाया जाएगा।

राहत/सामाजिक सुरक्षा :–

- सूखाग्रस्त क्षेत्र के प्रभावित परिवारों के वृद्ध, निःशक्त, विधवा, असाध्य रोग से पीड़ित और निराश्रित लोगों को प्रतिदिन 20 रूपये प्रति वयस्क की दर से एक माह के लिए 600 रूपये और अवयस्क के लिए 15 रूपये प्रतिदिन के हिसाब से 450 रूपये एकमुश्त दिये जाएगें।
- केन्द्र सरकार से अपेक्षा : सूखा प्रभावित क्षेत्रों में लोगों को और अधिक सहायता देने के लिए स्थिति और अन्य आवश्यक्ताओं का आंकलन कर राज्य सरकार ने केन्द्र सरकार से 6500 करोड़ रूपये की मांग की थी। किंतु केन्द्र सरकार ने नहीं मुहैया कराया है।

महिलाएं :– महिलाओं के सशक्तिकरण के निरन्तर प्रयास जारी रहेंगें।

वंचित समुदाय :– महिलाओं, महादलितों, अत्यंत पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक समुदाय के सर्वांगीण विकास के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता बनी रहेगी। इन तबकों के उत्थान के साथ इन्हें विकास की मुख्य धारा में लाने के निरन्तर प्रयास जारी रहेंगे।

सुशासन :–

- कानून का राज स्थापित करने के लिए विगत 5 वर्षो से सरकार प्रयत्नशील रही है। सुशासन की स्थापना के प्रयासों को सतत् जारी रखा जाएगा।
- जनता की अपेक्षाओं पर सरकार खरा उतरेगी और जनता की समस्याओं का समाधान करना सरकार की प्राथमिकता होगी।
- प्रखंड से उच्च स्तर तक जनता की शिकायतों को संज्ञान में लेकर कार्रवाई की जाएगी।

विपक्ष की भूमिका :– विपक्ष के हर मूल्यवान सुझावों का सम्मान किया जाएगा।

भयमुक्त बिहार :– वर्ष 2015 तक आधुनिक, भयमुक्त विकसित बिहार बनाना हमारी सरकार का मुख्य ध्येय एवं लक्ष्य है।

महामहिम राज्यपाल के प्रस्थान के बाद सत्र की गतिविधियां

सर्वप्रथम बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम (2) के तहत माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार को सदन नेता के रूप में मान्यता प्रदान की गई तथा श्री अब्दुल बारी सिद्धिकी को विरोधी दल के नेता के रूप में मान्यता प्रदान की गई।

प्रथम सत्र के लिए अध्यासी सदस्यों का मनोनयन

विधान सभा के माननीय अध्यक्ष ने 15वीं विधान सभा के प्रथम सत्र के लिए विधान–सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली के नियम 12(1) के तहत विधान सभा के सदस्यों यथा श्री रामेश्वर पासवान, श्री अमरेन्द्र प्रताप सिंह, श्री ललित कुमार यादव एवं श्रीमती गुड्डी देवी को अध्यासी सदस्य मनोनीत किया।

प्रथम सत्र के लिए कार्य मंत्रणा समिति का गठन

विधान सभा के माननीय अध्यक्ष श्री उदय नारायण चौधरी ने 15वीं विधान सभा के प्रथम सत्र के लिए विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 219(1) के तहत सभापति सहित 9 सदस्यीय कार्य मंत्रणा समिति निम्न रूप में गठित की :–

सभापति : अध्यक्ष, बिहार विधान सभा (श्री उदय नारायण चौधरी)

सदस्य : मुख्यमंत्री, बिहार (श्री नीतीश कुमार)
उप मुख्यमंत्री, बिहार (श्री सुशील कुमार मोदी)
मंत्री, (श्री विजय कुमार चौधरी)
मंत्री, संसदीय कार्य (श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव)
मंत्री, (श्री नंद किशोर यादव)
नेता, विरोधी दल (श्री अब्दुल बारी सिद्धिकी)
श्री श्रवण कुमार (स.वि.स.)

सचिव : सचिव, बिहार विधान सभा

बैठक में औपचारिक कार्य – दिनांक 03.12.2012

विधान मंडल के दोनों सदनों द्वारा पारित एवं 14वीं विधान सभा के 15वें सत्र (अंतिम) की समाप्ति के बाद महामहिम राज्यपाल से अनुमति प्राप्त तीन विधेयकों को विधान सभा सचिव ने सदन के पटल पर रखा गया।

1. यूनिवर्सिटी ऑफ नालन्दा (निरसन) विधेयक, 2010 (अनुमति–23.08.2010)।

2. बिहार राज्यकोषीय उत्तरदायित्व और प्रबंधक(संशोधन)विधेयक,2010 (अनुमति–30.07.10)।

3. बिहार विनियोग (संख्या–3) विधेयक, 2010 (अनुमति–30.07.2010)

बैठक में वित्तीय कार्य – दिनांक 03.12.2010

उप मुख्यमंत्री श्री सुशील कुमार मोदी ने वित्त मंत्री का दायित्व निर्वहन करते हुए वित्तीय वर्ष 2010–11 के लिए

विधान मंडल द्वारा पारित बिहार विनियोग (संख्या 2 एवं 3) अधिनियम 2010 द्वारा स्वीकृत खर्च के अतिरिक्त संभावित व्यय को ध्यान में रखकर द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरण प्रस्तुत किया।

बैठक में शोक प्रस्ताव (दिनांक 03.12.2010)

विधान–सभा के निम्न 7 जननायकों के निधन की सूचना के आधार पर माननीय अध्यक्ष श्री उदय नारायण चौधरी ने अलग–अलग उनके जीवनवृत्त की जानकारी दी तथा दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करने एवं शोक संतप्त परिवार को दुःख सहन करने की शक्ति प्रदान करने हेतु ईश्वर से प्रार्थना की।

1. स्वर्गीय जगबन्धु अधिकारी (मृत्यु तिथि : 22.11.2010 – 82 वर्ष)
2. स्वर्गीय हरिकिशोर प्रसाद (निधन : 31.08.2010 – 91 वर्ष)
3. स्वर्गीय रामदास राय (निधन : 02.09.2010 – 61 वर्ष)
4. स्वर्गीय संजय सिंह (निधन : 05.10.2010 – 50 वर्ष)
5. स्वर्गीय कृष्णा देवी (निधन : 12.10.2010 – 85 वर्ष)
6. स्वर्गीय रामनरेश राम (निधन : 26.10.2010 – 86 वर्ष)
7. स्वर्गीय थोमस हांसदा (निधन : 29.11.2010 – 64 वर्ष)

इनकी आत्मा की शांति के लिए सभी सदस्यों ने एक मिनट तक मौन खड़े होकर ईश्वर से प्रार्थना की तथा माननीय अध्यक्ष ने अपनी एवं सम्पूर्ण सदन की ओर से शोक संतप्त परिवार के पास संदेश भेजवाने की सूचना दी।

राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव

15वीं विधान सभा के प्रथम सत्र में महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर वाद–विवाद एवं सरकार के उत्तर के लिए अध्यक्ष, बिहार विधान सभा ने कुल चार घंटे का समय उपलब्ध कराया तथा दलगत सदस्य संख्या के आधार पर निम्न प्रकार वाद–विवाद में वक्तव्य देने के लिए समय आवंटित किया गयाः–

जनता दल (यू०)	–	113 मिनट
भारतीय जनता पार्टी	–	90 मिनट
राष्ट्रीय जनता दल	–	21 मिनट
कांग्रेस पार्टी	–	5 मिनट
लोक जनशक्ति पार्टी	–	4 मिनट
सी.पी.आई	–	1 मिनट
निर्दलीय	–	6 मिनट
		240 मिनट

सभा अध्यक्ष द्वारा महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर प्रस्तुत धन्यवाद प्रस्ताव पर विरोधी दल के नेता श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी से प्राप्त 44 सूत्री संशोधन प्रस्ताव, श्री जाकिर हुसैन खां द्वारा प्रस्तुत 20 सूत्री संशोधन प्रस्ताव एवं अवधेश कुमार राय द्वारा प्रस्तुत 7 सूत्री संशोधन प्रस्ताव को अस्वीकृत कर दिया गया।

महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के समर्थन में मुख्य सचेतक श्री श्रवण कुमार के वक्तव्य के कुछ महत्वपूर्ण बिन्दु निम्न प्रकार रहे :–

- श्री नीतीश कुमार को जनता द्वारा बिहार का मुखिया बनाया जाना राज्य का सौभाग्य ।
- वर्तमान सरकार के नवम्बर 2000 में सत्ता में आने के पूर्व सभी प्रकार के समुदाय के लोग अपनी जान–माल की सुरक्षा को लेकर भयाक्रांत थे। विगत 5 वर्षों में कानून व्यवस्था में सुधार हुआ, अपराधिक घटनाओं में कमी आई और अपहरण उद्योग पर विराम लगा।
- कभी अपराधियों के सामने हथियार डाल देने वाली पुलिस आज अपराधियों एवं नक्सलियों से लोहा लेने में तत्पर।
- जंगल राज एवं अपराधियों के बिहार के रूप में चिन्हित इस राज्य में आज 45,000 से अधिक लोग जेलों में हैं। (समीक्षा : जेलों में नवम्बर 2005 में कैदियों की वास्तविक संख्या–31330)
- आजीवन कारावास वाले लोगों की संख्या 8000 से अधिक एवं मृत्यु दंड प्राप्त लोगों की संख्या–100 से अधिक। अपराध मुक्त बिहार का माहौल बन चुका है।
- अपराधियों का समूह या तो जेल में है या राज्य से बाहर उ० प्रदेश, झारखंड, प० बगांल या नेपाल में शरण ले चुका है।
- अब बिहार अमन एवं शांति चाहने वाले लोगों का बिहार है।
- पुलिस का मनोबल बढ़ाने के लिए राजनीतिक हस्पक्षेप खत्म किया गया।
- अपराधियों के बिहार में प्रवेश पर पूरी तरह पाबंदी।
- मॉडल थाना बनाने एवं अत्याधुनिक हथियारों से लैश करने, वाहन एवं संसाधन मुहैया कराने में सरकार की तत्परता से विधि व्यवस्था में सुधार।
- पटना में बुद्ध–स्मृति पार्क एवं पाटलिपुत्र करूणा स्तूप का निर्माण।
- वर्ष 2005 में बिहार में मात्र 94000 देशी पर्यटक किंतु आज (वर्ष2010) में 1.55 करोड़ देशी पर्यटक तथा 4.23 करोड़ से अधिक विदेशी पर्यटक।
- बिहार के बदलने, संभालने और आगे बढ़ने की देश–विदेश में चर्चा।
- 5 वर्ष पूर्व शिक्षा की चरमराई व्यवस्था को पटरी पर लाने के सरकारी स्कूलों में दाखिला कराने के लिए शिक्षकों की बहाली, भवन, प्रयोगशाला, पुस्तकालय व फर्नीचर का निर्माण कराया गया जिससे सरकारी स्कूलों में दाखिला कराने के प्रति अभिभावकों में उत्साह बढ़ा।
- भूमिहीन विधालयों को जमीन का बंदोबस्त किया गया।

- शिक्षा के स्तर को उठाना। श्री नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली सरकार का संकल्प 14,000 से अधिक प्राथमिक विद्यालयों को मध्य विद्यालय में उत्क्रमण।
- 18,000 से अधिक नये प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना।
- सभी उच्च विद्यालयों को +2 (इण्टर) का दर्जा देकर पढ़ाई शुरू, जिससे लड़कियों को कॉलेज शिक्षा का अवसर बढ़ा।
- पूर्व की सरकार द्वारा खोले गए चरवाहा विद्यालय उसी काल में पूरी तरह ठप्प।
- राज्य में 62 हजार महिलाएं शिक्षिका के पद पर नियुक्त की गई।
- मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना, मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना, मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना, लक्ष्मी बाई पेंशन योजना, मुख्यमंत्री अक्षर आंचल योजना आदि योजनाएं बिहार के पैसे से चलती है। बिहार के हक और बिहार के लोगों का पैसा है। आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र एवं प० बंगाल सहित कांग्रेस शासित प्रदेशों की तुलना में गैर–कांग्रेसी शासन वाले प्रदेशों में कितना पैसा जा रहा है, समीक्षा की जरूरत है। अतएव महिलाओं के सम्मान एवं उनके उत्थान की योजना को रोकना संभव नहीं है।
- 5 वर्ष पूर्व तक बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था चौपट एवं स्वास्थ्य सुविधाएं बिल्कुल ध्वस्त।
- एन. डी. ए. की सरकार ने 5,79,164 स्कूली बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षा कराया।
- विभिन्न स्तर के भवनहीन स्वास्थ्य केन्द्र, उपकेन्द्रों, अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं अस्पतालों के भवन निर्णय एवं चिकित्सकों की नियुक्ति कर उपकरणों से लैस किया और दवा का भी इंतजाम किया।
- एम्स के तर्ज पर बिहार में अस्पताल बनाने के निर्माण पर कार्रवाई जारी।
- विभिन्न स्तरों के स्वास्थ्य केन्द्र, उपकेन्द्रों एवं अस्पतालों में रोगियों की लग रही कतार यह प्रमाणित करता है कि स्वास्थ्य व्यवस्था में लगातार सुधार हो रहा है।
- वर्तमान सरकार ने विगत 5 वर्षों में 25 लाख बच्चों को स्कूल पहुंचाया।
- सभी लड़के–लड़कियां साईकिल पर स्कूल जा रहे हैं। विद्यालय की ओर बेटियों के कतारबद्ध साइकिल से बदलता बिहार का दृश्य परिलक्षित।
- वर्ष 2010 में 4.90 लाख बालक–बालिकाओं को साइकिल मुहैय्या कराया गया।
- नवम्बर 2005 से नवम्बर 2010 तक 13.60 लाख से अधिक स्कूल बालक–बालिकाओं को साइकिल दी गयी।
- आंध्र प्रदेश , असम, तमिलनाडु में हो रही छात्रों की हत्या को ध्यान में रखकर बिहार में मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, आई. टी. आई एवं पॉलिटेकनिक कॉलेज खोलने की मुहिम तेज।
- यूनिवर्सिटी ऑफ नालन्दा, चाणक्य राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, चन्द्रगुप्त प्रबंधन संस्थान एवं आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु कार्रवाई शुरू ताकि विभिन्न क्षेत्रों में बिहार में ही बेहतर पढ़ाई के अवसर मिले।
- वर्तमान सरकार ने वित्त रहित शिक्षा नीति समाप्त की ताकि ऐसे संस्थानों में कार्यरत शिक्षक–शिक्षकेत्तर कर्मियों को आर्थिक लाभ मिल सके।

- प्रथम श्रेणी से मैट्रिक परीक्षा उतीर्ण करने वाले विद्यार्थियों को 10 हजार का प्रोत्साहन भत्ता।
- विद्यालयी बच्चों को नालन्दा वि० वि० का खण्डहर, वैशाली का स्तूप, केसरिया का स्तूप, बोधगया, शेरशाह का मकबरा, निरंजना नदी आदि दिखाने के लिए मुख्यमंत्री बिहार भ्रमण योजना एवं मुख्यमंत्री समग्र विद्यालय विकास योजना लागू।
- चुनाव के समय मुख्यमंत्री से रोज 4 सवाल पूछने वाले लोगों को जनता ने सदन में नहीं आने दिया। उन्होंने विपक्ष के साथियों को सदन में रहने और ज्वलंत सवालों को उठाने की नसीहत दी।
- 80 फीसदी लोग कृषि पर आधारित। अतएव ऐसे लोगों एवं बेहतर कृषि प्रबंधन के बारे में सोचने के लिए मुख्यमंत्री से आग्रह।
- कृषि रोड मैप तैयार, मुख्यमंत्री तीव्र बीज विकास याोजना, बीज ग्राम योजना, कृषि वैज्ञानिक गांव की ओर, कृषि शिविर, किसान मेला, कृषि महोत्सव, मुख्यमंत्री बागवानी मिशन, बिहार किसान सम्मान योजना आदि कार्यक्रम चलाकर किसानों की खेती को उन्नत करने एवं उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए पहल।
- किसानों का मनोबल बढ़ा है। किसान आयोग का गठन। सहरसा, पूर्णिया एवं डुमरांव में कृषि महाविद्यालय की स्थापना की गई।
- राजेन्द्र कृषि वि० वि० को केन्द्रीय वि० वि० का दर्जा मिला।
- धान,मक्का,सब्जी, आलू आदि फसल को बर्बाद होने से बचाने के लिए सब्सिडी दिया।
- छोटे–बड़े कृषि उपकरणों की खरीद पर सब्सिडी का प्रावधान किया।
- मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने महिला सशक्तिकरण को ध्यान में रखकर पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव में 50 प्रतिशत आरक्षण दिया। इससे महिलाओं को व्यापक लाभ हुआ। आज राज्य में 3784 मुखिया, 18 जिला परिषद अध्यक्ष, 237 प्रखण्ड प्रमुख, 568 जिला परिषद सदस्य, 5371 पंचायत समिति के सदस्य ,54260 ग्राम पंचायत के पंच, 4013 सरपंच, 1465 नगरपलिका के पार्षद, 74 मुख्य पार्षद एवं 25 उप मुख्य पार्षद महिला हैं।
- 500 से 999 न्यूनतम आबादी वाले गांवों को मुख्य सड़क से जोड़ने के लिए मुख्यमंत्री सड़क योजना एवं पुल निर्माण के लिए मुख्यमंत्री सेतु योजना लागू कर सड़कों एवं हजारों पुलों का निर्माण जारी है।
- कब्रिस्तानों की घेराबंदी जारी। प्रथम श्रेणी से दसवीं कक्षा में उतीर्ण छात्र –छात्राओं को 10 हजार रूपये का प्रोत्साहन भत्ता लागू किया गया। वर्ष 2007 की तुलना में वर्ष 2010 में 8 गुणा लाभार्थी।
- लाचार बेसहारा महिलाओं को रोजगार मुहैया कराने के लिए 10–10 हजार रू० दिए गए।
- अन्य शिक्षकों के तर्ज पर मदरसा शिक्षकों को भी अनुदान का भुगतान किया गया तथा मदरसा के सरकारीकरण के लिए रास्ते खोले गए। 12 हजार उर्दू शिक्षकों की बहाली।
- तालीम मरकज में 49720 लोगों का दाखिला कराया गया। ये प्रयास प्रमाणित करते हैं कि श्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में एन०डी०ए० की सरकार ने अल्पसंख्यकों को आगे बढ़ाया।
- महादलितों के लिए दशरथ मांझी कौशल योजना, 3 डिसमिल जमीन मुहैया कराने की योजना, महादलित

जलापूर्ति योजना, महादलित शौचालय निर्माण योजना महादलित विशेष विद्यालय योजना, सम्पर्क पथ निर्माण, पोशाक योजना पर पहल शुरू और मुख्यमंत्री नारी ज्योति योजना, विकास मित्र की बहाली आदि कार्यक्रमों से सर्वत्र श्री नीतीश कुमार की जयजयकार हो रही है।

- 7141 उत्थान केन्द्र खोला गया जिनमें 1.63 लाख बच्चे नामांकित किए गए।
- बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना जरूरी है। बिहार का हक मिलना चाहिए।
- भाजपा सदस्य श्री विनोद नारायण झा ने श्री श्रवण कुमार द्वारा प्रस्तुत धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन किया और बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने में सभी दलों के सदस्यों को भागीदार बनने के लिए प्रेरित किया। प्रमोद कुमार ने भी धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन किया। राज्यपाल के अभिभाषण पर ध्न्यावाद प्रस्ताव संबंधी पर चर्चा में विपक्ष के नेता एवं राजद विधायक अब्दुल बारी सिद्धिकी, कांग्रेस के विधायक श्री जाकिर हुसैन खान एवं विधायक श्री अवधेश कुमार राय द्वारा संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था, उसे माननीय अध्यक्ष द्वारा सदन की राय से संशोधन पढ़ा हुआ माना गया। अब्दुल बारी सिद्धिकी ने अलग–अलग प्रतिवेदनों में राज्य योजना मद(2009–10) में व्यय संबंधी आंकड़े की भिन्नता पर प्रकाश डाला।

महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर प्रस्तुत धन्यवाद प्रस्तावों में उभरे मुद्दों पर माननीय मुख्यमंत्री/सदन के नेता श्री नीतीश कुमार के उत्तर में महत्वपूर्ण बिन्दु :–

- वर्ष 2005 के जनादेश के बाद पुनः जनादेश के लिए बिहार की जनता को धन्यवाद। जाति और मजहब को किनारे कर लोगों ने किया मतदान।
- चुनाव के समय संवैधानिक पदों पर बैठे बड़े–बड़े लोगों ने भी कई आपेक्ष लगाए। असत्य तथ्यों को परोसना भी पराकाष्ठा पर रही किंतु उन तथ्यों की विश्वसनीयता की जनता ने स्वयं समीक्षा कर डाली।
- विधान सभा चुनाव के रिजल्ट आने के बाद जद(यू) विधायक दल की बैठक में और राजग गठबंधन की संयुक्त विधायक दल की बैठक में मैंने एक बात कही है कि जिस प्रकार का मेनडेट है, इसमें जीत का गुरूर नहीं होना चाहिए और विपक्ष का उपहास नहीं होना चाहिए क्योंकि यह किसी दल या गठबंधन की जीत नहीं बल्कि जनता की जीत है।
- विपक्ष के नेता अब्दुल बारी सिद्धिकी द्वारा अखबारों के आधार पर वक्तव्य में कहा गया है कि चुनाव में कुल 2.90 करोड़ वोट पड़े जिसमें राजद–लोजपा गठबंधन को 1.10 करोड़ और राजग (जद–यू–भाजपा) को मात्र एक करोड़ मत जबकि सच्चाई है कि राजग गठबंधन को 1 करोड़ 13 लाख 30 हजार (39:) और राजद–लोजपा को 74.10 लाख (25.85:)। यू०पी०ए० गठबंधन के हिसाब से कांग्रेस को 24.3 लाख (8.30:) मिलाकर भी 33.88: वोट आता है। जीत का यह अंतर साधारण नहीं है। बावजूद न तो यह मेरी अपनी या अपने गठबंधन की जीत है और न ही अपने साथियों की जीत मनाता हूँ। यह बिहार की जीत, बिहार की जनता की जीत मानता हूँ। इस बार बिहार के लोगों ने मेनडेट खुद को दिया है तो हमारा आपका सबका कर्त्तव्य बनता है कि हम सब मिलजुल कर उनकी सेवा करें।
- प्रत्येक दल विधान सभा एवं विधान परिषद में बिहार को विशेष दर्जा की मांग के प्रति कमिटेड है, वचनबद्ध है। वर्ष 2006 में सदन में सर्वसम्मति से अधिकृत किये जाने के बाद मैंने प्रधानमंत्री से कई बार समय मांगा किंतु वे टालते रहे हैं। शिष्टमंडल के लिए भी समय मांगा, नहीं मिला। ऐसे जब भी मिलने के लिए समय मांगते हैं,

प्रधानमंत्री समय दे देते हैं। लोक सभा के रिजल्ट आने के ठीक पहले कांग्रेस पार्टी का रवैया सकारात्मक था। शायद जद(यू) के समर्थन की जरूरत पड़ने की आशंका रही होगी हालांकि उसकी कोई गुंजाइश नहीं थी। मैंने साफ कर दिया था कि जिस गठबंधन की सरकार बने, उससे संबद्ध बिहार के लोग विशेष राज्य का दर्जा के लिए दबाव बनाए। विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा तो केन्द्रीय करों में निवेशकों को रियायत मिलेगी, लोग यहां पूंजी लगा सकेंगे, कल कारखाना खुलेंगे, रोजगार के नये अवसर पैदा होंगे। सार्वजनिक पूंजी निवेश के जरिए चल रहा वर्तमान विकास की एक सीमा है। लेकिन कुंडली मारकर बैठ गए।

- आजादी के बाद से योजना मद में अन्य राज्यों की तुलना में बिहार में प्रति व्यक्ति पूंजी कम निवेश हुआ। वह स्थिति सार्वजनिक पूंजी निवेश एवं निजी पूंजी निवेश दोनों मामलों में बनी रही।

- प्रत्येक वर्ष बिहार में बाढ़ से तबाही होती है। नेपाल से पानी आता है। इलाका का इलाका इनएक्सेसिबल होता है। विशेष दर्जा की मांग के लिए ऐसे तथ्यों को समेकित कर प्रधान मंत्री को देने हेतु दस्तावेज भी तैयार कराए गए हैं।

- प्रत्येक वर्ष सार्वजनिक पूंजी के निवेश में 20 प्रतिशत की वृद्धि करना हमारा लक्ष्य है। इससे रोजगार के अवसर पैदा होंगे किंतु निजी निवेश बढ़ाना अत्यावश्यक। इसके लिए रियायत जरूरी और विशेष दर्जा प्राप्त होने पर ही रियायत संभव।

- विशेष राज्य का दर्जा मिलने पर केन्द्र प्रायोजित योजनाओं में राज्य को कम हिस्सा देने के प्रावधान से राज्य की दूसरी योजनाओं में निवेश के अवसर बढ़ेगा।

- देश में वर्ष 2000 में तीन राज्यों का पुनर्गठन हुआ किंतु अकेला बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक है जिसमें यह उल्लेख है कि अवशेष बिहार को और कितनी मदद दी जाय, इसके आंकलन के लिए उपाध्यक्ष, योजना आयोग की अध्यक्षता में एक सेल गठित करने का निर्णय हुआ था, उसको भी विरोधी दल के नेता श्री सिद्धिकी भूल गए। राष्ट्रीय सम विकास योजना के एजेंडों से एक हजार करोड़ रूपये प्रति वर्ष की अतिरिक्त सहायता दी गई, यह पर्याप्त या अप्रर्याप्त है, उसे अभी बहस का मुद्दा नहीं बनाना चाहते। यह सहायता राजग गठबंधन की ही देन है और हम भी उस गठबंधन के हिस्सेदार थे। मेरे ही कारण यह सहायता मिली।

- केन्द्र में मंत्री रहते हुए बिहार के सांसदों के साथ बैठक में शामिल हुए। सभी सांसदों ने कई मीटिंग कर दस्तावेज बनाकर प्रधानमंत्री से पैकेज की मांग की। उस समय भी हमलोग बैठे नहीं थे और आज भी बैठे नहीं हैं। आप सबने भी बिहार को विशेष दर्जा देने की मांग पर प्रतिबद्धता व्यक्त की है और हम सब लोगों को इस प्रस्ताव पर अड़ना चाहिए। अगर आप अपनी ताकत लगा पायें तो हम सबको खुशी होगी। ताकत का इस्तेमाल कीजिए। बिहार इतना बड़ा राज्य है कि इसकी उपेक्षा करके कोई केन्द्र में बहुत दिनों तक शासन नहीं चला सकता है।

- कांग्रेस पार्टी ने विधान सभा चुनाव में विज्ञापन पर कितना खर्च किया। अगर अखबार एवं टेलीविजन पर प्रचार में हुए खर्च सार्वजनिक हो तो कांग्रेस की परेशानी बढ़ेगी। इस प्रचार का असर निगेटिव साबित हुआ, जनता ऊब गई।

- कोसी की त्रासदी और पीड़ितों के पुनर्वास पर विरोधी दल के नेता श्री सिद्धिकी के वक्तव्य पर कहा कि सिद्धि की साहब कोसी मामले में समर्थन भी करते हैं। सिद्धिकी जी के आंकड़ों पर कहा कि एम.एल.ए. और एम.एल.

सी. ने जो पैसा दिया, वह ग्रामीण कार्य विभाग को शेल्टर बनाने के लिये चला गया। सी.एम.रिलीफ फन्ड में जो पैसा आया, उसके व्यय के लिये पहले कोई नियम नहीं था, 29–30 करोड़ रूपये एफ.डी. में किसी बैंक में पड़ा था। प्रधानमंत्री राहत कोष की तरह सी.एम. रिलिफ ट्रस्ट का नियमावली बनाया, उसको ऑपरेशनलाईज किया, लोगों से मदद के लिये अपील की। फलतः 2007 के बाढ़ में अच्छी खासी मदद आयी और उससे बाढ़ पीड़ितों को सहायता भी पहुंचाई गई। कोसी की आपदा में और ज्यादा मदद आई। अब सी.एम.रीलीफ फन्ड में हर साल संबंधित संस्थाएं और व्यक्तिगत तौर पर लोग सरकार को आर्थिक मदद करते हैं। अब वह फंड एक अच्छा खासा फंड बन चुका है। 18.08.2008 को कुसहा बांध टूटने के बाद जो भी पैसा आया उसके बाद एक साल तक सी.एम.रिलिफ फंड में मोटे तौर पर 245 करोड़ रूपये आया। उससे मेगा रिलीफ कैंप लगे और कैंप के लोगों को प्रति व्यक्ति 250 रूपये की मदद से बर्तन (प्लेट, गिलास, कटोरा, छिपली) की खरीदगी लोकल प्रोक्यूरमेंट के जरिए कर उपलब्ध करवाया। कैंप में लड़का पैदा होने पर 10 हजार और लड़की पैदा होने पर 11 हजार रूपये का भुगतान कराया। छठ वगैरह आया तो उसमें भी लोगों को मदद की गयी, कम्बल के लिए मदद किया गया, सभी स्टूडेंट्स को किताब एवं कपड़े के लिए 800 रूपये, 1000 रूपये और 1200 रूपये की दर से मदद किया गया। इस सबके लिए हमने 80 करोड़ रूपये 57 स्थलों पर फ्लड सेंटर–कम–कम्यूनिटी सेन्टर बन रहे हैं, उसके लिए 38.98 करोड़ रूपये रिलीज किया गया। जहां जमीन नहीं थी वहां जमीन की खरीद के लिए 21 करोड़ रूपये दिए गए। कुछ और कार्य के लिए पैसे दिए गए। कुल मिलाकर फ्लड सेंटर की जमीन खरीद, निर्माण कार्य एवं अन्य कार्यों के लिए 71.72 करोड़ रूपये रिलीज किए गए अर्थात कुल लगभग 227.39 करोड़ रूपये सी.एम. रिलीफ फंड का खर्च हुआ है। सचिवालय के सूचना के अनुसार मात्र 18 करोड़ रूपये कोसी मद का बचा हुआ है।

- नाव दुर्घटना या अन्य आपदा से यदि कोई मृत्यु की घटना होती है तो 50 हजार रूपये मुख्यमंत्री राहत कोष से मृतक के परिजनों को मदद दी जाती है।

- पढ़ाई या इलाज में आर्थिक किल्लत झेलने वाले लोगों को या किसी खास परिस्थिति में मदद पाने के लिए मजबूर लोगों को मुख्यमंत्री राहत कोष से मदद की जाती है। विपत्ति काल के लिए यह पैसा है, उसी में काम आएगा।

- एम.पी. लैड का पैसा सीधे संसद से ग्रामीण कार्य विभाग को भेजा गया। जमीन खरीदने में वह पैसा नहीं दे पायेंगे।

- असल काम है– पुनर्वास। लाखों लोगों के घर ध्वस्त हो गए, उनको मदद करना है। 55 हजार रूपये प्रति यूनिट का प्राक्कलन से मदद की जा रही है। इस कार्य में मात्र सरकार से मदद मांगने पर भी नहीं मिली। विश्व बैंक ने मदद देने का वायदा किया है। कुछ उनकी मदद, कुछ राज्य सरकार का अपना बजट से पैसा निकालकर मदद कर कोसी पीड़ितों को बसायेंगे जरूर। हमारा संकल्प है कि कोसी को पहले की तुलना में बेहतर ढंग से संवारेंगे। और, उस पर आज भी कायम हैं। ज्यादातर लोग वर्ष 2008 में कयास लगा रहे थे कि कोसी के पानी में हमारी सरकार डूब जाएगी। ऐसा नहीं हुआ।

- एक प्रतिवेदन से दूसरे प्रतिवेदन में आंकड़ों की डिसक्रिसपेंसी के मामले संबंधी प्रतिपक्ष के नेता द्वारा उठाए गए मुद्धे पर स्पष्ट किया कि यह खूब होता है, दो बार कोई कागज मांगिये तो दो प्रकार के आंकड़े आ जाते हैं, यह व्यवस्था पता नहीं 5 साल में हमलोग उतना नहीं सुधार पाये। आपलोगों ने पहले जरूर सुधारने की

कोशिश की होगी इन सब चीजों को, लेकिन यह सुधर जाए तो अच्छा है। भई, पाई–पाई का हिसाब होना चाहिए। अधिकारियों में इस तरह की मानसिकता आ जाए तो इससे अच्छी बात क्या है।

- भ्रष्टाचार के मसले पर उन्होंने कहा कि सदन ने ''विशेष न्यायालय विधेयक'' पास किया है। सुप्रीम कोर्ट ने 1996 में एक फैसले में ऑबजर्वेशन दिया था– भ्रष्टाचार तो कैंसर की तरह समाज को जकड़ता जा रहा है, अब भ्रष्ट लोकसेवकों की सम्पत्ति कंफिसकेट होना चाहिए।'' बिहार में भी भ्रष्टाचार के एपलिकेशन फाइल होने पर नोटिस देकर छः माह में फैसला होगा।

- जुडिशियल अफसर सुनवाई कर संतुष्ट होने पर ही प्रोपर्टी कंफिसकेट करने का फैसला देंगे। अब वह दिन हमलोग देख पायेंगे जिसमें भ्रष्ट तरीके से अर्जित की गयी सम्पत्ति जब्त होगी और आलीशान मकान को जब्त करके उसमें बच्चों का स्कूल खुलेगा। इससे जबर्दस्त संकेत जाएगा और गड़बड़ करने वाले अधिकारी कांप, जायेंगे। हम तो उस दिन का इंतजार बेसब्री से कर रहे हैं। उन्होंने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि वे इस कानून की आड़ में किसी को प्रताड़ित नहीं करेंगे।

  हमारी सरकार ने सी.बी.आई. के सेवानिवृत्त अधिकारियों की अनुबंध पर सेवा लेकर स्पेशल विजिलेंस यूनिट गठित किया। उसमें कई आई.ए.एस./आई.पी.एस. भी हैं। अभी तक 2006 से लेकर 2010 तक 447 गिरफ्तारियां हुई हैं। कोर्ट की संख्या बढ़ानी है और समय पर ट्रायल कराना है। भ्रष्टाचार के मामले में लोगों को सजा मिलने लगे, लोग सजा भोगने लगें और उनकी सम्पत्ति जब्त हो जाए, तो भ्रष्टाचार करने से बहुत लोग भाग जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। भ्रष्टाचार के मामले के सूचनादाता का नाम हमलोग गुप्त भी रखेंगे, पुरस्कार भी देंगे, इसमें सबका सहयोग चाहिए। भ्रष्टाचार से लड़ाई सबसे जटिल है और इस लड़ाई को लड़ना होगा।

- आम आदमी के लिए जो लोक सेवायें मिलती हैं, इसके लिए हम अगले सत्र में कानून लायेंगे, दरखास्त देने पर एक समय सीमा के अन्दर लोगों को लोक सेवा प्राप्त करने का अधिकार देना है। कास्ट सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट बनाने के लिए ब्लॉक का चक्कर लगाना पड़ता है। 100–200–500–1000 जो भी पैसा मांगता है, लोग दे देते हैं। नीचे बैठकर बिहार की जनता का शोषण कर लोग पैसा कमायें और बदनाम हमलोग होंगे। लोगों को लोक सेवा प्राप्त करने का अधिकार है और लोगों को हम यह कानूनी अधिकार देंगे। समय सीमा के अंदर काम नहीं करेगा तो उनको दंडित करने का भी प्रावधान है। यदि सर्टिफिकेट नहीं मिलने लायक है तो सूचित करना होगा कि नहीं दिया जा सकता है। ऐसी हालत में अपील का भी प्रावधान होगा।

- सरकारी दफ्तरों में जाने से लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कैरेक्टर सर्टिफिकेट लोगों को नहीं मिलता है। किसी ने बताया कि इसके चलते हजारों पासपोर्ट के आवेदन लम्बित रहते हैं। हमने डी.जी.पी. को बुलाया। ड्राइव चलाकर सब लोगों को कैरेक्टर सर्टिफिकेट दिया गया और लोगों का पासपोर्ट बना। लोग इंतजार करते हैं, जिसका गरज है वह आएगा। कुछ जेब गरम करेगा, लोग अपना जेब खाली करेगा, तब यह काम करेंगे, यह नहीं चल सकता है। इसी में आपका सहयोग चाहिए।

- ऊपर से नीचे तक जितने लोग हैं सबको अपना डिक्लेरेशन देना पड़ेगा। हमलोग भी चर्चा कर लें, हमलोग खुद अपनी सम्पत्ति का ब्यौरा देंगे और हमारे माननीय सहयोगी सब अपनी सम्पत्ति का ब्यौरा देंगे और प्रति वर्ष उसका हर बार एक निश्चित माह के अंदर अपने सम्पत्ति का ब्यौरा सार्वजनिक करेंगे, जनता जान ले और सबको यह करना पड़ेगा।

- इंदिरा आवास में घूस लेता है। इसमें दलाल किस्म के लोग सक्रिय हैं। सभी जिलों में पुलिस अधीक्षक को टास्क दिया है कि इस तरह के दलाल को पकड़िए। धांधली या भ्रष्टाचार करने वालों के खिलाफ कठोर–से–कठोर कार्रवाई करेंगे और यह तो सतत् चलने वाली लड़ाई है। हमारा तो भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग का एलान है, इसको किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। इसमें हमें आपका सहयोग चाहिए। अगर हमसब एक हो गये और फिर इसके कारणों तक हम चले गये तो शायद बिहार पूरे देश को रोशनी दे सकता है।
- मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विरोधी दल के नेता को भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग में सहयोग देने का आश्वासन देने पर धन्यवाद दिया और कहा कि कानून लागू हो गया है और उस पर आगे कार्रवाई हो रही है।
- महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में विस्तृत तौर पर कई चीजों का उल्लेख करना संभव नहीं था। जल्द ही शुरू होने वाले बजट सत्र में हम अपनी भावी योजनाओं के बारे में विस्तृत तौर पर कुछ जानकारी रख पायेंगे। हम सब मिलकर बिहार का विकास करें। बिहार का जो हक है, उसको हासिल करने के लिए अपनी आवाज एक साथ बुलन्द करें।

माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने सदन में आपस में वाद–विवाद को सकारात्मक बताया। उन्होंने यह भी कहा कि कोई अपनी पार्टी को डिजौल्व तो नहीं कर लेगा। लोग बोलेंगे क्यों नहीं, अगर हमलोग की कमजोरी, सरकार की कमजोरी को उजागर नहीं करेंगे तो गलत होगा। उन्होंने सदन के माननीय सदस्यों को प्रेरित किया कि सरकार की जो भी कमजोरी है उसको उजागर करना चाहिए। माननीय सदस्य यदि उजागर करेंगे तो उससे हमलोगों को फायदा होगा।

15 वीं विधान सभा के प्रथम सत्र में सदन में पूछे गए अल्पसूचित प्रश्नों की विषयवार स्थिति

क्रमांक	विषय	प्रश्नकर्ता	मुद्दे
1.	अल्पसंख्यक	डा० अच्युतानंद	कब्रिस्तानों की घेराबंदी।
2.	जन सुरक्षा	डा० इजहार अहमद	मानक के अनुसार पुलिस–कर्मियों की नियुक्ति
3.	जेल में कैदी	डा० अच्युतानंद	जेलों में कैदियों के रखने की क्षमता।
4.	परिवहन	अमरेन्द्र प्रताप सिंह	परिवहन निगम की बसों की मरम्मति,निगम के बसों का अधिग्रहण कर विभाग के अधीन चलाने की मांग
5.	शिक्षा	डा० अच्युतानंद	विद्यालयों में शिक्षा समितियों के भंग होने से उत्पन्न स्थिति।
6.	शिक्षा	डा० अच्युतानंद	संस्कृत विद्यालयों की प्रस्वीकृति
7.	सिंचाई	ललित कुमार यादव	वृहद एवं मध्यम सिंचाई योजना
8.	सड़क निर्माण	अमरेन्द्र प्र० सिंह	गोपालगंज–किशनगंज 4 लेन सड़क के निर्माण की स्थिति।
9.	जमीदांरी बांध निर्माण	राहुल कुमार	जल जमाव से फसल की बर्बादी से बचाव हेतु तटबंधों के गैप को भरना।
10.	सड़क निर्माण		प्रधान मंत्री सड़क योजना के तहत सड़क निर्माण की स्थिति एवं व्यय राशि की सूचना
11.	सिंचाई	वीरेन्द्र कु० सिंह	उत्तर कोयल जलाशय योजना का निर्माण
12.	सड़क निर्माण	डा० अरूण कुमार	मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना की राशि का उपयोग।
13.	तटबंध मरम्मति	विक्रम कुंवर	नदियों के तटबंधों की मरम्मति एवं कटाव निरोधक कार्य
14.	पुल की मरम्मति	नीरज कु० सिंह	वी.पी. मंडल सेतु के 16 वां पाया की मरम्मति एवं पीपा पुल का निर्माण
15.	बाढ़ से सुरक्षा	विभा ा चन्द्र चौधरी	क्षतिग्रस्त स्परों की मरम्मति
16.	बराज निर्माण	अमरेन्द्र प्रताप सिंह	दावत प्रखड़, बिक्रमगंज (रोहतास) में बराज निर्माण का जन विरोध।
17.	कटाव रोधी कार्य	राम सेवक हजारी	बागमती नदी से गनौड़ा गांव में कटाव से सुरक्षा।
18.	खाद्यान्न वितरण	ललित कु० यादव	लाल कार्ड एवं पीला कार्ड का दरभंगा जिला में वितरण

क्रमांक	विषय	प्रश्नकर्ता	मुद्दे
19.	अनुपस्थित	मंजित कुमार सिंह	
20.	आवास / शौचालय निर्माण	आलोक रंगन	आई एच एस डी पी के तहत सहरसा जिला के लिए विशेष शहरों का बजट
21.	कृषि विकास	डा० अरूण कुमार	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना का कार्यान्वयन की स्थिति।
22.	किसानों को मुआवजा	लेसी सिंह	पूर्णिया जिले में मक्का फसल में वर्ष 2009 में दाना नहीं आने पर मुआवजा
23.	किसानों को ऋण(सहकारिता)	प्रदीप कुमार	सहकारी इकाई पैक्सों की प्रबंधकारिणी का निर्वाचन के बाद ऋण वितरण की स्थिति।
24.	कृषि	विनय कु० सिंह	किसानों को खाद की किल्लत।
25.	मत्स्यपालन	डा० अच्युतानंद	मत्स्य उत्पादन में वृद्धि के लिए 20 प्रतिशत अनुदान।
26.	खाद्यान्न वितरण	डा० अच्युतानंद	बी. पी. एल सूची का पुनरीक्षण (1.31 करोड़ परिवार) एवं खाद्यान्न वितरण।

विभागीय मंत्रियों से पूछे गए अल्प सूचित प्रश्न निम्न रूप में विषयवार विभाजित हैं :–

शिक्षा–2, कृषि–2, सड़क निर्माण–3, सिंचाई–2, बाढ़–कटाव –जल जमान से फसल सुरक्षा–5, खाद्यान्न वितरण–2, सहकारी ऋण–1, फसल (मक्का) की क्षति के लिए राहत–1, मत्स्य पालन–1, कब्रिस्तान की घेराबंदी (अल्पसंख्याक)–1, जन सुरक्षा के लिए पुलिस बढ़ोत्तरी, जेलों में कैदियों के रखने की क्षमता वृद्धि–1, सरकारी (निगम) की 414 बसों की मरम्मति–1, पुल मरम्मति–1, बराज निर्माण का जन विरोध–1 ; इसके अतिरिक्त एक प्रश्नकर्त्ता सदस्य सदन में प्रश्न के लिए निर्धारित तिथि को पुकारे जाने पर अनुपस्थित पाये गए।

सदन में प्रश्न पूछने वालों में डा० अच्युतानंद ने सर्वाधिक 6 प्रश्न पूछा। अमरेन्द्र प्रताप सिंह ने 3,डा० अरूण कुमार–2, ललित कुमार यादव–2,डा० इजहार अहमद,राहुल कुमार, वीरेन्द्र कुमार सिंह, डा० अरूण कुमार, विक्रम कुंवर, नीरज कुमार सिंह, विभाष चन्द्र चौधरी, राम सेवक हजारी, लेसी सिंह, प्रदीप कुमार एवं विनय कुमार सिंह ने एक–एक प्रश्न पूछा।

तारांकित प्रश्न– तारांकित प्रश्न की सूचना प्रस्तुत किए जाने पर प्रतिबंध था क्योंकि न्यूनतम 14 दिन पूर्व तारांकित प्रश्न प्राप्त किए जाते हैं।

अतारांकित प्रश्नों की स्थिति – सत्र में 92 प्रश्न अतारांकित प्रश्न के रूप में घोषित किए गए। दरअसल वैसे सभी अल्प सूचित प्रश्न जो सदन में अनुत्तरित रह गए, अतारांकित प्रश्न की श्रेणी मे बदल दिए गए।

अल्प सूचित प्रश्न

अल्प–सूचित प्रश्न अत्यावश्यक लोक महत्व के किसी विशिष्ट विषय पर ही पूछा जाता है और ऐसे प्रश्न का उत्तर सदन में मौखिक रूप से दिए जाने का प्रावधान है। जिस बैठक (कार्य दिवस)में सदस्य अल्प सूचित प्रश्न पूछना चाहते हैं

उस तिथि से सात दिन पूर्व संबंधित विभाग के मंत्री को सूचित कर दिया जाता है। स्पष्ट है कि न्यूनतम सात दिन पूर्व अल्प सूचित प्रश्न की सूचना विधान सभा में प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

यदि सभा अध्यक्ष संतुष्ट हो जाएं कि अल्प–सूचित प्रश्न अत्यन्त लोक महत्व का है एवं सरकार से अविलम्ब पूछे जाने से संबंधित है तो वे सात दिनों से कम की सूचना पर भी उसे ग्रहण कर संबंधित मंत्री को मौखिक या लिखित उत्तर के लिये तिथि निर्धारित कर निदेश दे सकते हैं। जो अल्प सूचित या तारांकित प्रश्न सदन में अनुत्तरित रह गए, वैसे सभी अनागत प्रश्न अतारांकित माने जायेंगे किंतु लिखित उत्तर देने के लिए संबंधित सरकारी विभाग बाध्य होंगे। सभा के किसी भी कार्य दिवस के लिये एक सदस्य के दो तारांकित प्रश्न या दो अल्प सूचित प्रश्नों से अधिक की सूचना मान्य नहीं हो सकती है अथवा एक तारांकित प्रश्न और एक अल्प सूचित प्रश्न से अधिक प्रश्न मान्य नहीं होंगे।

तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्न की सूचना सत्र प्रारम्भ होने के न्यूनतम 14 दिन पूर्व तारांकित प्रश्न प्राप्त किए जाते हैं ताकि विधान सभा के सचिव संबद्ध सरकारी विभाग को संबंधित तारांकित प्रश्न की एक प्रति उसके उत्तर के लिये निर्धारित तिथि से कम–से–कम पूरे दस दिन पहले अग्रसारित कर सकें। सभा के किसी भी कार्य दिवस के लिये एक सदस्य के दो तारांकित प्रश्न से अधिक की सूचना मान्य नहीं होंगे। जो तारांकित प्रश्न सदन में अनुत्तरित रह गए वैसे सभी प्रश्न अतारांकित माने जायेंगे।

लोक महत्व के किसी विषय पर संबंधित सरकारी विभाग के मंत्री से जानकारी प्राप्त करने के लिये तारांकित प्रश्न पूछा जाता है। इसके लिए जिस बैठक में सदस्य तारांकित प्रश्न पूछना चाहते हैं उस तिथि से न्यूनतम 14 दिन पूर्व उसकी लिखित सूचना विधान सभा के सचिव को निश्चित रूप से देना होता है। यदि प्रश्न पर 'तारा चिन्ह' नहीं लगा रहेगा तो वह प्रश्न सचिव द्वारा अतारांकित प्रश्न समझा जाएगा।

अतारांकित प्रश्न

आमतौर पर जिन प्रश्नों के लिये लम्बे उत्तर या विस्तृत सांख्यिकी की जानकारी या प्रतिवेदन अपेक्षित हो अथवा जिस प्रश्न का लिखित उत्तर मांगा जाय, उसकी सूचना अतारांकित प्रश्न के रूप में मानी जाती है।

यदि कोई सदस्य अपने प्रश्न में "अल्प सूचित प्रश्न" नहीं लिखते हैं या "तारांकित प्रश्न" नहीं लिखते हैं अथवा प्रश्न प्रभेद का "तारा चिन्ह" नहीं लगाते हैं तो वह प्रश्न भी अतारांकित प्रश्न माना जाता है। विधान सभा के अध्यक्ष को यह अधिकार है कि वे पूछे गए किसी भी अल्प सूचित या तारांकित प्रश्न को अतारांकित प्रश्न के रूप में बदल सकते हैं। कोई सदस्य अतारांकित प्रश्न के रूप में सप्ताह में अधिकाधिक दो सूचना दे सकते हैं। अतारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर सूचना की तिथि से अधिकाधिक एक माह के भीतर सरकार द्वारा प्रश्नकर्ता एवं सभा सचिवालय को भेजा जाना आवश्यक है। सदन में अतारांकित प्रश्नों के उत्तर संबंधित विभाग द्वारा सभा पटल पर रखा जाना आवश्यक है लेकिन ऐसे उत्तरों के संबंध में सदन में संबंधित सदस्य या कोई दूसरे सदस्य कोई पूरक प्रश्न नहीं पूछ सकते हैं। अल्प सूचित प्रश्न या तारांकित प्रश्न के संबंध में प्राप्त उत्तर को और ज्यादा स्पष्ट कराने के लिए अनुपूरक प्रश्न पूछ सकते हैं किंतु पहला अनुपूरक प्रश्नकर्ता का ही होगा।

15 वीं विधान सभा के विभिन्न सत्रों में बैठकों की स्थिति

वर्ष	सत्र	कब से कब तक	अवधि	बैठकों की संख्या	
2010	प्रथम सत्र	30.11.2010 – 09.12.2010	10	08	
2011	दूसरा सत्र	22.02.2011 – 30.03.2011	37	25	34
2011	तीसरा सत्र	15.07.2011 से 21.072011	07	04	
2011	चौथा सत्र	02.12.2011 से 09.12.2011	08	05	
2012	पांचवां सत्र	21.02.2012 से 04.04.2012	44	28	33
2012	छठा सत्र	02.08.2012 से 08.08.2012	07	05	

15 वीं विधान सभा के प्रथम सत्र की बैठकों की स्थिति एवं व्यतीत समय

दिनांक	प्रथम पाली	द्वितीय पाली	कुल व्यतीत समय
30.11.2010	120 मिनट	130 मिनट	4 घंटा 10 मिनट
01.12.2010	35 मिनट	–	35 मिनट
02.12.2010	40 मिनट	–	40 मिनट
03.12.2010	95 मिनट	–	1 घंटा 35 मिनट
06.12.2010	30 मिनट	120 मिनट	2 घंटा 30 मिनट
07.12.2010	45 मिनट	168 मिनट	3 घंटा 33 मिनट
08.12.2010	75 मिनट	225 मिनट	5 घंटा
09.12.2010	75 मिनट	168 मिनट	4 घंटा 3 मिनट
कुल समय	8 घंटा 35 मिनट	13 घंटा 31 मिनट	22 घंटा 06 मिनट

15वीं विधान सभा का प्रथम सत्र 30.11.2010 से 09.12.2010 तक यानी 10 दिनों तक चला। यदि शनिवार एवं रविवार (4–5 दिसम्बर) के अवकाश को नजरंदाज कर दिया जाय तब भी 8 दिन की बैठकों (कार्य दिवस) में प्रति बैठक (कार्य दिवस) मात्र 2 घंटा 45 मिनट 45 सेकेन्ड औसतन समय व्यतीत किया गया। यदि पूरे सत्र की अवधि के आधार पर गणना की जाए तो प्रति बैठक (कार्य दिवस) मात्र 2 घंटा 12 मिनट 36 सेकेन्ड औसतन समय व्यतीत किया गया। क्या नीतिकारों के लिए इतना कम समय प्रर्याप्त है ?

15वीं विधान सभा के प्रथम सत्र में प्राप्त शून्य काल की सूचनाएं

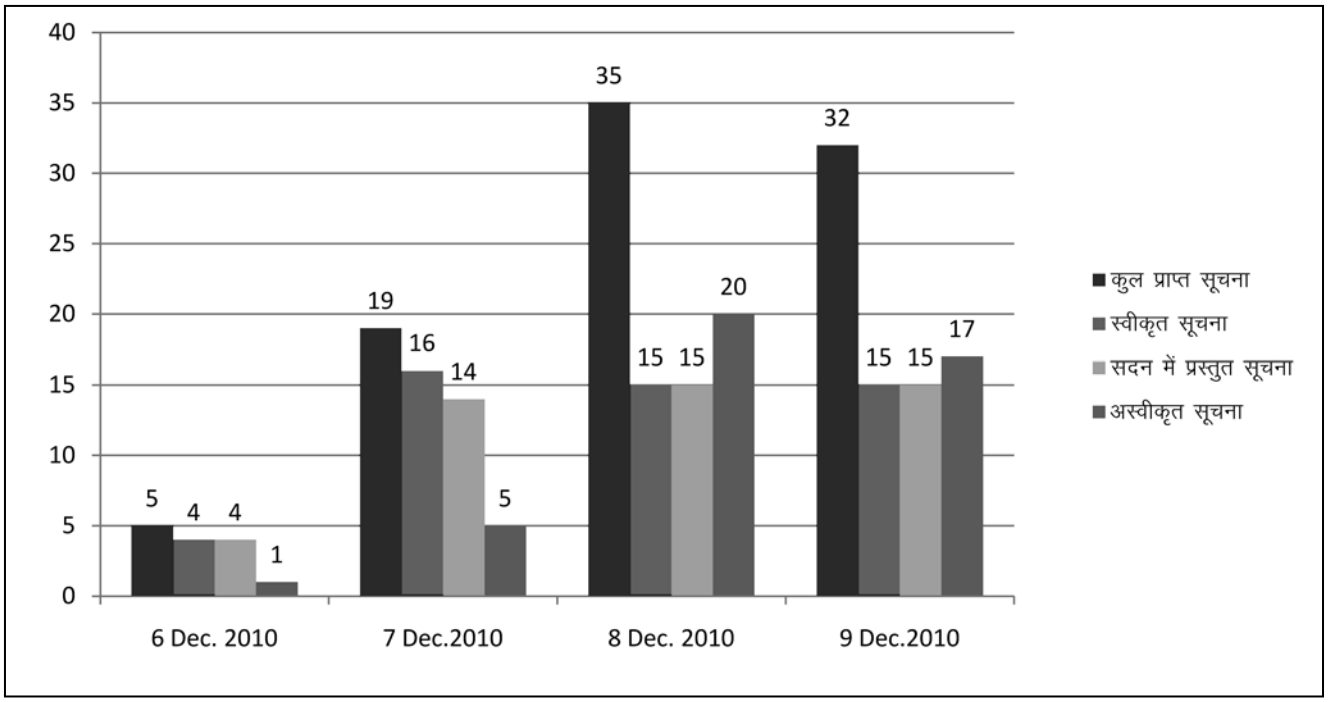

शून्य काल की सूचनाएं

सदन में उपस्थापन की तिथि	सदन के लिए कुल प्राप्त सूचना	सदन के लिए स्वीकृत सूचना	सदन में प्रस्तुत सूचना	अस्वीकृत सूचना	अस्वीकृत सूचना (प्रतिशत)
06.12.2010	05	04	04	01	20 प्रतिशत
07.12.2010	19	16	14	05	25 प्रतिशत
08.12.2010	35	15	15	20	57 प्रतिशत
09.12.2010	32	15	15	17	53 प्रतिशत
कुल	91	51	48	43	47 प्रतिशत

15वीं विधान सभा के प्रथम सत्र में कुल 91 सूचना शून्यकाल के लिए प्राप्त हुई जिनमें सदन के लिए 51 स्वीकृत किए गए थे। प्रथम सत्र के 7वें दिन अर्थात पांचवें बैठक (06.12.10) शून्य काल में प्राप्त 5 सूचना में से स्वीकृत 4 सूचना संबंधित सदस्यों द्वारा प्रस्तुत की गई। उठाये गए मुद्धों में पथ/नाला निर्माण–3, कब्रिस्तानों की घेराबंदी–1, सामाजिक सुरक्षा–2, सिंचाई–2, बिजली–2, पुल निर्माण–1, स्वास्थ्य–1, फसल बीमा/डीजल अनुदान की राशि का भुगतान–1, जल जमाव का निदान–1, जेल की खिड़की में बाहर से किबाड़ की मांग–1 आदि प्रमुख रहे हैं। सदन में प्रस्ताव लाने वाले विधायकों में प्रदीप कुमार, डा० अच्युतानंद, डा० रणविजय कुमार एवं दिनेश कुमार सिंह शामिल हैं।

15वीं विधान सभा के प्रथम सत्र के 8 वें दिन अर्थात छठी बैठक (07.12.2010) में शून्य काल के लिए प्राप्त 19 सूचनाओं में 16 स्वीकृत किए गये थे, जिनमें 2 सदस्य अनुपस्थित रहे और 14 सदस्यों ने अपने प्रस्ताव की प्रस्तुति की। प्रस्तुत किए गये 14 सूचनाओं में सड़क एवं पुल स्लूइस गेट का निर्माण–6, विद्युत आपूर्ति–2, सामाजिक सुरक्षा–2, नरेगा एवं इंदिरा आवास में घोटाला–1, सिंचाई–1, स्वास्थ्य–1, एवं श्मशान घाटों की घेराबंदी –1 शामिल हैं। उक्त बैठक में शून्य काल में प्रस्ताव प्रस्तुत करने वाले सदस्यों में डा० रणविजय कुमार, जवाहर प्रसाद, डा० प्रमोद कुमार सिंह, सुरेन्द्र प्रसाद सिन्हा, दिलीप वर्मा, दुलाल चन्द्र गोस्वामी, प्रमोद कुमार, डा० अच्युतानंद, डा० इजहार अहमद, दिनेश कुमार सिंह, ललित कुमार यादव, वीरेन्द्र सिंह एवं सचिन्द्र प्रसाद सिंह शामिल रहे हैं।

15वीं विधान सभा के प्रथम सत्र के 7वें बैठक (8 दिसम्बर,2010) में शून्य काल के लिए 35 सूचना प्राप्त हुई जिनमें शून्य काल के लिए 15 स्वीकृत की गई। सभी 15 सूचना की सदस्यों ने प्रस्तुति की जो विषयवार निम्न रूप में चिन्हित की जा सकती है – पुल निर्माण मरम्मति –4, सड़क का निर्माण/जीर्णोद्धार–2, स्वास्थ्य संबंधी–2, खाद्यान्न वितरण–1, सिंचाई (कैनाल मरम्मति)–1, हत्याकांड में गिरफ्तारी–1, बाजार हाट निर्माण में धांधली में सर्वाधिक सूचना सड़क निर्माण/मरम्मति पुल निर्माण/मरम्मति से संदर्भित रहा। उक्त बैठक में प्रस्ताव लाने वाले 15 सदस्यों में विनोद कुमार सिंह, डा० रणविजय कुमार, प्रदीप कुमार, प्रमोद कुमार, सचिन्द्र प्रसाद सिंह, नीरज कुमार सिंह, भागीरथी देवी, कुमार शैलेन्द्र, नौशाद आलम, रामायण मांझी, पवन कुमार जयसवाल, अमरेन्द्र कुमार पाण्डेय, दिलीप वर्मा, तारकिशोर प्रसाद एवं सत्यदेव सिंह शामिल रहे हैं। पुराने सदस्यों में दुलाल चन्द्र गोस्वामी, डा० रणविजय कुमार एवं विनोद कुमार शून्य काल में बेल में आ गए जिन्हें माननीय अध्यक्ष के निर्देश पर नियम के उल्लघंन करने के आरोप में खेद व्यक्त करना पड़ा।

15वीं विधान सभा के प्रथम सत्र के 8वें बैठक में 9 दिसम्बर, 2010 के शून्य काल 32 सूचना प्राप्त हुई, जिनमें 15 सूचना प्रस्तुति हेतु स्वीकृत की गई थी। जिनमें सड़क एवं पुल/उपरी पुल निर्माण–7, राजकीय नलकूप चालू कराने हेतु–2, समर्थन मूल्य पर धान खरीद–1, नगर पंचायत घोषित करने–1, नदी से बालू उठाव पर रोक की मांग–1, अपराध एवं गिरफ्तारी –1 एवं स्कूल छात्रों से अवैध राशि की वसूली पर रोक लगाने –1 आदि की प्रस्तुति प्रमुख रहे। उक्त बैठक में शून्य काल में प्रस्ताव लाने वाले 15 सदस्यों में विनोद कुमार सिंह, डा० रणविजय कुमार, उमाकांत यादव, प्रमोद कुमार, सचिन्द्र प्रसाद सिंह, जनार्दन मांझी, भागीरथी देवी, पवन कुमार जायसवाल, विनय बिहारी, संजय सिंह टाइगर, अरूण शंकर प्रसाद, एवं नौशाद आलम शामिल रहे हैं।

शून्य काल में सदन के 243 सदस्यों में से 15वीं विधान सभा के प्रथम सत्र में मात्र 32 विधायकों ने शून्य काल के लिए सूचना दी तथा सदस्यों से प्राप्त कुल 91 प्रस्तावों में से 48 प्रस्तावों की प्रस्तुति हुई और 2 प्रस्ताव संबंधित विधायकों यथा– भागीरथी देवी एवं राम लखण राम रमण की अकस्मात अनुपस्थिति के कारण सदन में नहीं प्रस्तुत किया जा सका।

शून्य काल में प्रस्तुति करने वाले 32 विधायकों में सर्वाधिक प्रस्ताव (4) डा० रणविजय कुमार ने रखा। प्रदीप कुमार, सचिन्द्र प्रसाद सिंह एवं प्रमोद कुमार ने तीन–तीन प्रस्ताव रखे। दुलाल चन्द गोस्वामी, डा० अच्युतानंद, डा० इजहार अहमद, दिनेश कुमार सिंह, विनोद कुमार सिंह, पवन कुमार जायसवाल, दिलीप वर्मा, भागीरथी देवी, रामायण मांझी एवं नौशाद आलम ने दो–दो प्रस्ताव प्रस्तुत किया। शेष सदस्यों में जवाहर प्रसाद, डा० प्रमोद कुमार सिंह, सुरेन्द्र प्रसाद सिन्हा, दिलीप वर्मा, ललित कुमार यादव, विरेन्द्र सिंह, उमाकांत यादव, जनार्दन मांझी, विनय बिहारी, कृष्णनन्दन पासवान, संजय सिंह टाईगर, अरूण शंकर प्रसाद, नीरज कुमार सिंह, कुमार शैलेन्द्र, अमरेन्द्र कुमार पाण्डेय, तारकिशोर प्रसाद, सत्यदेव सिंह एवं रामलखण राम रमन ने शून्य काल में एक–एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया तथा अपने–अपने प्रस्तावों पर कर्रावाई के लिए विभागीय मंत्री से अनुरोध किया।

14वीं विधान सभा

विधायी कार्यकलाप : एक झलक

14वीं विधान सभा के कार्यकाल में सत्रवार प्रस्तुत एवं स्वीकृत प्रश्नों की संख्या

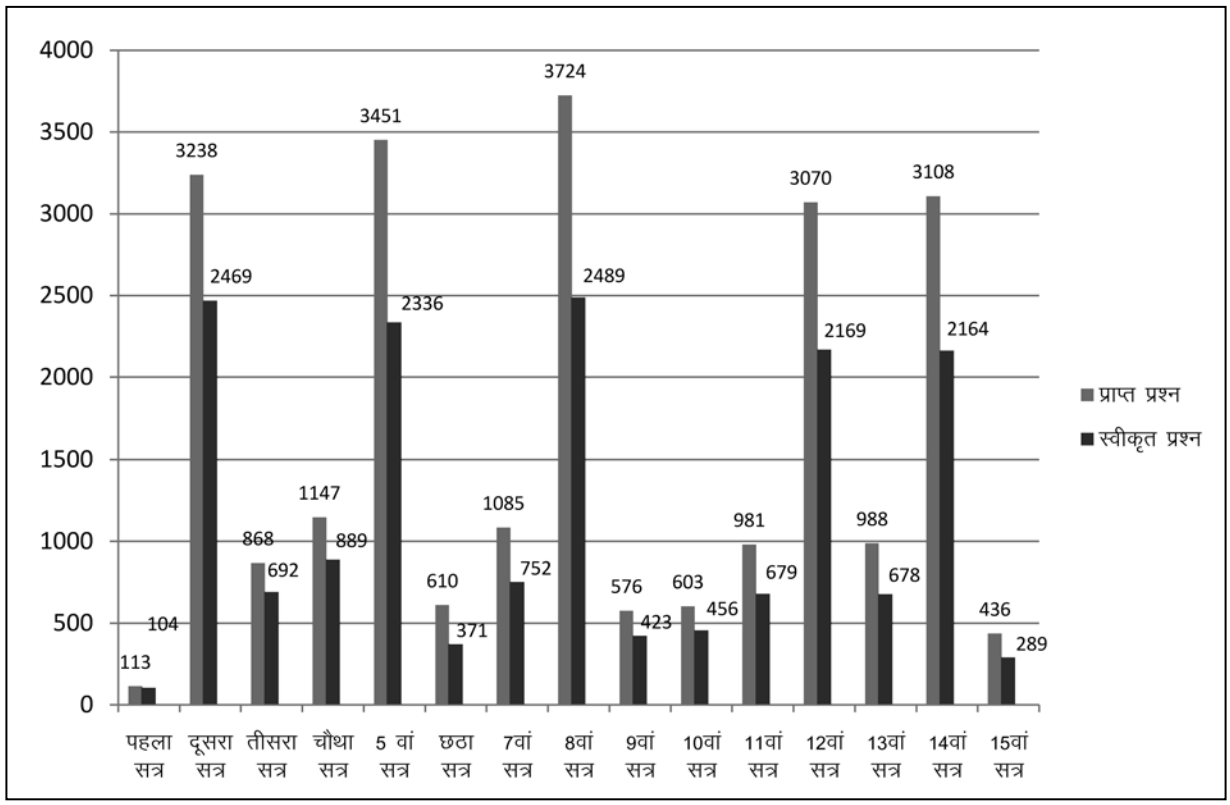

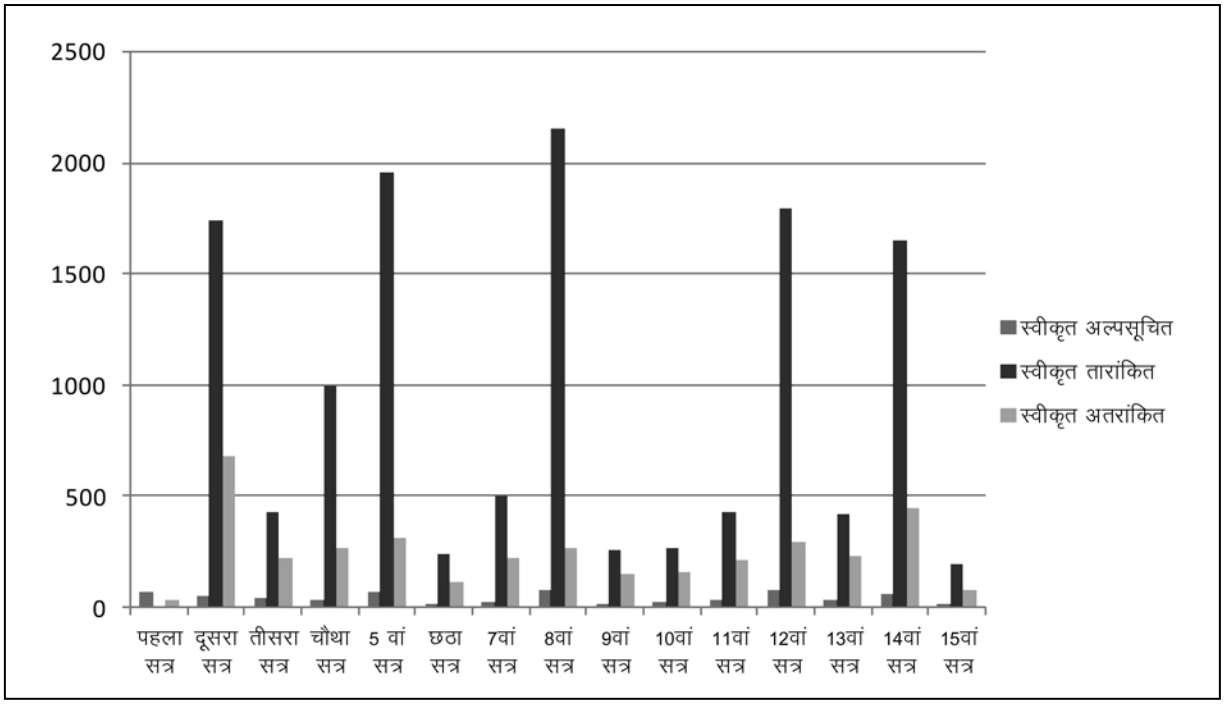

सत्र	प्राप्त प्रश्न	स्वीकृत प्रश्न	स्वीकृत अल्पसूचित	स्वीकृत तारांकित	स्वीकृत अतरांकित
पहला सत्र	113	104	71	0	33
दूसरा सत्र	3238	2469	49	1737	683
तीसरा सत्र	868	692	43	425	224
चौथा सत्र	1147	889	30	590	269
5वां सत्र	3451	2336	71	1952	313
छठा सत्र	610	371	17	239	115
7वां सत्र	1085	752	27	501	224
8वां सत्र	3724	2489	75	2150	264
9वां सत्र	576	423	13	259	151
10वां सत्र	603	459	21	277	161
11वां सत्र	981	679	35	431	213
12वां सत्र	3070	2169	80	1798	291
13वां सत्र	988	678	29	416	233
14वां सत्र	3108	2164	63	1653	448
15वां सत्र	436	289	16	195	78
कुल	23998	16963	640	12623	3700
प्रतिशत		70.69	2.67	52.60	15.42

14वीं विधान सभा के कार्यकाल में प्राप्त निवेदन की स्थिति।

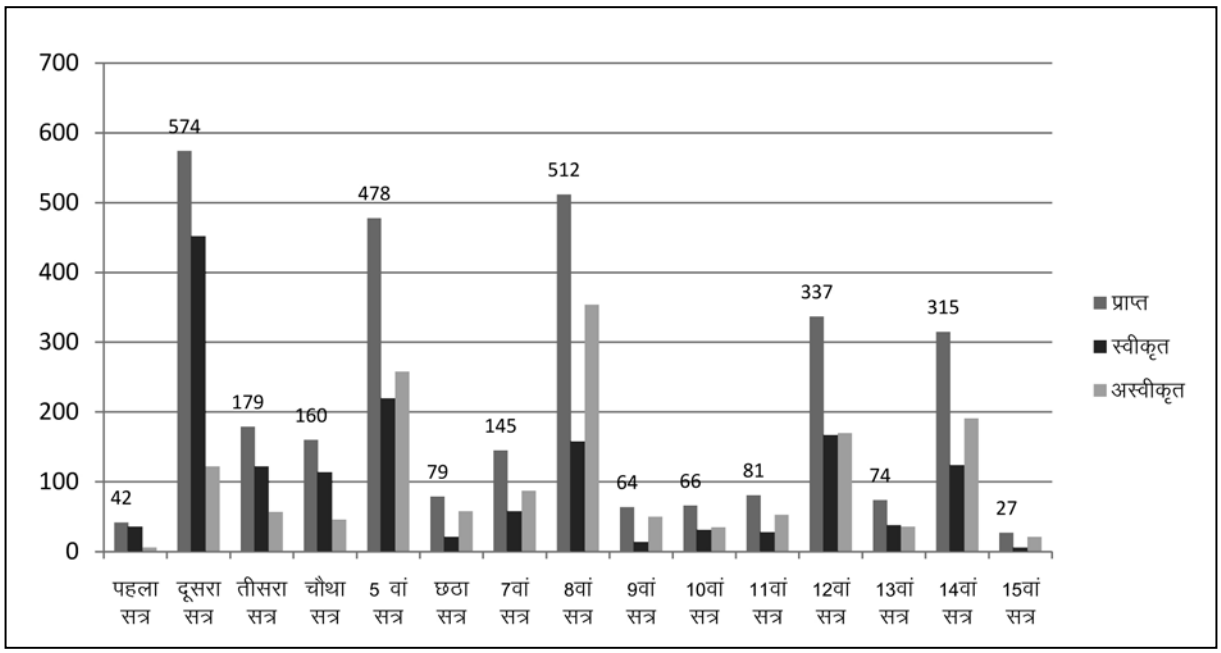

14वीं विधान सभा के कार्यकाल में प्राप्त याचिकाओं की स्थिति।

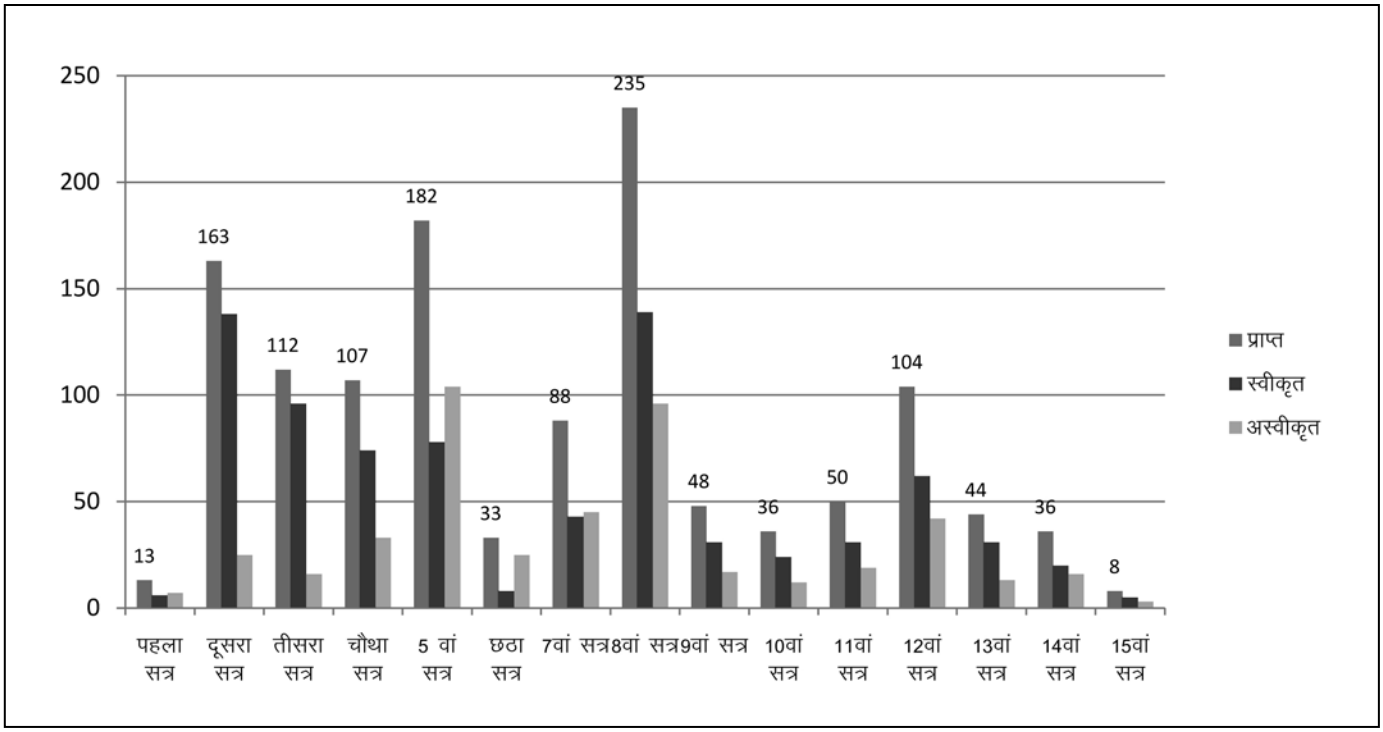

सत्र	निवेदन			याचिकाएं		
	प्राप्त	स्वीकृत	अस्वीकृत	प्राप्त	स्वीकृत	अस्वीकृत
पहला सत्र	42	36	6	13	6	7
दूसरा सत्र	574	452	122	163	138	25
तीसरा सत्र	179	122	57	112	96	16
चौथा सत्र	160	114	46	107	74	33
5वां सत्र	478	220	258	182	78	104
छठा सत्र	79	21	58	33	8	25
7वां सत्र	145	58	87	88	43	45
8वां सत्र	512	158	354	235	139	96
9वां सत्र	64	14	50	48	31	17
10वां सत्र	66	31	35	36	24	12
11वां सत्र	81	28	53	50	31	19
12वां सत्र	337	167	170	104	62	42
13वां सत्र	74	38	36	44	31	13
14वां सत्र	315	124	191	36	20	16
15वां सत्र	27	6	21	08	5	3
कुल	**3133**	**1589**	**1544**	**1259**	**786**	**463**
प्रतिशत		**50.72**	**49.28**		**62.43**	**37.57**

14वीं विधान सभा के कार्यकाल में कुल प्राप्त कार्यस्थगन प्रस्ताव, स्वीकृत एवं अस्वीकृत प्रस्तावों की संख्या

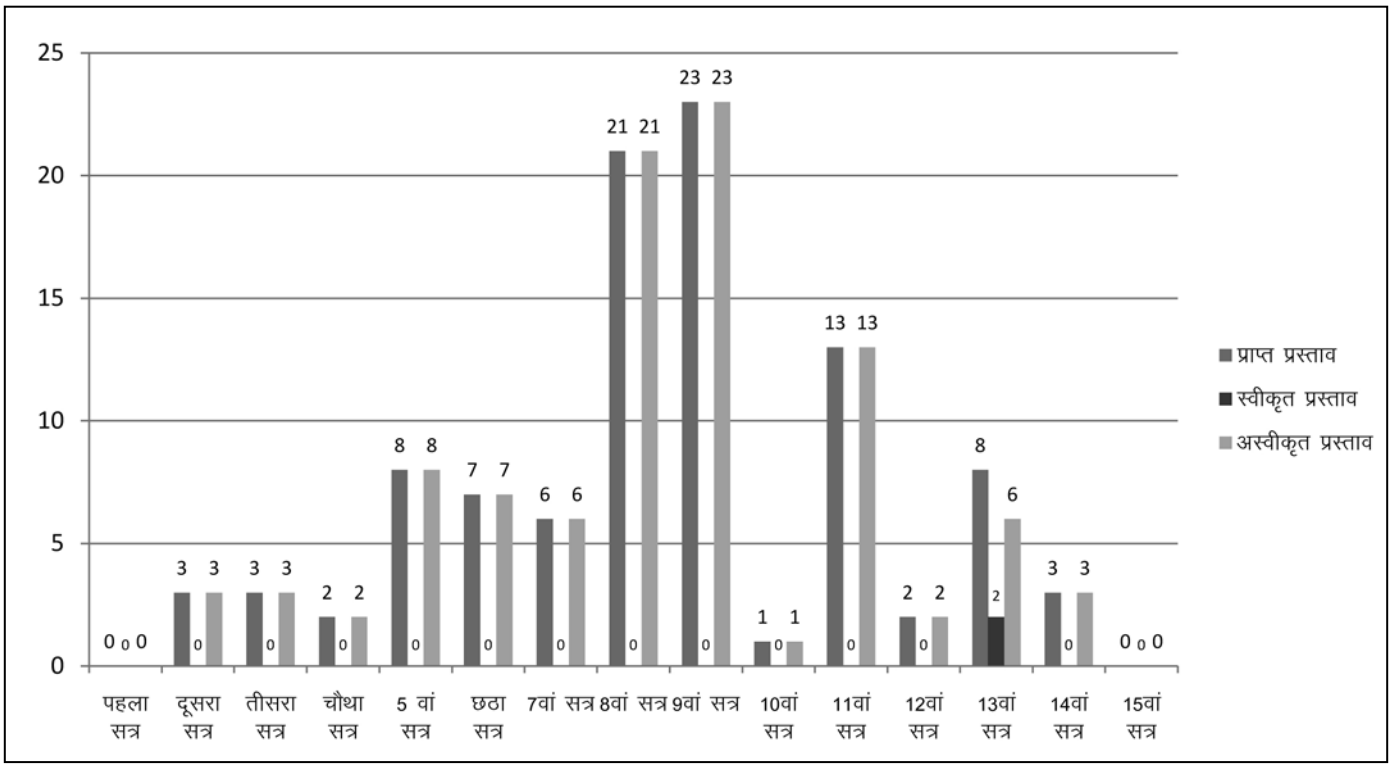

सत्र	प्राप्त प्रस्ताव	स्वीकृत प्रस्ताव	अस्वीकृत प्रस्ताव
प्रथम सत्र	शून्य	शून्य	शून्य
दूसरा सत्र	3	शून्य	3
तीसरा सत्र	3	शून्य	3
चौथा सत्र	2	शून्य	2
5वां सत्र	8	शून्य	8
छठा सत्र	7	शून्य	7
7वां सत्र	6	शून्य	6
8वां सत्र	21	शून्य	21
9वां सत्र	23	शून्य	23
10वां सत्र	1	शून्य	1
11वां सत्र	13	शून्य	13
12वां सत्र	2	शून्य	02
13वां सत्र	8	2	6
14वां सत्र	3	शून्य	3
15वां सत्र	0	0	0
कुल	**100**	**2**	**98**

14वीं विधान सभा के दौरान सदन में प्राप्त गैर सरकारी संकल्प के प्रस्ताव

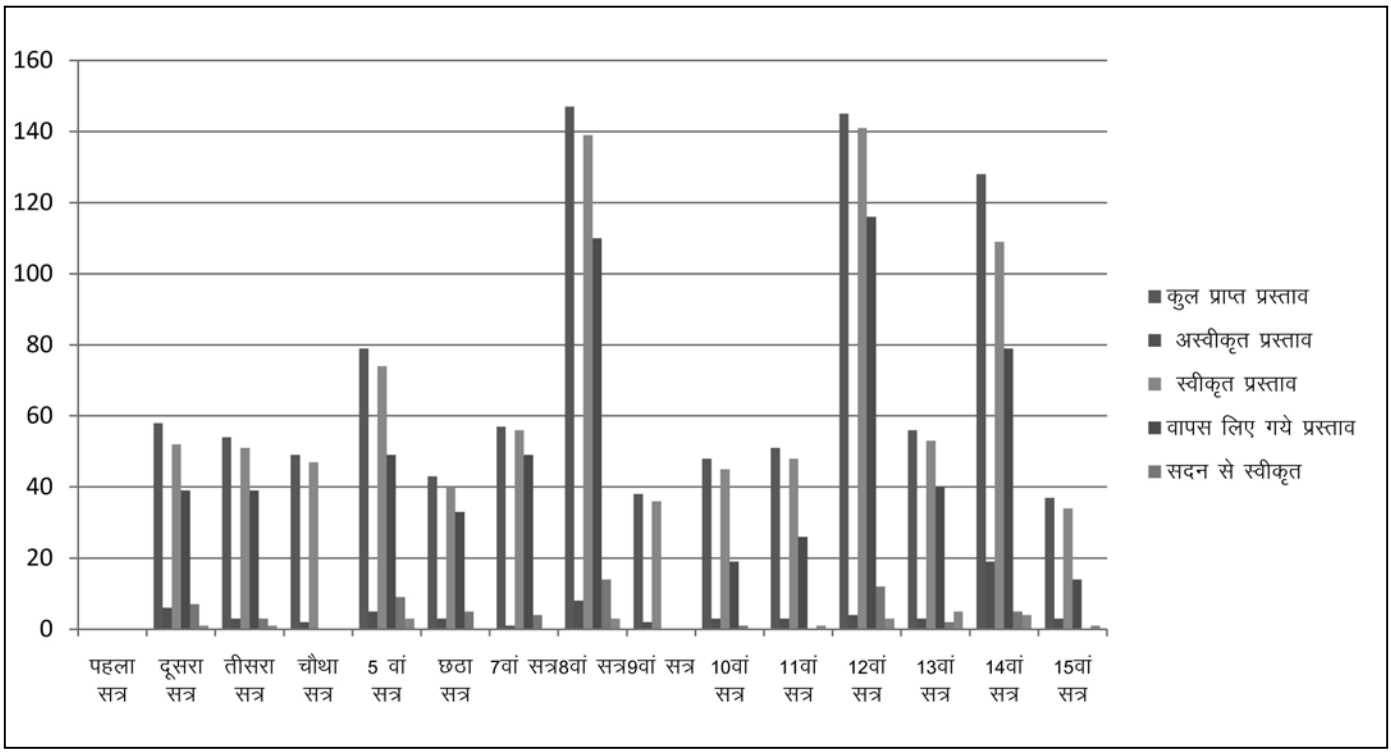

सत्र	कुल प्राप्त प्रस्ताव	अध्यक्ष द्वारा अस्वीकृत प्रस्ताव	सदन के लिए स्वीकृत प्रस्ताव	सदन में वापस लिये गये प्रस्ताव	सदन से स्वीकृत/ पारित	सदन से अस्वीकृत	अनुपस्थित सदस्य
पहला सत्र	0	0	0	0	0	0	0
दूसरा सत्र	58	6	52	39	7	1	5
तीसरा सत्र	54	3	51	39	3	1	8
चौथा सत्र	49	2	47	0	0	0	0
5वां सत्र	79	5	74	49	9	3	13
छठा सत्र	43	3	40	33	5	0	2
7वां सत्र	57	1	56	49	4	0	3
8वां सत्र	147	8	139	110	14	3	12
9वां सत्र	38	2	36	0	0	0	0
10वां सत्र	48	3	45	19	1	0	25
11वां सत्र	51	3	48	26	0	1	21
12वां सत्र	145	4	141	116	12	3	10
13वां सत्र	56	3	53	40	2	5	6
14वां सत्र	128	19	109	79	5	4	21
15वां सत्र	37	3	34	14	0	1	19
कुल	**980**	**65**	**925**	**613**	**62**	**2.2**	**145**
प्रतिशत	**100**	**6.56**	**93.43**	**61.91**	**6.26**	**2.22**	**14.64**

14 वीं विधान सभा के कार्यकाल में प्राप्त ध्यानाकर्षण प्रस्तावों की स्थिति

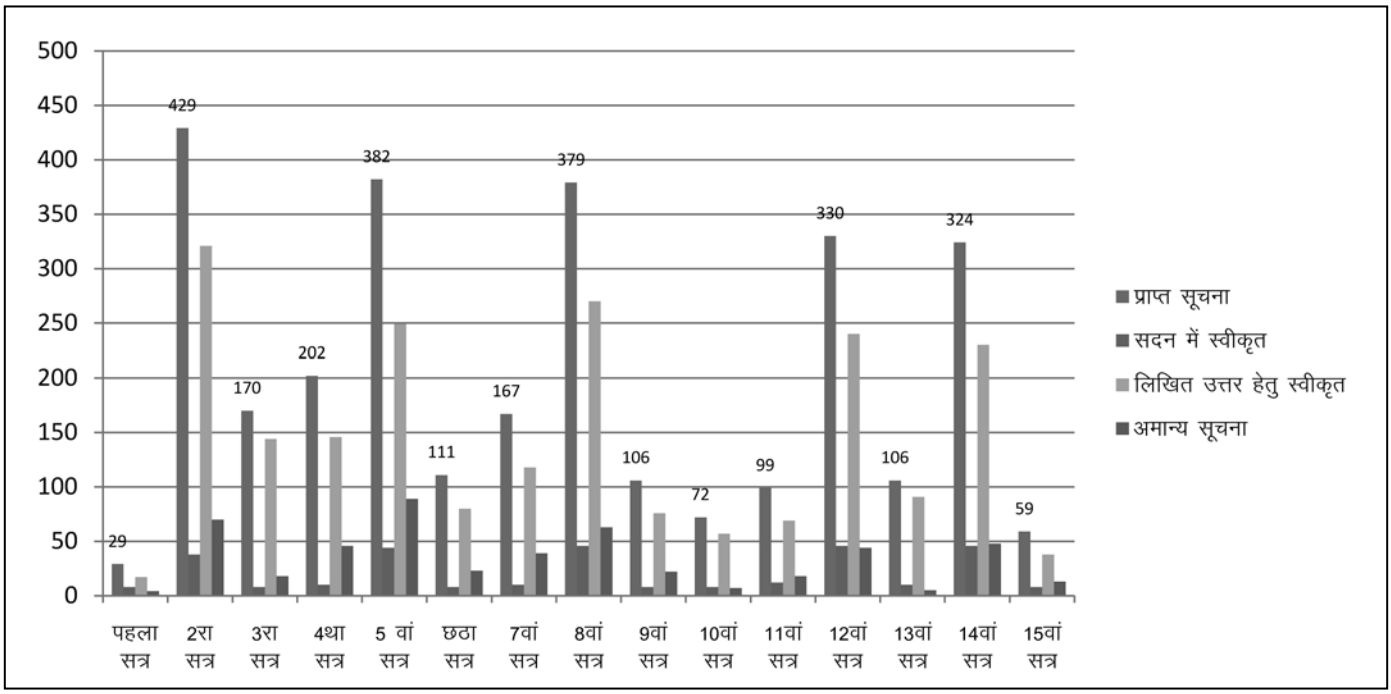

सत्र	कुल प्राप्त ध्यानाक र्षण सूचनाएं	सदन में वक्तव्य के लिए स्वीकृत	लिखित उत्तर देने के लिए स्वीकृत	अमान्य अस्वीकृत सूचनाएं
प्रथम सत्र	29	8	17	4
दूसरा सत्र	429	38	321	70
तीसरा सत्र	170	8	144	18
चौथा सत्र	202	10	146	46
पांचवा सत्र	382	44	249	89
छठा सत्र	111	8	80	23
सातवां सत्र	167	10	118	39
अठवां सत्र	379	46	270	63
नौवां सत्र	106	8	76	22
दसवां सत्र	72	8	57	07
11 वां सत्र	99	12	69	18
12 वां सत्र	330	46	240	44
13 वां सत्र	106	10	91	5
14 वां सत्र	324	46	230	48
15 वां सत्र	59	8	38	13
कुल	**2965**	**310**	**2146**	**509**
प्रतिशत	**100**	**10.45**	**72.38**	**17.17**

14 वीं विधान सभा के दौरान विभिन्न समितियों के द्वारा सम्पन्न बैठकें तथा सभा की समितियों द्वारा समर्पित प्रतिवेदनों की विवरणी

समिति का नाम	बैठक	प्रतिवेदन	समिति का नाम	बैठक	प्रतिवेदन
याचिका समिति	238	40	प्रत्यायुक्त विधान समिति	266	2
लोक लेखा समिति	595	28	पर्यटन उद्योग संबंधी समिति	208	2
सामान्य, प्रयोजन समिति	42	22	विधायक निधि एवं अनुश्रवण, स0	233	1
सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति	519	20	गैर सरकारी विधेयक एवं संकल्प–सह–पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण समिति	206	1
निवेदन समिति	510	11	कृषि उद्योग विकास समिति	189	1
शून्यकाल समिति	239	7	आवास समिति	201	1
प्राक्कलन समिति	543	4	आंतरिक संसाधन एवं केन्द्रीय सहायता समिति	277	0
अनु० जाति एवं जनजाति कल्याण समिति	379	3	पुस्तकालय समिति	207	0
महिला एवं बाल विकास समिति	255	3	आचार समिति	44	0
प्रश्न एवं ध्यानाकर्षण समिति	193	3	विशेषाधिकार समिति	21	0
जिला परिषद् एवं पंचायती राज समिति	324	2	नियम समिति	11	0
राजकीय आश्वासन समिति	200	45			

15 वीं बिहार विधान सभा में 23 समितियां कार्यरत हैं। 14 वीं विधान सभा की एक समिति यथा –विधायक निधि एवं अनुश्रवण समिति के स्थान पर 15 वीं विधान सभा के दौरान बिहार विरासत विकास समिति एवं कार्य मंत्रणा समिति गठित की गयी हैं।

चतुर्दश बिहार विधान सभा में पारित विधेयकों की सूची।

02. बिहार विनियोग विधेयक, 2005

03. बिहार विनियोग (संख्या–2) विधेयक, 2005

04. बिहार वित्त विधेयक, 2006

05. बिहार विनियोग विधेयक, 2006

06. बिहार विनियोग (संख्या–2) विधेयक, 2006

07. बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन विधेयक, 2006

08. पटना विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2006

09. बिहार राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2006

10. बिहार क्षेत्रीय विकास प्राधिकार (संशोधन) विधेयक, 2006

11. बांध सुरक्षा विधेयक, 2006

12. बिहार विधि–निरसन (जो आवश्यक अथवा सुसंगत नहीं रह गए हैं) विधेयक, 2006

13. बिहार पंचायत राज विधेयक, 2006

14. बिहार भूमि सुधार (अधिकतम सीमा निर्धारण तथा अधिशेष भूमि अर्जन) (संशोधन) विधेयक, 2006

15. बिहार सिंगल विण्डो क्लियरेंस विधेयक, 2006

16. बिहार जल प्रबंधन विधेयक, 2006

17. आधारभूत संरचना विकास सामर्थ्यकारी (एनेबलिंग) विधेयक, 2006

18. स्थानीय क्षेत्र में उपभोग,व्यवहार अथवा बिक्री हेतु मालों के प्रवेश पर कर (संशोधन)विधेयक,2006

19. बिहार मूल्य–वर्द्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2006

20. बिहार विधान मंडल (पदाधिकारियों के वेतन एवं भत्ते) विधेयक, 2006

21. बिहार (मंत्रियों के वेतन एवं भत्ते) विधेयक, 2006

22. बिहार विधान मंडल (सदस्यों का वेतन, भत्ता और पेंशन) विधेयक, 2006

23. वक्फ (बिहार संशोधन) विधेयक, 2006

24. पटना नगर निगम (संशोधन) विधेयक, 2006

25. भारतीय स्टाम्प (बिहार संशोधन) विधेयक, 2006

26. बिहार अराजकीय माध्यमिक विद्यालय (प्रबंध एवं नियंत्रण ग्रहण) विधेयक, 2006

27. चाणक्य राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय विधेयक, 2006

28. बिहार विनियोग (संख्या–3) विधेयक, 2006

29. बिहार कृषि उपज (निरसन) विधेयक, 2006

30. बिहार पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, 2006

31. बिहार अपार्टमेंट स्वामित्व विधेयक, 2006

32. बिहार साहूकार (संशोधन) अधिनियम, 2006

33. बिहार होटलों में विलासिता कराधान (संशोधन) अधिनियम, 2006

34. बिहार आधारभूत संरचना विकास सामर्थ्यकारी (इनेबलिंग) (संशोधन) अधिनियम, 2006

35. बिहार विनियोग (संख्या–4) अधिनियम, 2006

36. बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास (संशोधन) अधिनियम, 2006

37. बिहार भूगर्भ जल (विकास एवं प्रबंधन का विनियमन एवं नियंत्रण) अधिनियम, 2006

38. बिहार उत्पाद (संशोधन) अधिनियम, 2006

39. बिहार विनियोग विधेयक, 2007

40. बिहार वित्त विधेयक, 2007

41. बिहार विनियोग (संख्या–2) विधेयक, 2007

42. बिहार विधान मंडल (निरर्हताएं, निराकरण) (संशोधन) विधेयक, 2007

43. बिहार आपदा प्रबंधन (निरसन) विधेयक, 2007

44. बिहार कॉलेज सेवा आयोग (निरसन) विधेयक, 2007

45. बिहार राज्य विश्वविद्यालय (अंगीभूत महाविद्यालय) सेवा आयोग (निरसन) विधेयक, 2007

46. बिहार अन्तर विश्वविद्यालय बोर्ड (निरसन) विधेयक, 2007

47. पटना विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2007

48. बिहार राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2007

49. बिहार नैदानिक स्थापन (नियंत्रण एवं विनियमन) विधेयक, 2007

50. यूनिवर्सिटी ऑफ नालन्दा विधेयक, 2007

51. बिहार पुलिस विधेयक, 2007

52. बिहार स्थानीय क्षेत्रों में उपभोग, व्यवहार अथवा बिक्री हेतु मालों के प्रवेश पर कर (संशोधन एवं विधिमान्यकरण) विधेयक, 2007

53. बिहार जलकर प्रबंधन (संशोधन) विधेयक, 2007

54. बिहार इन्टरमिडियट शिक्षा परिषद (निरसन) विधेयक, 2007

55. बिहार विद्यालय परिक्षा समिति (संशोधन) विधेयक, 2007

56. बिहार नगरपालिका विधेयक, 2007

57. बिहार ईख (आपूर्ति एवं खरीद का विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 2007

58. बिहार दुकान एवं प्रतिष्ठान (संशोधन) विधेयक, 2007

59. बिहार विनियोग (संख्या–3) विधेयक, 2007

60. बिहार कर्मचारी चयन आयोग (संशोधन) विधेयक, 2007

61. बिहार प्रारम्भिक विद्यालय शिक्षा समिति विधेयक, 2007

62. बिहार विनियोग (संख्या–4) विधेयक, 2007

63. बिहार आकस्मिकता निधि (संशोधन) विधेयक, 2007

64. बिहार सचिवालय सेवा विधेयक, 2007

65. पिछड़े वर्गो के लिए राज्य आयोग (संशोधन) विधेयक, 2007

66. न्यायालय फीस (बिहार संशोधन) विधेयक, 2007

67. बिहार पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, 2007

68. बिहार नैदानिक स्थापन (नियंत्रण और विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 2007

69. बिहार रिसर्च सोसाइटी (अधिग्रहण) विधेयक, 2007

70. इन्दिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान (संशोधन) विधेयक, 2007

71. बिहार विनियोग विधेयक, 2008

72. बिहार विनियोग (संख्या–2) विधेयक, 2008

73. बिहार वित्त विधेयक, 2008

74. बिहार राज्य मेला प्राधिकार विधेयक, 2008

75. बिहार राज्य सूक्ष्म एवं लघु उद्यम पुनर्वास विधेयक, 2008

76. बिहार लोक कार्य संविदा विवाद मध्यस्थ न्यायाधिकरण विधेयक, 2008

77. बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार विधेयक, 2008

78. पटना विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2008

79. बिहार राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2008

80. बिहार राज्य सार्वजनिक पुस्ताकालय एवं सूचना केन्द्र विधेयक, 2008

81. बिहार सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 2008

82. बिहार स्थानीय क्षेत्रों में उपभोग, व्यवहार अथवा बिक्री हेतु मालों के प्रवेश पर कर (संशोधन विधिमान्यकरण) विधेयक, 2008

83. इन्दिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान (संशोधन) विधेयक, 2008

84. बिहार नगरपालिका प्रकटीकरण विधेयक, 2008

85. बिहार विनियोग (संख्या–3) विधेयक, 2008

86. बिहार मूल्य वर्द्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2008

87. आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक, 2008

88. बिहार मूल्य विर्द्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2008 वि.स.वि–24/2008

89. बिहार आकस्मिकता निधि (संशोधन) विधेयक, 2008

90. बिहार स्वावलम्बी सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 2008

91. न्यायालय फीस (बिहार संशोधन) विधेयक, 2008

92. बिहार विनियोग (संख्या–4) विधेयक, 2008

93. बिहार सरकारी परिसर (आवंटन, किराया, वसूली एवं बेदखली) (संशोधन) विधेयक, 2008

94. बिहार विनियोग विधेयक, 2009

95. बिहार विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 2009

96. बिहार विशेष न्यायालय विधेयक, 2009

97. बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (संशोधन) विधेयक, 2009

98. बिहार सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 2009

99. बिहार विनियोग (संख्या–2) विधेयक, 2009

100. बिहार विनियोग (संख्या–3) विधेयक, 2009

101. बिहार नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2009

102. बिहार भूमि न्यायाधिकरण विधेयक, 2009

103. बिहार पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, 2009

104. बिहार आकस्मिकता निधि (संशोधन) विधेयक, 2009

105. बिहार भूमि सुधार (अधिकतम सीमा निर्धारण तथा अधिशेष भूमि अर्जन) (संशोधन) विधेयक, 2009

106. बिहार अराजकीय माध्यमिक विद्यालय (प्रबंध एवं नियंत्रण ग्रहण) (संशोधन) विधेयक, 2009

107. बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (वित्तीय संशोधन) विधेयक, 2009

108. बिहार मूल्य वर्द्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2009

109. बिहार भूमि विवाद निराकरण विधेयक, 2009

110. बिहार विनियोग (संख्या–4) विधेयक, 2009

111. बिहार विनियोग विधेयक, 2010

112. बिहार विनियोग (संख्या–2) विधेयक, 2010

113. बिहार वित्त विधेयक, 2010

114. रजिस्ट्रीकरण (बिहार संशोधन) विधेयक,

115. बिहार कृषि विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2010

116. बिहार सम्पत्ति विरूपण निवारण (संशोधन) विधेयक, 2010

117. बिहार विशेष सुरक्षा दल (संशोधन) विधेयक, 2010

118. बिहार आकस्मिकता निधि (संशोधन) विधेयक, 2010

119. न्यायालय फीस (बिहार संशोधन) विधेयक, 2010

120. बिहार भूमि विवाद निराकरण (संशोधन) विधेयक, 2010

121. बिहार कृषि भूमि (गैर कृषि परियोजनाओं के लिए सम्परिवर्तन) विधेयक, 2010

122. पटना विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2010

123. बिहार राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2010

124. बिहार कोचिंग संस्थान (नियंत्रण एवं विनियमन) विधेयक, 2010

125. बिहार कृषि विश्वविद्यालय विधेयक, 2010

126. बिहार स्वावलम्बी सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 2010

127. बिहार सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 2010

128. बिहार पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, 2010

129. बिहार मत्स्य जलकर प्रबंधन (संशोधन) विधेयक, 2010

130. दीघा अर्जित भूमि बन्दोवस्ती विधेयक, 2010

131. यूनिवर्सिटी ऑफ नालन्दा (निरसन) विधेयक, 2010

132. बिहार राज्यकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (संशोधन) विधेयक, 2010

133. बंगाल, आगरा एवं असम, व्यवहार न्यायालय (बिहार संशोधन) विधेयक, 2010

134. बिहार विनियोग (संख्या–3) विधेयक, 2010

15वीं विधान सभा की समितियों की स्थिति

क्र०	समिति का नाम	सभापति	अधिकतम सदस्य	वर्तमान सदस्य	अभ्युक्ति
1	सामान्य प्रयोजन समिति	उदय नाण चौधरी	11	11	पदेन सभापति
2	विशे ाधिकार समिति	उदय नाण चौधरी	11	11	प्देन सभापति
3	नियम समिति	उदय नाण चौधरी	11 सदस्यीय	11	पदेन सभापति
4	लोक लेखा समिति	ललित कुमार यादव	13	13	मंत्री सदस्य नहीं
5	प्राक्कलन समिति	डा० इजहार अहमद	19	19	मंत्री सदस्य नहीं
6	सरकारी उपक्रम समिति	विजय कुमार मिश्र	15	11	
7	अनु० जाति एवं जनजाति कल्याण समिति	रमेश ऋषिदेव	19 सदस्यीय	14	
8	पुस्तकालय समिति	राघवेन्द्र प्रताप सिंह	अध्यक्ष द्वारा	9	
9	प्रत्यायुक्त विधान समिति	रामेश्वर प्रसाद	7	07	
10	आंतरिक संसाधन एवं केन्द्रीय सहयता समिति	सुबोध राय	11	11	
11	महिला एवं बाल विकास समिति	पूनम देवी यादव	15	12	
12	प्रथम एवं ध्यानाकर्षण समिति	रेणु देवी	19 सदस्यीय	12	
13	जिला परिषद एवं पंचायती राज समिति	अमरेन्द्र प्रताप सिंह	समान्यतः 19	18	
14	आवास समिति	बीमा भारती	अध्यक्ष द्वारा	6	मंत्री सदस्य नहीं
15	निवेदन समिति	शालीग्राम यादव	न्यूनतम 19	19	
16	गैर सरकारी विधेयक एवं संकल्प–सह–पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण स0	राम प्रवेश राय	अध्यक्ष द्वारा निर्धारण	5	
17	राजकीय आश्वासन समिति	लेशी सिंह	11	10	
18	याचिका समिति	याम बिहारी प्रसाद	11	19	
19	कृषि उद्योग विकास समिति	नरेन्द्र कु० पाण्डेय उर्फ सुनील पाण्डेय	अध्यक्ष द्वारा निर्धारण	7	
20	पर्यटन उद्योग संबंधी समिति	जवाहर प्रसाद	अध्यक्ष द्वारा	5	अध्यक्ष द्वारा
21	शून्य काल समिति	अवनीश कु० सिंह	11	11	
22	बिहार विरासत विकास समिति	गुड्डी देवी	9	9	
23	कार्य मंत्रणा समिति	उदय नाण चौधरीए मा० अध्यक्ष	8	8 + 3 त्र 11	अध्यक्ष सभापति

15 वीं विधान सभा के प्रथम सत्र में विधायी कार्य

बिहार विधान सभा के 14वीं विधान सभा के दौरान दोनों सदनों द्वारा पारित तथा महामहिम राज्यपाल द्वारा अनुमति प्राप्त तीन विधायकों को दिनांक 03.12.2010 को सभा मेज पर रखा गया जिनकी विवरणी एवं राज्यपाल से अनुमति की तिथि से सभा सचिव ने विधान सभा के सदस्यों को अवगत कराया।

1. यूनिवर्सिटी ऑफ नालन्दा (निरसन) विधेयक, 2010 (राज्यपाल से अनुमति की तिथि–23.08.10)

2. बिहार राज कोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधक (संशोधन) विधेयक,2010 (संशोधन की अनुमति–30.07.2010)

3. बिहार विनियोग (संख्या–4) विधेयक,2010 (अनुमति की तिथि–30.07.2010)

उपमुख्यमंत्री श्री सुशील कुमार मोदी द्वारा दिनांक 08.12.2010 को सभा की मेज पर तीन विधेयकों की प्रति को रखा गया था तथा विधेयकों की विवरणी से सभा सदस्यों को अवगत कराया :–

1. विधान मंडल के सदस्यों का वेतन,भत्ता, पेंशन नियमावली

2. बिहार सांख्यिकी सेवा नियमावली 2009

3. बिहार अवर योजना संवर्ग नियमावली 2009

उपमुख्यमंत्री श्री सुशील कुमार मोदी ने सभा अध्यक्ष से दिनांक 08.12.2010 को राजकीय वित्तीय विधेयक के रूप में बिहार विनियोग (संख्या–4) विधेयक 2010 को पुनःस्थापित करने की अनुमति मांगी और सभा अध्यक्ष ने विचार का प्रस्ताव लिया तथा प्रस्ताव स्वीकृत किया। अध्यक्ष ने खंड 1, 2 एवं 3 को जोड़ देने का निर्णय दे दिया।

उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने सदन से स्वीकृति का प्रस्ताव रखते हुए कहा कि यह विधेयक 03.12.2010 को ही उपस्थापित किया गया था। दरअसल भारत सरकार का निर्णय है कि वर्ष 2014 तक देश के 60 करोड़ नागरिकों को यू० आई० डी० (यूनिकआइडेन्टी फिकेशन नम्बर) प्रदान करना है। इस विशेष नम्बर को प्रदान करने हेतु 13वीं वित्त आयोग ने 369 करोड़ रूपये की अनुशंसा की है। फोटोग्राफी सहित बी. पी. एल परिवारों पर प्रति परिवार 100 रूपये की दर से 369 करोड़ रूपये के अनुदान की अनुशंसा की गई है। इसी उद्देश्य से वित्तीय वर्ष 2010–11 में 84.44 करोड़ का प्रावधान किया गया है। सभा अध्यक्ष श्री उदय नारायण चौधरी ने कहा कि प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

उपमुख्यमंत्री श्री सुशील कुमार मोदी द्वारा 08.12.2010 को बिहार विधान मंडल (सदस्यों का वेतन, भत्ता और पेंशन) अधिनियम, 2006 की धारा 8 (3) के तहत संशोधित नियमावली सदन के पटल पर रखा गया जो सभा अध्यक्ष के निर्देश पर 14 दिनों तक पटल पर बनाए रखा गया।

उपमुख्यमंत्री ने बिहार सांख्यिकी सेवा नियमावली, 2009 तथा बिहार अवर योजना संवर्ग नियमावली,2009 की एक–एक प्रति सदन के पटल पर दिनांक 08.12.2010 को रखा।

15 वीं विधान सभा के प्रथम सत्र में वितीय कार्य

उप मुख्यमंत्री श्री सुशील कुमार मोदी ने वित्त मंत्री का दायित्व निर्वहन करते हुए वित्तीय वर्ष 2010–11 के लिए विधान मंडल द्वारा पारित बिहार विनियोग (संख्या 2 एवं 3) अधिनियम 2010 द्वारा स्वीकृत खर्च के अतिरिक्त संभावित व्यय

को ध्यान में रखकर दिनांक 03.12.2010 को द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरण प्रस्तुत किया तथा दिनांक 08.12.2010 को उन्होंने वर्ष 2010–11 में 31 मार्च 2011 तक संभावित अतिरिक्त व्यय विवरणी को सदन के पटल पर रखा।

बिहार सरकार के वित्त मंत्री के रूप में उपमुख्यमंत्री श्री सुशील कुमार मोदी ने वित्तीय वर्ष 2010–11 के लिए स्वीकृत बजट के अतिरिक्त संभावित खर्च का आंकलन संबंधी द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरणी दिनांक 03.12.2010 को सदन में प्रस्तुत किया।

बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 2006 की धारा–11 के आलोक में वित्तीय वर्ष 2010–11 के बजट प्राक्कलन से संबंधित प्राप्ति एवं व्यय संबंधी प्रथम एवं द्वितीय तिमाही के परिणाम की एक–एक प्रति सदन के पटल पर दिनांक 08.12.2010 को उप मुख्यमंत्री द्वारा रखा गया।

उपमुख्यमंत्री द्वारा 08.12.2010 को प्रस्तुत संभावित अतिरिक्त व्यय विवरणी में सम्मिलित अनुदानों की मांग संबंधी विभागवार कुल संख्या–35 थी किंतु सभा अध्यक्ष ने इन मांगों में मात्र कृषि विभाग की मांग (मांग संख्या–1) पर सदन में वाद–विवाद, सरकार की ओर से उत्तर एवं मतदान की अनुमति प्रदान की और शेष मांगों का व्यवस्थापन गिलोटीन (मुख्यबंध) द्वारा किए जाने का निर्देश जारी किया।

सभा अध्यक्ष श्री उदय नारायण चौधरी ने कृषि विभाग के द्वितीय अनुपूरक मांग (384 करोड़ 4 लाख 49 हजार) पर सदन में वाद विवाद के लिए सदन में दलगत संख्या के आधार पर तीन (3) घंटे का समय निम्न रूप में निर्धारित किया:–

जदू (यू)–85 मिनट, भाजपा–67 मिनट, राजद–16 मिनट, कांग्रेस–03 मिनट, लोजपा–3, सी० पी.आई–1 मिनट एवं निर्दलीय सदस्य के लिए–05 मिनट।

बिहार सरकार के कृषि मंत्री श्री नरेन्द्र सिंह ने वित्तीय वर्ष 2010–11 में 31.03.11 तक के संभावित व्यय के लिए/व्यय की पूर्ति के लिए विधानमंडल द्वारा पारित उपबंध के अतिरिक्त 384 करोड़ 4 लाख 49 हजार रूपये से अधिक अनुपूरक राशि की स्वीकृति प्रदान करने की मांग की तथा उक्त प्रस्ताव में राज्यपाल की सिफारिश प्राप्त रहने की जानकारी सदन में माननीय सदस्यों को दी।

कृषि विभाग की अनुपूरक अनुदानों की मांग के समर्थन में एवं इस मांग में डा० फैयाज अहमद द्वारा प्रस्तुत किए गए 10 रूपये का कटौती प्रस्ताव के समर्थन में सदन में हुए वाद–विवाद के बाद सभा के माननीय अध्यक्ष ने कटौती प्रस्ताव वापस लेने का अनुरोध किया।

कृषि विभाग के अनुपूरक मांग के समर्थन करने हेतु वक्तव्य देने वाले माननीय सदस्यों में दिनेश प्रसाद, डा० अच्युतानंद, शालीग्राम यादव, रामदेव महतो, रामेश्वर पासवान, रामायण मांझी, वीरेन्द्र कुमार सिंह एवं पवन कुमार जायसवाल आदि प्रमुख रहे जबकि कटौती प्रस्ताव के समर्थन में वक्तव्य देने वाले माननीय सदस्यों में चन्द्रशेखर, दुर्गा प्रसाद सिंह, अवधेश कुमार, रश्मी ज्योति एवं सोम प्रकाश सिंह आदि प्रमुख हैं। सभा के माननीय अध्यक्ष ने डा० फैयाज से कटौती प्रस्ताव वापस लेने का अनुरोध किया।

डा० फैयाज की असहमति के बाद सभा अध्यक्ष श्री उदय नारायण चौधरी ने कटौती प्रस्ताव को अस्वीकृत कर दिया और कृषि विभाग की अनुपूरक अनुदानों की मांग संबंधी प्रस्ताव को स्वीकृत कर दिया।

माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने सभा अध्यक्ष को महत्वपूर्ण सुझाव दिया कि संसद/लोकसभा में अनुपूरक अनुदानों की मांगों के लिए अलग–अलग कॉलम में एक ही साथ तथ्य अंकित रहते हैं और एक ही प्रस्ताव में सब स्वीकृत होता है। बार–बार दुहराने की जरूरत नहीं पड़ती/इससे मोनोटोनी भी होता है। सभा अध्यक्ष ने नियम समिति में लाकर इस प्रक्रिया को लागू कर देने का आश्वासन दिया।

हालांकि बिहार विधान–सभा की प्रक्रिया तथा कार्य–संचालन नियमावली में वित्तीय कार्य के तहत अनुदान की मांग करते समय वित्त मंत्री को यह अधिकार प्रदत्त है कि " वित्त मंत्री, स्वविवेक से, दो या अधिक विभागों के लिये प्रस्थापित अनुदानों को एक मांग में शामिल कर सकेंगे "।

उपमुख्यमंत्री श्री सुशील कुमार मोदी ने पुनः दिनांक 08.12.2010 को वित्तीय वर्ष 2010–11 में 31.03.2011 तक के लिए अतिंरिक्त संभावित खर्च के लिए द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरणी को सभा सदन के पटल पर रखा जिसे सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया।

15वीं विधान सभा के प्रथम सत्र में 31 मार्च, 2011 तक वित्तीय वर्ष 2010–11 में संभावित व्यय की दृष्टि से प्रस्तुत विभागवार द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरणी जिसे सर्वसम्मति से पारित किया गयाः–

क्र०	विभाग	द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरणी (रू)	बहस/बिना बहस के पारित
1.	कृषि विभाग	3,84,04,49000	बहस से पारित
2.	पशु एवं मत्स्य संसाधन	4,13,17000/–	बहस नहीं
3.	भवन निर्माण	771.60 लाख	
4.	मंत्रिमंडल सचिवालय	30,59,000/–	"
6.	निर्वाचन विभाग	69,21,000/–	"
9.	स्हकारिता विभाग	26,76,58000/–	बहस नहीं
10.	उर्जा विभाग	3,60 करोड़	"
11.	पिछड़ा वर्ग एवं अति– पिछड़ा वर्ग कल्याण	16 लाख	बहस नहीं
12.	वित्त विभाग	1150 करोड़	"
16.	पंचायती राज विभाग	152.95 करोड़	"
17.	वाणिज्यकर विभाग	16.50 लाख	"
18.	खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण	234 करोड़ 65 हजार	"
19.	पर्यावरण एवं वन विभाग	4 करोड़ 87 लाख 99 हजार	"
20.	स्वास्थ्य विभाग	12 करोड़ 69 लाख 18 हजार	"
21.	मानव संसाधन विकास	8 करोड़ 60 लाख 78 हजार	"
27.	विधि विभाग	54.67 करोड़	"

30.	अल्पसंख्यक कल्याण	89.51 लाख	"
31.	संसदीय कार्य विभाग	52.01.लाख	"
32.	विधान मंडल	6.48 करोड़	"
22.	गृह विभाग	2 करोड़ 18 लाख 82हजार	"
23.	उद्योग विभाग	5 करोड़ 516 लाख 60हजार	"
33.	सामान्य प्रशासन विभाग	2 करोड़ 37. लाख 14 हजार	बिना बहस पारित
35.	योजना एवं विकास	85 करोड़ 93 लाख 58 हजार	"
36.	लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण	12 करोड़ 07 लाख 7 हजार	"
38.	निबंधन उत्पाद एवं मद्य निषेध	40.26 लाख	"
39.	आपदा प्रबंधन	3 करोड़ 74 लाख 99 हजार	"
40.	राजस्व एवं भूमि सुधार	54 करोड़ 41 लाख 72 हजार	"
41.	पथ निर्माण विभाग	151 करोड़ 31 लाख 72 हजार	"
44.	अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण	99.11 लाख	"
45.	गन्ना उद्योग	101 करोड़ 31लाख 48 हजार	"
47.	परिवहन	3 करोड़ 17 लाख 40 हजार	बिना बहस पारित
48.	नगर विकास एवं आवास	48 करोड़ 32 लाख 25 हजार	"
49.	जल संसाधन	80 लाख	"
50.	लघु जल संसाधन	40 लाख	"
51.	समाज कल्याण विभाग	52.95 लाख	"

15 वीं विधान सभा के प्रथम सत्र की कुछ प्रमुख झलकियां

हाजियों पर 7 दिसम्बर,2010 को हुए लाठी चार्ज के मामले में सरकार का वक्तव्य

सदन में विपक्षी दल के नेता अब्दुल बारी सिद्धिकी एवं उनके दल के सदस्यों ने हाजियों पर हुए लाठी चार्ज का सवाल उठाया था। मंत्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव ने सदन में बताया कि सभी हाजी सकुशल लौट आए हैं। दरअसल कुछ हाजियों का सामान एयरलाइन्स से कल (6,दिसम्बर) तक पटना नहीं आ पाया था और आज वैसे लोग अपने स्वजन के साथ सामान लेने हज भवन आए थे उनके असंतोष के कारण हज भवन में कोलाहल की स्थिति उत्पन्न हुई थी जिन्हें समझा–बुझा कर शांत किया गया। दोपहर तक उनका सामान भी आ गया। विभिन्न प्रतिवेदनों में वार्षिक व्यय के आंकड़ों की भिन्नता

विरोधी दल के नेता श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी ने महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव में जोड़ने के लिए अपने प्रस्ताव में कहा कि सरकारी उपलब्धियों के विभिन्न प्रतिवेदनों में वार्षिक व्यय के आंकड़े भिन्न–भिन्न हैं जो भ्रम पैदा करता है।

उपमुख्यमंत्री श्री सुशील कुमार मोदी एवं मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने अपने–अपने वक्तव्य में स्पष्ट किया कि महालेखाकार की रिपोर्ट आने तक व्यय संबंधी आंकड़ों को सत्यापित नहीं माना जाता है। अतएव महालेखाकार की रिपोर्ट के बाद वही आंकड़े हमेशा कोट किए जाते हैं। हालांकि विरोधी दल के नेता अब्दुल बारी सिद्धिकी ने सरकार के तर्क से असहमति जताते हुए अलग–अलग प्रतिवेदनों में 187 करोड़ रूपये का अंतर बताया तथा भविष्य में ऐसी गड़बड़ी न हो, इसके लिए सतर्कता बरतने की जरूरत बताई।

जब विधायक को जिला कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति की जानकारी देनी पड़ी

बिहार विधान सभा के माननीय अध्यक्ष श्री उदय नारायण चौधरी ने माननीय सदस्या मुन्नी देवी को जिला कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति के बारे में जानकारी दी। दरअसल विधायिका मुन्नी देवी ने दिनांक 09.12.2010 को 15वीं विधान सभा के प्रथम सत्र में एक गैर–सरकारी संकल्प के जरिए यह मांग कर डाली कि जिला संचालन समिति के अध्यक्ष के रूप में विधायक को मनोनीत कर मंत्री का दर्जा दिया जाए। सरकार की ओर से मंत्री ने जवाब दिया कि जिला संचालन समिति नहीं बल्कि जिला कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति होती है और उसका अध्यक्ष कोई मंत्री ही बनाए जाते हैं।

जब विपक्ष के नेता मध्यान्ह भोजना के प्रावधानों से अनभिज्ञ दिखे

माननीय सदस्य अब्दुल बारी सिद्धिकी ने सदन में यह मुद्दा उठाया कि बिहार सरकार के प्रतिवेदनों में उच्च विद्यालयों के बच्चे भी मध्यान्ह भोजन योजना के लाभुकों में शामिल हैं जो भ्रम पैदा करता है। उपमुख्यमंत्री ने कहा कि उच्च विद्यालयों में 8वीं कक्षा तक पढ़ने वाले/नामांकित बच्चों को मध्यान्ह भोजन योजना का लाभ दिया जाता है। किंतु विपक्ष के नेता वित्त मंत्री के जवाब से संतुष्ट नहीं हो सके और ऐसे उच्च विद्यालयों की सूची की मांग कर दी। उपमुख्यमंत्री ने सूची देने का आश्वासन दे दिया।

अनुपूरक अनुदान की मांग पर वाद–विवाद के दौरान विषय का तालमेल रहना जरूरी

दिनेश प्रसाद : माननीय सदस्य कृषि पर बोलना शुरू किए किंतु थोड़ी ही देर में विषयांतर हो गए। मसलन मछलीपालन, पशुपालन, कुक्कुट पालन में स्वावलम्बन हासिल करना है। मुजफ्फरपुर जिले में बंगरा के निकट पीयर घाट पर पुल बन रहा है। 2 वर्ष के भीतर तैयार होगा जबकि कटौंझा पुल को बनाने में पूर्व की सरकारों को कई दशक लगे। 15 हजार उच्च विद्यालयों की स्थापना करेंगे। उच्च विद्यालयों को +2 विद्यालय में बदलेंगे। अब अमन चैन है, दादागिरी खत्म हो गया। जबकि बिहार विधान सभा की प्रक्रिया संबंधी सामान्य नियम में वाद–विवाद की परिसीमाएं विषय के अन्तर्गत प्रावधान किया गया है कि " हरेक भाषण, सभा के सामने उपस्थित विषय से सर्वथा संगत होना चाहिए।"

स्पष्ट है कि माननीय सदस्य ने कृषि विभाग के द्वितीय अनुपूरक अनुदान की मांगों के समर्थन में बोलने के क्रम में पशुपालन विभाग, ग्रामीण कार्य विभाग, मानव संसाधन विभाग एवं गृह विभाग पर धमाकेदार भाषण दे दिया। क्या कृषि विभाग पर चल रहे वाद–विवाद में इतने सारे अन्य विभागों पर बोलना प्रासंगिक कहा जा सकता है? क्या 15 हजार विद्यालय खोलने एवं उच्च विद्यालयों को +2 विद्यालय में उत्क्रमित करने की घोषणा करना माननीय मंत्री मानव संसाधन विकास विभाग या मंत्रिपरिषद के सदस्यों के अधिकारों में हस्तक्षेप है या नहीं ?

डा० अच्युतानन्द : वित्तीय वर्ष 2010–11 के लिये कृषि विभाग के अनुपूरक अनुदान की मांग पर वाद–विवाद पर माननीय सदस्य ने धमाकेदार प्रस्तुति की। अपनी प्रस्तुति के अंतिम समय में उन्होंने महनार विधान सभा क्षेत्र से जुड़ी

मांगों को भी विशेष रूप से चिन्हित किया किंतु उन्होंने बिहार को विकसित राज्य का दर्जा दे दिया।–"60 वर्ष बाद बिहार विकसित श्रेणी में आया है।"वे यह भी भूल गए कि मानव विकास सूचकांक की दृष्टि से भी बिहार अत्यंत ही पिछड़ा राज्य है और पिछड़ापन के कारण ही उनकी पार्टी और राजग सरकार केन्द्र के समक्ष बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग जोरदार तरीके से उठा चुकी है।

शालीग्राम यादव : माननीय सदस्य ने कृषि विभाग के द्वितीय अनुपूरक अनुदान की मांग पर वाद–विवाद के दौरान मांग के समर्थन में कहा कि "शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बदलाव आया है।"

अवधेश कुमार : कृषि विभाग के अनुपूरक अनुदान की मांग पर वाद–विवाद में कटौती प्रस्ताव के समर्थन में बोलते हुए माननीय सदस्य ने बिहार की कृषि पर बोलने के बजाए भारत में इस्पात उत्पादन की स्थिति संबंधी तथ्य को जोरदार ढंग से चिन्हित किया। जबकि उपमुख्यमंत्री–सह–वित्त मंत्री श्री सुशील कुमार मोदी ने जिन 35 विभागों के लिए विभागवार अलग–अलग अनुपूरक अनुदान की मांगों पर सदन की स्वीकृति का प्रस्ताव रखा है उनमें खनन एवं भूतत्व विभाग के लिए अनुपूरक अनुदान की मांग का प्रस्ताव शामिल ही नहीं था।

वीरेन्द्र कुमार : माननीय सदस्य ने कृषि विभाग के लिए अनुपूरक व्यय विवरणी के समर्थन में बोलते हुए दूसरे राज्य के गैर कृषि क्षेत्र पर ज्यादा प्रकाश डाला। उन्होंने छत्तीसगढ़ के सरगुजा के पहाड़ी इलाके में लौह अयस्कों की निकासी एवं आजादी के पूर्व के इंडियन फोरेस्ट एक्ट पर लम्बा व्याख्यान दे दिया। उन्होंने इंडियन एजुकेशन एक्ट का भी हवाला दिया। ऐसा प्रतीत होता है कि निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तथ्य अभी तक उनकी आंखों के सामने से नहीं गुजरे। हालांकि अपनी प्रस्तुति के अंत में एक महत्वपूर्ण सुझाव रखा कि विधायिका को स्वच्छ रखने के लिए विधायक निधि खत्म करना चाहिए। यह भ्रष्टाचार की गंगोत्री है, यहां से स्वच्छता का संदेश जाना चाहिए। बाद में माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने इस प्रस्ताव को लागू भी कर दिया।

रश्मी ज्योति : माननीय सदस्य ने कृषि विभाग के अनुपूरक अनुदानों की मांग के विरोध में और कटौती प्रस्ताव के समर्थन में बोलने के शुरूआत में ही कहा कि बिहार में बिजली की समस्या दूर करने के लिए पहल की जरूरत है। विधान सभा के माननीय अध्यक्ष श्री उदय नारायण चौधरी ने माननीय सदस्या को तुरन्त टोका कि आज कृषि विभाग पर वाद–विवाद है। कृषि विभाग पर विचार रखें।

बिक्रम कुंवर : श्री बिक्रम कुंवर सदन के काफी पुराने सदस्य हैं और सदन में अच्छी प्रस्तुति के लिए एक प्रतिष्ठित सदस्य के रूप में जाने जाते रहे हैं। किंतु कृषि विभाग के अनुपूरक अनुदान की मांग पर वे भी विषयांतर होकर बोले। माननीय सदस्य ने कहा कि ए० पी० एल, बी. पी. एल. को खाद्यान्न आपूर्ति के लिए उसी प्रकार की व्यवस्था हो जिस प्रकार खाद वितरण के लिए प्रखंड मुख्यालय तक व्यवस्था है।

सदानन्द सिंह : महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्तावों को सुनने के बाद जब सदन के नेता श्री नीतीश कुमार यह बोल रहे थे कि 1985 के विधान सभा में वे चौथे बेंच पर लोकदल विधायक के रूप में बैठते थे, माइक बहुत अच्छा था और वहीं से अपनी बात रखते थे। .....तो कांग्रेस के विधायक श्री सदानन्द सिंह ने श्री नीतीश कुमार की निम्न रूप में सराहना की :– ''आप पहली बार विधान सभा में भाषण दिये थे, इतना अच्छा भाषण दिये थे कि एक बजे के बाद आकर आपको बधाई दिया था और हमको याद है कि हमने कहा था कि आप बहुत आगे बढ़ियेगा।

नीतीश कुमार : बिहार इतना बड़ा राज्य है कि इसकी उपेक्षा करके कोई केन्द्र में बहुत दिनों तक शासन नहीं चला

सकता है। बिहार विधान सभा के चुनाव परिणाम ने यह साबित भी कर दिया। सबने जनता की अदालत में अपनी बात रखी। हमने कहा कि केन्द्र बिहार की उपेक्षा कर रहा है और आपने कहा कि बिहार केन्द्र के पैसे का उपयोग नहीं कर रहा है और केन्द्र के पैसे से बिहार का विकास हुआ है। सब कह लिये न। कहने के लिए इस बार आपने कोई कसर नहीं छोड़ा प्रधान मंत्री जी तक को उतार दिया। हम प्रधानमंत्री जी को निमंत्रित करते रहे पांच साल, नहीं आये, लेकिन आपके बुलाने पर आ गए। सबको उतार दिया। सबकी बात सुन जनता ने जो फैसला दिया उसको अब मानना चाहिए। बढ़चढ़ कर जनता की खिदमत करना चाहिए।

नीतीश कुमार : 1985 में सदन में कांग्रेस की दो तिहाई बहुमत और अब सदन में राजग की उससे भी मजबूत स्थिति पर सदन में श्री नीतीश कुमार ने कुछ इस प्रकार कहा– ''हम तो कभी उस मानसिकता में जाने वाले नहीं है जिसको गुरूर कहते हैं। वह तो कभी नहीं होगा क्योंकि लोगों का गुरूर टूटते समय नहीं लगता। इसलिए वह न हमारा स्वभाव है, न ही वह चीज मेरे ऊपर कभी सवार होगा। मैं अपने पर इतना आश्वस्त हूँ और आपको भी इतना आश्वस्त करना चाहूंगा।''

बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य–संचालन नियमावली के अनुसार कुछ महत्वपूर्व प्रावधान

1. विधान सभा के सत्र की शुरूआत के 4 सप्ताह पूर्व समूचे सत्र या किसी भाग का अंतिम कार्यक्रम की सूचना सदन के सदस्यों को सभा सचिव देंगे और दैनिक कार्य सूची सदस्यों को प्रतिदिन दी जाएगी।

2. संविधान के अनुच्छेद 175 (1) के अधीन सदन में राज्यपाल के अभिभाषण पर विमर्श (वाद–विवाद) वर्जित है किंतु अभिभाषण की विषय–वस्तु का निर्देश सभा के किसी वाद–विवाद में किया जा सकेगा।

3. संविधान के अनुच्छेद 175 (2) के तहत प्राप्त राज्यपाल के संदेश को सभा अध्यक्ष सदन में पढ़कर सुनाने के लिए बाध्य हैं।

4. सत्र के प्रथम दिन प्रश्न एवं अनौपचारिक कार्य नहीं होंगें।

5. सत्र के दूसरे दिन विशेषाधिकार प्रश्न, अत्यावश्यक लोक महत्व के किसी निश्चित विषय पर विमर्श करने के लिये सभा के कार्य स्थगन का प्रस्ताव प्राप्त किया जा सकेगा। कोई अत्यावश्यक सरकारी विधेयक भी सदन में उपस्थापित किया जा सकता है।

6. विधान सभा सत्र के दौरान प्रथम दिन छोड़कर प्रथम दिन छोड़कर प्रत्येक बैठक (कार्य दिवस) का पहला घंटा प्रश्न एवं उत्तर के लिये निर्धारित रहता है जिसमें प्रथम 20 मिनट अल्प–सूचना प्रश्न एवं उनके उत्तर के लिये तथा शेष 40 मिनट का समय तारांकित प्रश्न एवं उनके उत्तर के लिये निर्धारित रहते हैं।

7. शून्य काल में वही सूचना लिए जाएगें जो बैठक प्रारम्भ होने के 2 घंटे पूर्व से एक घंटा पूर्व तक सदस्य सभा सचिव को लिखित रूप में दे देंगे। विदित हो कि प्रश्नोत्तर काल के बाद 20 का समय मिनट शून्य काल के लिए निर्धारित होता हैं।

8. कोई भी सदस्य सदन में सदन से असम्बद्ध कोई भी पुस्तक, समाचार पत्र या पत्र नहीं पढ़ेंगे एवं सदन में शांत रहेंगे। सदन में खाना–पीना तथा धूम्रपान करना सख्त मना है।

9. अत्यावश्यक लोक–महत्व के विषय पर ध्यानाकर्षण के जरिए मामले से संबंधित विभागीय मंत्री से सदन में वक्तव्य की मांग करने का अधिकार सदन के प्रत्येक सदस्य को प्रदत्त है किंतु सभा की बैठक प्रारम्भ होने के पूर्व एक घंटे के अंदर अधिकतम 200 शब्दों में लिखित रूप में सभा सचिव के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। कोई भी सदस्य एक दिन में एक से अधिक ध्यानाकर्षण सूचना नहीं प्रस्तुत करेंगें। स्वीकृति मिलने पर 24 घंटे के अंदर विभागीय मंत्री को भेजा जाता है। निर्धारित समय पर सदस्य अपना ध्यानाकर्षण सूचना को पढ़ेंगे और विभागीय मंत्री अपना वक्तव्य देंगे किंतु मंत्री के वक्तव्य पर वाद–विवाद का प्रावधान नहीं है। अनुपस्थित सदस्य के ध्यानाकर्षण सूचना पर विभागीय मंत्री का वक्तव्य नहीं होगा। एक दिन में दो मंत्रियों का वक्तव्य होना निर्धारित रहता है। शेष ध्यानाकर्षण सूचना पर निर्धारित तिथि दर्शाकर लिखित सूचना के लिए माननीय अध्यक्ष द्वारा संबंधित विभागीय मंत्री को निदेशित किया जाता है।

विशेष लोक महत्व के विषय पर पूछे गए प्रश्न के मुद्दे पर सदन में 4 बजे से 4.30 बजे तक विशेष बहस कराने का प्रावधान है।

अल्प अवधि के लिए अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर चर्चा

अल्प अवधि के लिए अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर चर्चा उठाने हेतु सूचना सभा सचिव को दी जाती है। इसके लिए स्पष्टता एवं तथ्यात्मक उल्लेख करते हुए सचिव को लिखित रूप में सूचना देना अनिवार्य है। ऐसी सूचना का समर्थन न्यूनतम दो अन्य सदस्यों के हस्ताक्षर से होना अनिवार्य है। ऐसी चर्चा पर सभा के अध्यक्ष को सदन के नेता से परामर्श कर ढाई घंटे तक समय देने का अधिकार है।

गैर सरकारी संकल्प

सत्र के दौरान किसी भी बैठक (कार्य दिवस) में किसी भी सदस्य को एक से अधिक गैर सरकारी संकल्प की सूचना देने का अधिकार नहीं है। 15 दिन पूर्व संकल्प देने का प्रावधान है जो सरकार को संबोधित विशिष्ट सिफारिश के साथ होगा, जिसमें तर्क, अनुमान, व्यंगोक्ति या मानहानिकर कथन नहीं होगा। संकल्प में न्यायालय के निर्णयाधीन मामले का समावेश नहीं किया जा सकता है। संकल्प पर भाषण की अधिकतम सीमा 10 मिनट होगी। माननीय अध्यक्ष की सहमति से अधिकतम 15 मिनट तक प्रस्तुति संभव है।

विधेयक पर बहस

वैसे विधेयक जिस पर सदन की सहमति नहीं हो और संशोधन के प्रस्ताव आ रहे हों तो संबंधित विधेयक पर विचार के लिए प्रवर समिति को सौंपा जाता है। प्रवर समिति को विधेयक में संशोधन का अधिकार होता है। प्रवर समिति में अधिकतम 16 सदस्य रखे जाने का प्रावधान है। यदि सदन में राय बने कि विधान सभा एवं विधान परिषद के सदस्यों की संयुक्त प्रवर समिति संबंधित विधेयक में संशोधन पर विचार करे तो प्रवर समिति या संयुक्त प्रवर समिति गठित कर संबंधित विधेयक प्रवर समिति या संयुक्त प्रवर समिति को सौंप दिया जाता है। संयुक्त प्रवर समिति में विधान सभा एवं विधान परिषद के सदस्यों का अनुपात 3:1 होगा।

कुछ अन्य महत्वपूर्ण जानकारी

विधान सभा प्रजातंत्र का मंदिर है जो राज्य के लिए विधान यानि कानून (Law) बनाता है। देश के 28 राज्यों एवं दो संघीय प्रदेश (दिल्ली एवं सिक्किम) में विधान सभा है। सिक्किम की विधान सभा सबसे छोटी है जहां सदस्यों की संख्या मात्र 32 है और उत्तर प्रदेश की विधान सभा सबसे बड़ी है जहां सदस्यों की संख्या 404 है।

संविधान में प्रावधान किया गया है कि राज्यों की विधान सभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या 500 एवं न्यूनतम संख्या 60 होनी चाहिए। आंध्र प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु एवं कर्नाटक में विधान सभा के अतिरिक्त विधान परिषद भी है। विधान सभा निम्न सदन (Lower House) एवं विधान परिषद उच्च सदन (Upper House) कहलाता है। विधान परिषद की अधिकतम संख्या विधान सभा के कुल सदस्यों की एक तिहाई हो सकती है और विधान परिषद में सदस्यों की न्यूनतम संख्या 40 होगी।

भारतीय संसद से पारित कानून के अनुसार विधान परिषद में एक तिहाई सदस्य स्थानीय निकायों (नगरपालिका, जिला परिषद एवं अन्य स्थानीय निकायों) से चुने जाते हैं। परिषद के कुल सदस्यों का 12 वां हिस्सा स्नातक डिग्रीधारी मतदाताओं द्वारा चुने जाते हैं और 12 वां हिस्सा शिक्षक मतदाताओं द्वारा चुने जाते हैं। कुल सदस्यों का छठा हिस्सा राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। उच्च सदन (विधान परिषद) के एक तिहाई सदस्य प्रत्येक दो वर्ष पर अवकाश प्राप्त (Retire) करते हैं।

संविधान के Article 173 के अनुसार पर्चा दाखिल करने (Nomination) की तिथि के आधार पर विधान सभा में सदस्य के लिए न्यूनतम उम्र 25 वर्ष एवं विधान परिषद में सदस्य की न्यूनतम उम्र 30 वर्ष होनी चाहिए।

विधान सभा के सत्रों एवं सत्र के दिनों (बैठकों) की संख्या की सीमाएं संविधान के तहत निर्धारित नहीं हैं किन्तु दो सत्रों के बीच की अवधि अधिकतम छः माह से कम होगी। "Procedural Uniformity and Better Management of the Times of the House" विषय पर विधायी निकायों के पीठासीन पदाधिकारियों के 64 वें सम्मेलन (Conference) में 28–29 जून 2001 को चण्डीगढ़ में सर्वसम्मति से यह स्वीकार किया गया था कि विधान सभा/विधान परिषद के लिए प्रत्येक कैलेन्डर वर्ष में न्यूनतम बैठकों की संख्या संबंधी प्रावधान होना चाहिए। 100 से अधिक सदस्यों वाली विधान सभा के लिए एक कैलेन्डर वर्ष में न्यूनतम 100 बैठक एवं 100 से कम सदस्यों वाली विधान सभा के लिए न्यूनतम 60 बैठक निर्धारित किया जाना चाहिए।

25 नवम्बर 2001 को राज्यों के मुख्यमंत्रियों एवं विधायी निकायों के पीठासीन पदाधिकारियों के सम्मेलन (Conference) में एक प्रस्ताव पारित कर अनुशंसा की गई थी कि एक कैलेन्डर वर्ष में लोक सभा की न्यूनतम बैठक 110 होना चाहिए तथा राज्यों की विधान सभा में न्यूनतम बैठक (सत्रों के दिन) 99 होना चाहिए। छोटे विधान सभा में एक कैलेन्डर वर्ष में न्यूनतम बैठक 50 दिनों की होनी चाहिए। इस प्रक्रिया को लागू करने के लिए संविधान में संशोधन भी किया जाना चाहिए। इस अनुशंसा को कई राज्यों ने लागू भी कर लिया है।

राजस्थान विधान सभा की कार्य एवं प्रक्रिया नियमावली की कंडिका–3 ए में स्पष्ट प्रावधान है कि संविधान के अनुच्छेद 174 के तहत प्रत्येक कैलेन्डर वर्ष में न्यूनतम तीन सत्र यथा–शरद सत्र (Winter Session) बजट सत्र (Budget Session) एवं मौनसून सत्र (Monsoon Session) होंगे और पूरे वर्ष में न्यूनतम 60 बैठकें होंगी।

देश में हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान एवं उत्तर प्रदेश विधान सभा के Rules of Procedure (कार्य एवं प्रक्रिया नियमावली) में एक कैलेन्डर वर्ष में सभा की बैठकों की न्यूनतम संख्या निर्धारित कर दी गई है। किंतु बिहार में इस प्रावधान के अभाव के कारण सभा के बैठकों की संख्या न्यूनतम अपेक्षित बैठकों की तुलना में काफी कम है एवं घटती जा रही है।

शपथ (Oath)/प्रतिज्ञान (Affirmation) :– ज्योंहि चुनाव के बाद कोई व्यक्ति बिहार विधान सभा का सदस्य घोषित कर दिए जाते हैं तो संविधान की धारा – 188 के तहत राज्यपाल या उनके द्वारा नामित/नियुक्त व्यक्ति राज्यपाल द्वारा निर्देशित स्थल, तिथि एवं समय पर वैसे सदस्य/सदस्यों को शपथ (Oath) या प्रतिज्ञान (Affirmation) कराने के लिए विधान सभा के सचिव इन्तजाम करते हैं। यह प्रक्रिया विधान सभा के प्रथम सत्र के दौरान भी निर्धारित समय पर पूरी की जा सकती है।

सदन की सभा में वाह्य व्यक्ति के बैठने पर दंड : संविधान की धारा 193 में स्पष्ट प्रावधान है कि विधान सभा के सदस्य के अलावा कोई वाह्य व्यक्ति सदन की सभा में सदस्यों के लिए निर्धारित किसी सीट पर नहीं बैठ सकता है। इस प्रावधान का उल्लंघन करने पर विधान सभा के अध्यक्ष को दंडित करने का अधिकार है। दण्ड की सीमा सभा अध्यक्ष ही निर्धारित करेंगे।

सभा की बैठक का कोरम : सभा की बैठक का कोरम तभी पूरा होगा जबकि सभा के कुल सदस्यों की संख्या का न्यूनतम दसवां हिस्सा सदन में मौजूद रहे।

विदित हो कि 05 दिसम्बर, 2012 को झारखंड विधान सभा में कोरम पूरा नहीं होने के कारण सदन को अचानक स्थगित करना पड़ा क्योंकि कार्यवाही में उपस्थित मात्र 10 सदस्यों में से 02 सदस्य अचानक बाहर चले गये।

प्रश्नोत्तर काल की मनाही : विशेष परिस्थिति में सभा की बैठक के दौरान प्रश्नोत्तर काल नहीं लिए जाने की घोषणा सभा अध्यक्ष कर सकते हैं। स्मरण रहे कि 03.12.1971 को संध्याकाल में पाकिस्तान द्वारा भारत पर अचानक आक्रमण के बाद 4 दिसम्बर 1971 को लोकसभा अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि 06.12.1971 से सत्र के अंतिम तिथि (23.12.1971) तक सदन की बैठक मात्र 10 बजे से 13 बजे तक होगी और प्रश्नोत्तर काल नहीं लिए जाएंगे।

संसदीय कार्य मंत्री भारत सरकार ने 19 मार्च 1976 को सदन में 22.05.1976 तक लोक सभा सत्र के विस्तार की घोषणा की और कहा कि विस्तारित अवधि में प्रश्नोत्तर अवधि नहीं रहेगी। उन्होंने सभा की विस्तारित अवधि के लिए केवल वित्तीय कार्यक्रम के पुनर्निर्धारण (Re-Sheduding of the Financial Programme) की जानकारी दी।

अचानक छूट्टी घोषित होने पर सभा की बैठक : भारत सरकार ने 13.05.1957 को बुद्ध पूर्णिमा की छूट्टी घोषित कर दी थी बावजूद राष्ट्रपति ने लोकसभा एवं राज्य सभा के संयुक्त सदन को 13.05.1957 को संबोधित किया था। भारत सरकार ने 29.03.1977 को रामनवमी के लिए छूट्टी घोषित की थी किंतु उस तिथि को भी लोकसभा के सत्र की बैठक हुई थी।

दिल्ली नगर निगम के चुनाव के दौरान सरकारी कर्मियों को पीठासीन पदाधिकारी/पोलिंग ऑफिसर बनाए जाने पर जब लोकसभा की बैठक (20.03.1958) स्थगित करने का प्रस्ताव लोकसभा अध्यक्ष के पास आया तो तत्कालीन लोक सभा अध्यक्ष ने साफ मना कर दिया और 20.03.1958 को सदन की बैठक चली। उन्होंने कहा कि यह कोई उत्सव के लिए सामान्य छुट्टी का दिन नहीं है।

ए.डी.आर. ने दामिनी गैंग रेप कांड के बाद यह जारी किया है कि बिहार विधान सभा चुनाव (2010) में राजनैतिक पार्टियों ने 5 ऐसे प्रत्याशियों को भी टिकट दिया जिन्होंने शपथ–पत्र देकर स्वयं स्वीकार किया कि वे महिला के साथ बलात्कार के आरोपी हैं और उनके विरूद्ध मुकदमा लम्बित है। इस मामले की समीक्षा करने पर पाया गया कि वर्तमान विधान सभा में ऐसे कोई भी विधायक नहीं हैं जिनके विरूद्ध किसी बालिका/महिला के साथ बलात्कार का मामला लम्बित हो। स्पष्ट है कि ऐसे प्रत्याशियों को मतदाताओं ने नकार दिया।

मुस्लिम विधायकों में शिक्षा का स्तर सराहनीय

15वीं विधान सभा में 19 मुस्लिम विधायक हैं जिनमें 5 पुराने सदस्य हैं। 15 पुराने मुस्लिम विधायकों में मात्र 5 जीतकर आए थे। शेष 14 नये सदस्य चुनकर आए हैं। मुस्लिम महिला विधायकों में सभी सदस्य जद(यू) से हैं और उनमें एक मंत्री हैं। मुस्लिम विधायकों में अधिकांश सदस्य स्नातक डिग्रीधारी हैं। कई सदस्य पी.एच.डी. डिग्रीधारी भी हैं जो सराहनीय संकेत है।

चिन्हित समस्याएं

- प्रश्नों के उत्तर दर्शाते हैं कि उत्तर में टाल–मटोल किया जाता है और गहराई में जाकर जवाब देने के बजाए सतही जानकारी दे दी जाती है। नतीजतन प्रश्नकर्ता सदस्य उदासीन हो जाते हैं और प्रश्न की उपादेयता समाप्त होती जा रही है। संबंधित विभाग के पदाधिकारी जो जवाब बना देता है उसी पर सदन में मंत्री के अड़े रहने की परम्परा सी बनती जा रही हैं।

- एक ही प्रश्न कई विभागों में घूमता रहता है। प्रश्न का उचित विभाग संबंधी जानकारी विधान सभा के पदाधिकारी को नहीं रहती है। ''मंत्री द्वारा विभाग से संबंधित नहीं होना'' कहा जाना हास्यास्पद ही नहीं, सदन का अपमान भी है।
- प्रश्नों/ध्यानाकर्षणों की संख्या संबंधी उपलब्धियां दर्शाने के साथ ही निष्पादित प्रश्नों/ध्यानाकर्षणों की संख्या दर्शया जाना आवश्यक है। साथ ही आश्वासनों की समय–सीमा निर्धारित किया जाना अत्यावश्यक है।
- मीडिया में छपने के लिए सदन में कुछ सदस्य कभी–कभी 'कूदो फानो तोड़ो तान, तभी रहेगा दुनियां का मान'' की कहावत चरितार्थ करते हैं। यह प्रवृति पूर्व की तुलना में बढ़ती जा रही है जो चिन्ताजनक है।
- सदन में उठने वाले मुद्दे पर तथ्यपरक तर्क की प्रस्तुति के बजाए पक्ष–विपक्ष के सदस्य अपने–अपने नेताओं की दुहाई देने में सक्रिय हो जाते हैं, जिससे सदन की गरिमा प्रभावित होती है।
- सदन में अच्छा परफॉरमेन्स करने वाले विधायक को सम्मानित करने की परम्परा/प्रक्रिया नहीं है, जिसे प्रारम्भ करने की जरूरत है।
- प्रश्न एवं ध्यानाकर्षण सत्र को सशक्त बनाने के लिए विधायी प्रशिक्षण ब्यूरो का गठन किया गया है। सदन के वर्तमान अध्यक्ष माननीय उदय नारायण चौधरी ने सदस्यों का प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया किंतु सदस्यों की उपस्थिति सराहनीय नहीं रहने संबंधी मामले सामने आए हैं।
- बैठकों की संख्या बढ़ाते हुए उत्तर प्रदेश विधान सभा की तरह न्यूनतम बैठकों की संख्या निर्धारित किया जाना एवं बैठकों का वार्षिक कैलेन्डर जारी किया जाना आवश्यक है।
- समितियों को बैठकों की संख्या संबंधी उपलब्धियां दर्शाने के बजाए निष्पादित मामलों एवं प्रस्तुत प्रतिवेदनों से संबंधित उपलब्धियों की प्रस्तुति पर जोर देना चाहिए।
- सदन में प्रश्नों के उत्तर देने के पूर्व सदस्यों के बीच वितरित करा दिए जाएं ताकि सदस्य सदन में अनुपूरक प्रश्न की तैयारी कर सकें।
- सदन में प्रस्तुत उत्तर गलत एवं भ्रामक साबित हो तो संबंधित जिम्मेवार पदाधिकारी को दंडित करने हेतु विशेषाधिकार समिति कारगर हस्तक्षेप नहीं कर पाती है जिसका प्रावधान कर कार्रवाई किया जाना अत्यावश्यक है।
- विधायकों को कर्त्तव्यों एवं दायित्वों के प्रति सदस्यों को संवेदनशील बनाने हेतु विधायी समिति को क्रियाशील बनाना आवश्यक है।
- पुस्तकालय में सदस्यों की संख्या नगण्य दिखती है। पुस्तकालय में सदस्यों की उपस्थिति बढ़ाकर सदन में सारगर्भित एवं तथ्यपरक प्रस्तुति बढ़ाई जा सकती है।
- ज्यादातर विधेयक बिना बहस के ही सदन में पारित हो जाते हैं। पदाधिकारियों द्वारा तैयार किए गए विधेयकों में सदन के नीतिकारों की राय का समावेश नहीं हो पाता है जो चिंतनीय पहलू है। आखिर विधायक की भूमिका नीतिकार के रूप में कहां बन पाती है ?

संदर्भ

1. विधान सभा की कार्य–संचालन नियमावली (दशम संस्करण) 14.03.2011तक यथासंशोधित
2. विशेषाधिकार समिति की आंतरिक कार्य प्रणाली संबंधी नियमावली (02.05.1972)
3. लोक लेखा समिति की आंतरिक कार्य–संचालन नियमावली (प्रकाशन संख्या–489)
4. प्राक्कलन समिति (बि० वि० सभा) की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन की आन्तरिक नियमावली।
5. सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति (बि० वि० सभा) की आंतरिक कार्य–संचालन नियमावली (2002)– प्रकाशन संख्या–6
6. सरकारी आश्वासन समिति (बि० वि० सभा) की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन की आंतरिक नियमावली (25.04. 1968 से लागू)–1984 में प्रकाशित।
7. याचिका समिति (बि० वि० सभा) की कार्य संचालन नियमावली, 1972 (प्रकाशित–1986)
8. लोक सूचना–55/12–1104 वि स० दिनांक 20/09/2012
9. लोक सूचना–55/12–1068 दिनांक 18.09.2012
10. बिहार विधान सभा सचिवालय पत्रांक–शू० का–16/12–1165/वि.स०दिनांक 12.09.12
11. बि० वि० सभा के लोक सूचना–61/12–1076 दिनांक 18.09.2012
12. बि० वि० सभा के लोक सूचना पत्रांक–61/12–1007 दिनांक 04.09.2012 पत्रांक–खण्ड–8 लेखा–245/10–2356/ वि० स० दिनांक 10.09.2012
13. बि० वि० सभा के लोक सूचना–61/12–1149 वि० स० दिनांक 28.09.2012
14. बि०वि०सभा पत्रांक प्रश्न एवं ध्यानाकर्षण सं०1/12–1514/वि०स०दिनांक 20.09.2012
15. बिहार विधान सभा की डायरी (2011)
16. बिहार विधान सभा का वेबसाइट(सितम्बर 2012)
17. बि० वि० सभा के लोक सूचना–61/12–1271 वि० स० दिनांक 02.11.2012

About National Social Watch

National Social Watch (NSW) is the national secretariat of the National Social Watch Coalition (NSWC), which is a broad based network of civil society organizations and citizens. The Social Watch process intends to analyze the performance of the institutions of governance, their commitment towards citizens, and their practice of democratic values. The major objectives of NSW are:

a. To become a key agenda setter for the government
b. To redefine the politics of knowledge and usher in new dynamics in the processes and quality of governance
c. To ensure the centrality of people at various levels – national, state, and village, in the processes of governance

The major functions of NSW are: (1) Research, (2) Advocacy, and (3) Networking. Under Research, NSW conducts rigorous research with major focus on 'institutions of governance'. NSW brings out its research in the form of annual citizen's reports, perspective papers, focus papers, and research briefs. Under Advocacy, apart from dissemination of its research output through web-posting and publication, NSW regularly organizes policy dialogues and an annual grand release function of the citizen's report. Apart from national level releases, NSW also organizes state level dissemination workshops in select states, every year. Under Networking, it partners with likeminded national resource organizations, promotes and supports state level social watch coalitions, and collaborates with the International Social Watch, commonly known as Social Watch. Today the NSWC has 8 national coalition partners and has state coalitions partners in 15 states viz. Gujarat, Andhra Pradesh, Tamil Nadu, Karnataka, Kerala, Maharashtra, Madhya Pradesh, Chhattisgarh, Orissa, Bihar, Jharkhand, West Bengal, Uttar Pradesh, Himachal Pradesh, and Rajasthan. State coalitions prepare the state level social watch reports and lead the state level discourses on the issues related to governance and social development. More about NSW can be seen at www.socialwatchindia.net and NSW can be reached through info@socialwatchindia.net.

NATIONAL SOCIAL WATCH

Oxfam India

FORDFOUNDATION